खण्ड-155, अंक-1
शुक्रवार, 4 भाद्रपद, शक संवत् 1877
(26 अगस्त, 1955 ई0)

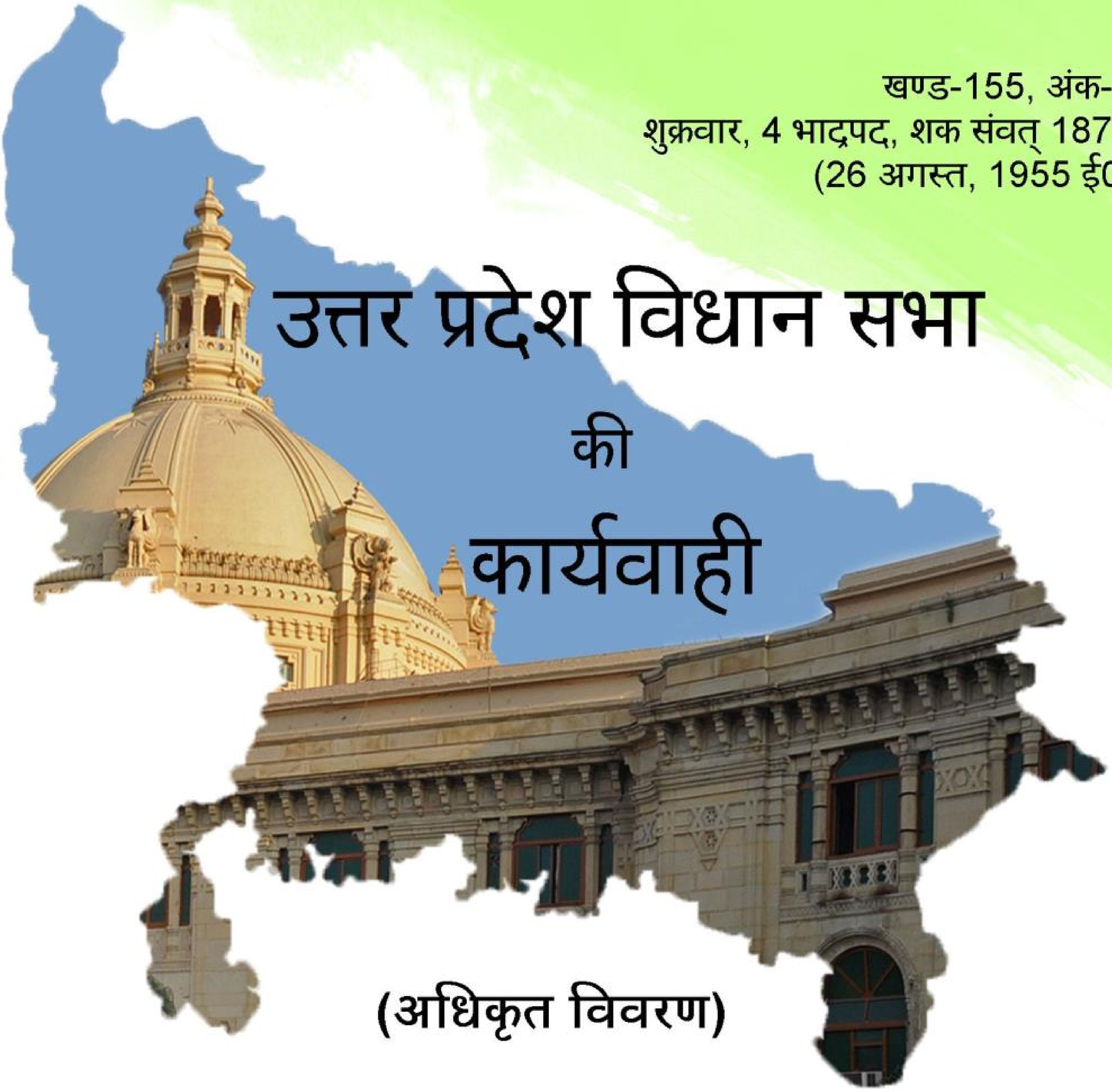

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 155 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २६ अगस्त, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७७)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसराइल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाजरसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले
उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्वरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री

गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री

उत्तर प्रदेश संसद

फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन , श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महाबीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेशवर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रदत्त, श्री
राजेश्वरसिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री

उत्तर प्रदेश संसद

रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मण दत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री

श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेवसिंह, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २६ अगस्त, १९५५

तारांकित प्रश्न

लखनऊ में संस्कृत साहित्य परिषद् का भवन निर्माण

*१--श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ में संस्कृत साहित्य परिषद के भवन निर्माण करने की किसी योजना पर वह विचार कर रही है ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)--जी नहीं ।

संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना

*२--श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करने में उसे अभी कितना समय लगेगा ?

डाक्टर सीताराम--निश्चित समय तो बताना कठिन है परन्तु शीघ्र स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार संस्कृत शिक्षा परिषद को कोई आर्थिक सहायता देती है, यदि हां, तो क्या ?

शिक्षा मन्त्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--कोई रेकरिंग ग्रांट नहीं दी जाती है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी को स्थापित करने में खर्चे का क्या अनुमान है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--इन्हीं सब बातों पर विचार हो रहा है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना का क्या उद्देश्य है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जो विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य हुआ करता है वही है और संस्कृत शिक्षा का प्रसार हो ।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)--क्या यह सही है कि यह विधेयक ५ साल से स्थगित किया जा रहा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी नहीं ।

हाथरस की सूती मिलों की बन्दी तथा मजदूरों की बेकारी

*३--**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार को मालूम है कि हाथरस में तीन सूती मिलें हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उनमें से २ सूती मिलें बन्द पड़ी हैं ?

श्रम मन्त्री (आचार्य जुगलकिशोर)--जी हां ।

*४--**श्री झारखंडे राय**--क्या सरकार बतायेगी कि हाथरस में दो सूती मिलें बन्द होने से कितने मजदूर बेकार हो गये हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--लगभग १,३६७ ।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह दोनों मिलें क्यों बन्द हुईं और खुलवाने का सरकार ने क्या प्रबन्ध किया और क्या उसका परिणाम हुआ ?

आचार्य जुगलकिशोर--दो मिलों में से एक तो जो लल्लामल हरदेव दास मिल है वह आपसी झगड़े के कारण बन्द करनी पड़ी । इस बात की कोशिश हुई थी कि कंट्रोलर को वहां रखा जाय लेकिन कंट्रोलर की नियुक्ति के खिलाफ हाई कोर्ट का फैसला हुआ इसलिये नहीं हो सकी । दूसरी मिल के बारे में रामचन्द्र स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल है, उसमें हानि हुई और वह नहीं चल सकी और इसी कारण से वह अब भी बन्द है, क्योंकि उनके पास इतना धन नहीं है कि वह उसकी मरम्मत कराके चला सकें ।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो बेकार मजदूर हैं उनमें से कितनों को काम मिला है और कितने अब भी बेकार हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--इसकी तो मेरे पास सूचना नहीं है कि कितने बेकार हैं या चले गये हैं ।

मिलों में लेबर वेलफेयर अफसर तथा उनकी योग्यता, वेतन और कर्त्तव्य

*५--**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि राज्य की कितनी मिलों को लेबर वेलफेयर अफसर रखने का आदेश सरकार द्वारा किया गया है और उन लेबर वेलफेयर अफसरों की क्या योग्यता रखी गई है ?

आचार्य जुगलकिशोर--प्रत्येक फैक्ट्री में जिसमें साधारणतया ५०० या ५०० से अधिक श्रमिक काम करते हैं, लेबर वेलफेयर अफसर नियुक्त करने का विधान है । ऐसी फैक्ट्रियों की संख्या, जहां तक अभी तक ज्ञात हुआ है, १३४ है । वेलफेयर अफसरों की योग्यता यू० पी० फैक्ट्रीज वेलफेयर आफिसर्स रूल्स, १९५५ के नियम ९ में दी गई है ।

श्री गेंदासिंह——क्या माननीय श्रम मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन १३४ कारखानों में से कितने सरकारी कारखाने हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर——इसकी तो मेरे पास कोई सूचना नहीं है प्रश्न से यही मालूम होता है। प्रश्न से यह नहीं मालूम होता है कि यह सूचना मांगी गयी थी, लेकिन कुल संख्या जो फैक्टरीज में वेलफेयर आफिसर के अप्वाइन्ट करने की है वही यहां पर है ।

श्री गेंदासिंह——क्या जो सरकारी कारखाने हैं उन कारखानों में वेलफेयर अफसर नियुक्त हुये हैं और अगर नियुक्त हुये हैं तो वही सुविधा उनको प्राप्त है जो दूसरे लोगों के कारखानों में प्राप्त है ?

आचार्य जुगलकिशोर——नियम के अनुसार वेलफेयर अफसर सरकारी फैक्ट्रीज में भी नियुक्त किये जाते हैं।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)——क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन फैक्ट्रीज के अलावा सरकारी बांधों पर जो मजदूर काम करते हैं उनके कल्याण के लिये भी सरकार ने लेबर अफसर नियुक्त करने की योजना बनायी है या कोई नियुक्त किया है ?

आचार्य जुगलकिशोर——जो कारखाने फैक्ट्रीज ऐक्ट के अन्तर्गत आते हैं उन्हीं में वेलफेयर अफसर नियुक्त करने का प्रश्न इस समय उठता है। यों तो गवर्नमेंट की कोशिश यह है कि जहां ऐसे लेबरर्स रहते हैं यद्यपि वे फैक्ट्री ऐक्ट के अन्दर नहीं आते हैं उनकी सुविधा के लिये भी कुछ प्रबन्ध किया जाय।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)——क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायें कि लेबर वेलफेयर अफसर की नियुक्ति मिलों में सरकार के द्वारा होती है या मिलमालिकों के द्वारा ?

आचार्य जुगलकिशोर——सरकार द्वारा कुछ नियम निर्धारित हैं लेकिन वे मिलमालिक स्वयं उनको नियुक्त करते हैं ।

श्री रामेश्वरलाल——क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि लेबर वेलफेयर की ट्रेनिंग की व्यवस्था सरकार ने अपनी तरफ से की थी और यदि ऐसी है तो कितने ट्रेंड किये गये थे ?

आचार्य जुगलकिशोर——कुछ संस्थायें मनोनीत की गयी हैं जिनके द्वारा शिक्षा दी जाती है। काशी विद्यापीठ है और टाटा स्कूल है और लखनऊ युनिवर्सिटी में जो सोशल वेलफेयर की ट्रेनिंग दी जाती है उसको भी मान्यता दी गयी है। और भी स्कूल ऐसे हैं जिनको योग्यता प्राप्त है और ट्रेनिंग भी प्राप्त है उनको मान्यता दी जाती है। पब्लिक सर्विस कमीशन जब नियुक्ति करता है तो उन मान्यताओं को देखकर ही वह नियुक्त करता है।

श्री गेंदासिंह——क्या माननीय श्रम मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १३४ फैक्ट्रियों में से क्यों ११७ में ही अभी तक वेलफेयर अफसर की नियुक्ति हुई है ?

आचार्य जुगल किशोर——यह सूचना उन फैक्ट्रियों की है जहां पर नियुक्ति हो गयी है। इसके अलावा फैक्ट्रियों को लिखा गया है जहां पर नियुक्ति नहीं हुई है। संभवतः वहां पर नियुक्ति हो चुकी होगी। ऐसी खबर नहीं है कि वहां पर नियुक्ति नहीं की गयी है। यह सूचना नहीं है कि अफसर कितने नियुक्त किये गये हैं और उनकी क्या योग्यता है।

श्री गेंदासिंह——क्या माननीय श्रम मंत्री कृपा कर ऐसी सूचना इकट्ठा कराने का कष्ट करेंगे और उसको फिर यहां बतलाने की कृपा करेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर--इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि उन फैक्ट्रियों से भी इसकी सूचना प्राप्त हो जाय और इस सूचना को प्राप्त करने की कोशिश की जायगी।

*६--**श्री गेंदासिंह**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कहां-कहां पर अब तक लेबर वेलफेयर अफसर रखे जा चुके हैं, उनकी योग्यता क्या-क्या है तथा उनका वेतन, उनको दी गई अन्य सुविधायें और उनके कर्त्तव्य क्या हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार ११७ फैक्टरियों में वेलफेयर अफसरों की नियुक्ति हो गई है। इन अफसरों की योग्यतायें, उनको वेतन तथा अन्य सुविधायें तथा उनके कर्त्तव्य यू० पी० फैक्टरीज वेलफेयर आफिसर्स रूल के अनुसार हैं। उनमें से कुछ अफसरों को कुछ निर्धारित योग्यताओं से नियमानुसार मुक्त भी कर दिया गया है। नियमों की एक प्रतिलिपि मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७१-७५ पर)

मिर्जापुर जिले में हरिजन कल्याण विभाग द्वारा हरिजनों को आर्थिक सहायता

*७--**श्री रामकृष्ण जैसवार** (जिला मिर्जापुर)--क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले में हरिजन कल्याण विभाग द्वारा सन् ५२ से ५४ तक प्रति वर्ष कितनी आर्थिक सहायता हरिजनों को घरेलू उद्योग-धन्धों के लिये दी गई ?

डाक्टर सीताराम--निम्नलिखित आर्थिक सहायता की स्वीकृति दी गई:

१९५२-५३ में	८०० रु०
१९५३-५४ में	८०० रु०

*८--**श्री रामकृष्ण जैसवार**--क्या सरकार को यह विदित है कि पिछले वर्ष जो आर्थिक सहायता दी गई थी वह हरिजनों को अभी तक नहीं प्राप्त हो सकी ?

डाक्टर सीताराम--जी हां।

*९--**श्री रामकृष्ण जैसवार**--यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ ?

डाक्टर सीताराम--अनुदान समय पर सरकारी खजाने से न निकाला जा सका। अनुदान पाने वालों को सन् १९५४-५५ में पुनः ५५० रु० के अनुदान प्रदान किये गये।

श्री रामकृष्ण जैसवार--क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि जिन लोगों को ५४-५५ में अनुदान दिया गया था उनको वह अभी तक प्राप्त नहीं हो सका। यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी इस पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह--एक साहब को मिल चुका है, दूसरे की कार्यवाही हो रही है, उसको जल्द ही मिल जायगा।

श्री रामकृष्ण जैसवार--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् ५२-५३ में जो ८००-८०० रुपया अनुदान का मिला था, उनको नहीं मिला तो यह किन अधिकारियों की लापरवाही के कारण नहीं मिला और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरगोविन्द सिंह--५२-५३ के खत्म होने के बाद जिन लोगों को नौकरी मिल गई थी और उन्होंने नौकरी कर ली इसलिये उनको नहीं दिया गया।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह अनुदान किन-किन उद्योगों को दिया गया था और सबसे अधिक अनुदान किस उद्योग को दिया गया था ?

श्री हरगोविन्दसिंह—अनुदान दर्जी के काम के लिये, चमड़े के काम के लिये, स्विइंग के काम के लिये और वीविंग के काम के लिये दिये गये हैं।

हमीरपुर में लड़कियों की उच्च शिक्षा का प्रबन्ध

*१०—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी** (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि हमीरपुर नगर में लड़कियां उच्च शिक्षा के लिये राजकीय उच्चतर माध्यमिक पाठशाला में लड़कों के साथ ही पढ़ने के लिये बाध्य हैं? यदि हां, तो क्या सरकार केवल लड़कियों की शिक्षा का कोई अलग प्रबन्ध करने की बात सोच रही है?

डाक्टर सीताराम—नहीं, अभी नहीं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि हमीरपुर नगर में लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिये राजकीय माध्यमिक पाठशाला के सिवाय और कोई लड़कियों के लिये दूसरी उच्च महिला शिक्षा संस्था नहीं है जहां लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें?

श्री हरगोविन्द सिंह—यदि नहीं भी है तो इसका यह अर्थ तो नहीं हो जाता कि लड़कियों को लड़कों के स्कूल में पढ़ने के लिये बाध्य किया जाता है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिये हमीरपुर नगर में कब तक प्रबंध हो जायगा?

श्री हरगोविन्द सिंह—अभी वहां उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या बहुत कम है इसलिये विचार नहीं किया जा सका।

मुख्य मंत्री शिक्षा-कोष

*११—**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुख्य मंत्री फंड में अब तक कुल कितना रुपया जमा हो चुका है और उसमें से अब तक कितना किस काम पर व्यय हुआ है?

डाक्टर सीताराम—मुख्य मंत्री-शिक्षा कोष में ३१ मई, सन् १९५५ तक कुल ३०,८६,९८२ रु० ११ आ० ९ पाई० एकत्रित किया गया जिसमें से उपर्युक्त तिथि तक कुल ३,७२,६५५ रु० १३ आ० ९ पा० निम्नलिखित मदों पर व्यय हुआ:

मद				व्यय रु० आ० पा०
१—कृषि औजार	..	..	...	१,९९,६४९—१२—९
२—भूमि सुधार	..	..	..	८२,१६२—१५—९
३—मिश्रित व्यय, बीज, खाद इत्यादि		..	..	९०,८४३— १—३
		योग	..	३,७२,६५५—१३—९

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन जिलों में जो रुपया वसूल होता है वह रुपया क्या उन्हीं जिलों में खर्च होता है?

श्री हरगोविन्द सिंह—अधिकतर उन्हीं जिलों में खर्च किया जाता है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार को पता है कि कृषि शिक्षा के स्कूलों में कोई प्रगति नहीं हुई है?

श्री हरगोविन्द सिंह—संतोषप्रद प्रगति हुई है।

अमान्यता-प्राप्त विद्यालयों पर प्रतिबन्ध

*१२—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, प्रयाग ने आगामी हाई स्कूल परीक्षा में कुछ छात्रों को इसलिये सम्मिलित होने से रोक दिया है कि वे किसी अमान्यता-प्राप्त विद्यालय में पढ़ रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम—जी हां ।

*१३—श्री उमाशंकर—यदि हां, तो क्या सरकार अब राज्य में किसी को बिना माध्यमिक शिक्षा परिषद् की पूर्वानुमति के हाई स्कूल खोलने की आज्ञा नहीं देगी ?

डाक्टर सीताराम—हाई स्कूल खोलने की अनुमति सरकार नहीं देती ।

श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि अमान्यता-प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को प्राइवेट छात्रों की तरह परीक्षा देने की सुविधायें देने में क्या कठिनाई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—प्राइवेट वही होते हैं जो किसी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं और यह शिक्षा की दृष्टि से बहुत ठीक नहीं मालूम होता है कि कोचिंग क्लासेज खोले जायं । इसी लिये उस पर यह प्रतिबन्ध लगाया गया है ।

श्री उमाशंकर—इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार कोई उपाय निकालेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, अभी एक सरक्यूलर इश्यू किया गया है कि जो जूनियर हाई स्कूल रिकग्नाइज्ड हैं लेकिन नाइंथ, टेंथ या और क्लासेज खोले हुये हैं, वे अगर उन क्लासेज को बन्द नहीं करेंगे तो उनके जूनियर हाई स्कूल का रिकाग्नीशन भी बिदड्रा कर लिया जायगा ।

आजमगढ़ जिले में सहायता प्राप्त वाचनालय तथा पुस्तकालय

*१४—श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि आजमगढ़ लिये में कितने वाचनालय और पुस्तकालय हैं और सरकार की ओर से उनमें से किन-किन को १९५४ ई० में सहायता मिली ?

डाक्टर सीताराम—आजमगढ़ जिले में राजकीय तथा सहायता प्राप्त कुल ५१ पुस्तकालय और ८२ वाचनालय हैं । इनमें से केवल १३ सहायता प्राप्त पुस्तकालय हैं जिनको (जैसा कि संलग्न सूची में दिया है ।) ६३२ रु० अनुदान वित्तीय वर्ष १९५४–५५ में दिया गया ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७६ पर)

श्री विश्राम राय—क्या सरकार को मालूम है कि आजमगढ़ में सबसे बड़ा पुस्तकालय मेहता पुस्तकालय है ? और यदि ऐसा है तो क्या सरकार उसको अधिक सहायता सालाना देने को तैयार है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसी कारण से उसको सबसे अधिक सहायता मिलती है २०० रु० की ।

*१५–१६—श्री उमाशंकर—[२३ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

प्रदेश में महिला-मंगल-योजना केंद्र

*१७—श्री राजाराम मिश्र (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस समय प्रदेश भर में महिला-मंगल योजना में कितने केन्द्र खोले जाने वाले हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—महिला मंगल-योजना इस समय प्रदेश भर में २३ जिलों में चालू है। इसके अन्तर्गत हर जिले में १५ केन्द्र खोले जाने वाले हैं, परन्तु शिक्षण प्राप्त ग्राम सेविकाओं के अनुपलब्ध होने के कारण अभी तक केवल ११५ केन्द्र ही खोले जा सके हैं। इस वर्ष यह योजना ७ नये जिलों में और कार्यान्वित की जायगी।

श्री राजाराम मिश्र—जो केन्द्र खुले हैं वे किन-किन जिलों में खुले हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—लखनऊ, रायबरेली, बहराइच, हमीरपुर, फैजाबाद, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, इटावा, मथुरा, देहरादून, बाराबंकी, बिजनौर, फतेहगढ़, जालौन, जौनपुर, नैनीताल, प्रतापगढ़, पीलीभीत, रामपुर, सीतापुर और उन्नाव में।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये ७ जिले कौन-कौन हैं जिनका उल्लेख अभी माननीय मंत्री जी ने किया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—इलाहाबाद, सहारनपुर, कानपुर, बलिया, मिर्जापुर, अल्मोड़ा और झांसी।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि क्या वह पश्चिमी जिलों में भी केन्द्र खोलने की कृपा करेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर—वह तो हमारा सभी जिलों में खोलने का विचार है, इस वक्त तक ३० जिलों को कवर किया गया है, अगले वर्ष सम्भव है कि और जिलों में भी खोले जायंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—सरकार ने जिस तरह ग्राम सेविकाओं की ट्रेनिंग का इंतजाम किया है क्या सरकार उससे बड़े पदों पर काम करने वाली लड़कियों की ट्रेनिंग का भी इंतजाम कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—तीन केन्द्रों में ६ मास की ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद उनको केन्द्र में रखा जाता है।

श्री राजाराम मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ग्राम सेविकाओं को उचित मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या उपाय सोचा है ?

आचार्य जुगलकिशोर—उसके लिए ट्रेनिंग सेन्टर खोले गये हैं जहां ट्रेनिंग दी जाती है, अभी तक ३ खोले गए हैं और चौथा खोलने पर विचार हो रहा है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इस प्रदेश में श्रीमती लीलावती मुन्शी जो महिला संघ चला रही हैं उसका भी इसी योजना से सम्बन्ध है या वह अलग चला रही हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—सम्बन्ध उस हदतक है कि वह सरकार के सुपरविजन में खोला गया है और उसको सरकार धन देती है और उसके इंतजाम में कुछ मेम्बर सरकार की तरफ से उस कमेटी में नामजद किए जाते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेविल पर महिला मंगल योजना डिस्ट्रिक्ट कमेटी के अन्तर्गत काम करेगी या इसके लिये अलग विभाग होगा ?

आचार्य जुगलकिशोर—यह योजना तो वेलफेयर डिपार्टमेंट के अन्तर्गत है लेकिन वह प्लानिंग विभाग के सहयोग से काम कर रही है।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतावेंगे कि महिला मंगल विकास की ट्रेनिंग के लिए केन्डीडेट्स पूरे मिल रहे हैं या कम मिल रहे हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—वैसे हर जगह ५० लिए जाते हैं लेकिन कहीं पर ४० और कहीं पर ६० तक संख्या हो जाती है ।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि महिला मंगल योजना और विमेन सोशल वेलफेयर में क्या अन्तर है और वह कहां चलाई जाती है ?

आचार्य जुगलकिशोर—अन्तर इनमें केवल इतना ही है कि वह एक सेन्ट्रल वेलफेयर बोर्ड केन्द्रीय सरकार की तरफ से कायम है, पहले यहां पर प्लानिंग विभाग इसको चलाता था और अब वेलफेयर विभाग चलाता है, योजना उसी आधार पर है जिस पर हमारी योजना चल रही है ।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि महिला मंगल योजना के अन्तर्गत ट्रेनिंग देने के लिये केम्प्स केवल विकास केन्द्रों में ही खोले जाते हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—यह आवश्यक नहीं है कि केम्प्स केवल विकास केन्द्रों पर ही खोले जायं, वे साधारणतया केन्द्रों में ही खोले जाते हैं लेकिन यह कोई आवश्यक नहीं है कि वह केवल विकास क्षेत्र में ही हों ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सेविकाओं की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या योग्यता है और क्या उनको तनख्वाह दी जाती है ?

आचार्य जुगलकिशोर—आठवीं जमाअत पास करना जरूरी है और उनको ४५ रुपये तनख्वाह और ११ रु० भत्ते का दिया जाता है ।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इस शिक्षण केन्द्रों में किस किस पद के लिये शिक्षा दी जाती है ?

आचार्य जुगलकिशोर—ग्राम सेविकाओं को शिक्षा दी जाती है । डिस्ट्रिक्ट आर्गनाइजर की जो नियुक्ति की जाती है उनको सिर्फ कुछ दिनों के लिये एक कैम्प खोला जाता है और उसमें कुछ ट्रेनिंग दी जाती है लेकिन शिक्षा प्रणाली के आधार पर तो सिर्फ ग्राम सेविकाओं को शिक्षा दी जाती है ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि महिला मंगल योजना के संचालन में जो व्यय होगा वह सब सरकार व्यय करेगी या अन्य किसी साधन से प्राप्त होगा ? यदि होगा तो कहां से और कितना ?

आचार्य जुगलकिशोर—सरकार ही उसको बरदाश्त करेगी ।

आजमगढ़ जिले में ऐतिहासिक औरंगजेबी मस्जिद

*१८—**श्री झारखंडे राय**—क्या सरकार बतायेगी कि दोहरीघाट (जिला आजमगढ़) में घाघरा के कटाव से एक पुरानी ऐतिहासिक औरंगजेबी मस्जिद के बचाने के लिये सरकार के पास वहां के नागरिकों की ओर से कोई आवेदन-पत्र आया है ? अगर हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या निर्णय किया है ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं, दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न को आधार बनाकर जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यदि इस सम्बन्ध में कोई आवेदन-पत्र आये ।

प्रान्तीय तथा क्षेत्रीय समाज कल्याण बोर्ड्स

*१९—**श्री महीलाल** (जिला मुरादाबाद)—क्या यह सही है कि सरकार कोई प्रान्तीय समाज कल्याण बोर्ड्स बनाने वाली है या बना चुकी है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां । राज्य समाज कल्याण बोर्ड बनाने के संबंध में सरकार विचार कर रही है ।

*२०—**श्री महीलाल**—क्या माननीय मंत्री महोदय यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वे क्षेत्रीय समाज कल्याण बोर्ड्स बनाने जा रहे हैं ? यदि हां, तो उसके सदस्यों की नियुक्ति किन-किन सिद्धान्तों के आधार पर होगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—क्षेत्रीय समाज कल्याण बोर्ड्स बनाने का विचार तो अभी नहीं है किन्तु यह विचार किया जा रहा है कि जिलों में समाज कल्याण समितियां बनाई जायं जो विभिन्न क्षेत्रों के समाज कल्याण कार्य का समन्वय करेंगी । किस आधार पर सदस्यों की नियुक्तियां इन समितियों में की जायगी यह भी विचाराधीन है ।

लखनऊ, इलाहाबाद और बनारस में बहरों तथा गूंगों की शिक्षा पर व्यय

*२१—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ, इलाहाबाद और बनारस में अलग-अलग बहरों और गूंगों की शिक्षा पर सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितना व्यय किया जाता है ?

आचार्य जुगलकिशोर—गत वर्ष (१९५४–५५) में इन जिलों में सरकार ने गूंगों और बहरों की शिक्षा पर निम्नलिखित धन व्यय किया था:—

		रु०
(१) मूक बधिर विद्यालय, लखनऊ	..	२०,७६४
(२) मूक बधिर प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ	..	१२,०००
(३) मूक बधिर विद्यालय, बनारस	..	२,०००
(४) मूक बधिर विद्यालय, इलाहाबाद	..	१३,०२९

इन स्कूलों पर व्यय प्रति वर्ष घटता बढ़ता रहता है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी गूंगों और बहरों की शिक्षा के लिये पिछले वर्ष की भांति उचित प्राविधान गजट में किया गया है ।

*२२—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बहरे और गूंगे की शिक्षा का प्रबन्ध प्रदेश के किन्हीं अन्य नगरों में भी किया जा रहा है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां । उपर्युक्त शहरों के अतिरिक्त बहरे और गूंगों की शिक्षा का प्रबन्ध गवर्नमेंट डेफ एण्ड डम्ब स्कूल, बरेली में भी है । अभी तक केवल गोरखपुर से एक ऐसा स्कूल खोलने की मांग आयी है जिस पर विचार किया जा रहा है । यदि अन्य स्थानों में भी आवश्यकता प्रतीत हुई तो उस पर भी विचार किया जायगा ।

*२३—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**—यदि नहीं, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय समाज-कल्याण मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी पिछले दिनों विदेश से आई हुई एक महिला जो गूंगी और बहरी थीं उन्होंने हमारे प्रदेश के इन स्कूलों का निरीक्षण किया था और उन्होंने कुछ सुझाव भी दिये थे ?

आचार्य जुगलकिशोर—इसकी तो मुझे नोटिस चाहिये । मेरे पास कोई सूचना इस वक्त नहीं है ।

श्री व्रजभूषण मिश्र(जिला मिर्जापुर) --क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इन गूंगे बहरों की शिक्षा कितने वर्ष की होती है और औसतन साल भर में कितने छात्र शिक्षित होकर निकलते हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—मुझे इसकी सूचना पूरे तौर से नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि उनको शिक्षा तब तक दी जाती है जब तक कि वे इस लायक न हो जायं कि वे स्वावलम्बी बन सकें ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ये बहरों और गूंगों के स्कूल हैं प्राइवेट या सरकारी उनके साथ होस्टल भी अटैच्ड हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—आपके इस सुझाव पर विचार किया जायगा । ज्यादातर जो ऐसे स्कूल हैं उनके साथ होस्टल्स लगे हुए हैं, लेकिन जहां पर नहीं है वहां कोशिश की जा रही है कि होस्टल्स का इन्तजाम हो जाय ।

श्री रामदास (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो गूंगे और बहरे शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं उनको भविष्य में रोजगार देने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

आचार्य जुगलकिशोर—कोई खास योजना तो सरकार की तरफ से नहीं बनी है । जो योजनायें चल रही हैं उनको सरकार ने देख कर समझा कि ठीक है । मेरे खयाल में कोई खास योजना हमारे पास नहीं है जिसको लागू करने के लिये बाध्य करें ।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि गूंगों और बहरों को जो तालीम दी जाती है वह किस किस्म की है ? वह मामूली तालीम होती है या टेक्निकल तालीम भी दी जाती है ?

आचार्य जुगलकिशोर—उनको टेक्निकल तालीम दी जाती है । उद्योग धंधे सिखायें जाते हैं, जिससे कि वे स्वावलम्बी बन सकें ।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार ने इस पर गौर किया है कि एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज को इस बात की हिदायत की जाय कि वे गूंगों और बहरों को जो टेक्नीकल तालीम दी जाती है उनकी नौकरी के लिये भी बन्दोबस्त करें ?

आचार्य जुगलकिशोर—मेरे खयाल में तो कोई रुकावट है नहीं, एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज के लिये ऐसे व्यक्तियों को नियुक्ति दिलाने में लेकिन साधारणतया ऐसे व्यक्ति वहां जाते नहीं ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करने की कृपा करेंगे कि सरकार के यहां कितना बेंत का काम होता है वह सब प्रदेशों में अन्धों और गूंगों को दिलाने का प्रयत्न किया जायगा ?

आचार्य जुगलकिशोर—यह तो विचार करने की बात है कि बेंत के काम में उन्हीं को लगाया जाय । जहां-जहां ऐसे केन्द्र शिक्षा के हैं वहां केन का काम भी सिखाया जाता है ।

देवरिया जिले में मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

*२४—श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले में शिक्षा विभाग द्वारा १९५१ से अब तक कितने उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता दी गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—सन् १९५१ से अब तक देवरिया जिले में ९ विद्यालयों को नवीन मान्यता प्रदान की गई ।

*२५—श्री रामजी सहाय (अनुपस्थित)—इन मान्यता प्राप्त किन-किन शिक्षण संस्थाओं को वार्षिक राज्य सहायता प्राप्त होती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—(१) हायर सेकेन्डरी स्कूल, त्रुपट्टी ।
(२) खेतान हायर सेकेन्डरी स्कूल, लक्ष्मीगंज ।
(३) अनन्त आदर्श हायर सेकेन्डरी स्कूल, गनियारी ।
(४) शहीद रामचन्द्र हायर सेकेन्डरी स्कूल, बसन्तपुर ।

झांसी विधवा आश्रम तथा अनाथालय को सहायता

*२६—श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी विधवा आश्रम तथा अनाथालय को वह कितनी सहायता देती है ?

आचार्य जुगलकिशोर—झांसी विधवा आश्रम तथा अनाथालय का संचालन करने वाली दीनहितकारिणी सभा, झांसी को सरकार ने १९५२–५३ और १९५३–५४ में ५०० रु० और १९५४–५५ में १००० रु० की सहायता दी है ।

श्री गज्जूराम—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि झांसी अनाथालय व विधवा आश्रम में कोई कमेटी भी है ? अगर कमेटी है तो उसका चुनाव कब से नहीं हुआ है ?

आचार्य जुगलकिशोर—एक कमेटी बनाने का विचार हो रहा है जिसका जिक्र मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में दिया था कि एक स्टेट लेविल पर एक कमेटी बनाई जाय और दूसरी कमेटी बनाने की योजना अभी नहीं है ।

श्री गज्जूराम—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि झांसी अनाथालय में कोई कार्पेंटरी स्कूल भी चल रहा है ?

आचार्य जुगलकिशोर—यह तो मुझे ठीक तौर से मालूम नहीं कि वहां पर कार्पेंटरी की शिक्षा भी है या नहीं ।

जौनपुर जिले के हायर सेकेण्डरी स्कूलों को सहायता

*२७—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में किन-किन हायर सेकेन्डरी स्कूलों को किन-किन मदों में अलग-अलग कितनी-कितनी सरकारी सहायता सन् १९५२, ५३ और १९५४ में दी गई है ?

डाक्टर सीताराम—एक सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७७–८५ पर)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—१३७ हायर सेकेन्डरी स्कूलों की सूची है, इसमें नम्बर ५ पर जो श्री गांधी स्मारक हायर सेकेन्डरी स्कूल, समोधपुर है इसके लिए १९५२–५३, १९५३–५४ और १९५४–५५ में भवन का अनुदान साढ़े आठ हजार रुपया दिया गया है, क्या कारण है कि सब स्कूलों से इसको भवन के अनुदान पर अधिक रुपया दिया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—इसकी आवश्यकता अधिक रही होगी ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार को पता है कि इस हायर सेकेन्डरी स्कूल के मकान की मरम्मत के खर्चे की बात आडिटर ने एतराज किया था ?

श्री हरगोविन्दसिंह—इसकी कोई इत्तिला सरकार को नहीं है ।

आजमगढ़ जिले में मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों को सहायता

*२८—श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में कितने मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालय हैं ?

डाक्टर सीताराम—५७ विद्यालय ।

*२९—श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उनमें से प्रत्येक को कितनी-कितनी सहायता मिलती है ?

डाक्टर सीताराम—राज्य सहायता केवल २१ विद्यालयों को मिलती है । सूचना संलग्न तालिका में प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८६ पर)

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात है कि इस तालिका में दी हुई क्रम-संख्या १,१४,१५ और १६ ऐसे कालेजेज हैं जिनमें संस्कृत की उच्चतम कक्षा तक शिक्षा दी जाती है ?

डाक्टर सीताराम—हां, दी जाती होगी ।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय शिक्षा मंत्री इन विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा को दृष्टि में रखते हुए इन विद्यालयों की आजादी में कुछ विरोध करने के प्रश्न पर विचार करने को तैयार हैं ?

डाक्टर सीताराम—सरकारी अनुदान तो शिक्षा संहिता के अनुच्छेद के अनुसार दिया जाता है जिसमें यह है कि आय और व्यय का अन्तर अथवा व्यय का आधा, इन दोनों में से जो रकम कम हो, डिपार्टमेंट देता है । इसके हिसाब से ग्रांट संस्कृत विद्यालयों को दी जाती है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब संस्कृत स्कूलों को सरकार से अनुदान दिया जाता है तो उसमें इस बात का भी विचार होता है कि किन स्कूलों में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, इस पर भी विचार किया जाता है ।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या यह सच है कि सरकार द्वारा नियुक्त संस्कृत शिक्षा परिषद् ने पिछले तीन वर्षों में जिन पाठशालाओं को अनुदान देने की सिपारिश की थी उनको यह सहायता नहीं मिली ?

श्री हरगोविन्दसिंह—अगर संस्कृत पाठशालाओं के इंस्पेक्टर ने उसके लिये सिपारिश की होगी तो जरूर मिली होगी अगर नहीं की तो नहीं मिली होगी ।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या मंत्री जी इसको नोटिस समझ कर जांच कराने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन साल से ग्रांट नहीं मिली ?

श्री हरगोविन्दसिंह—यह जरा दूसरा सवाल स्पष्ट नहीं है । मैंने कहा था कि समिति द्वारा जिनकी सिपारिश हुई और संस्कृत पाठशालाओं के इन्स्पेक्टर ने उसे मान कर उसकी सिपारिश की, उन सबको अनुदान मिला होगा ।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो सहायता दी जाती है यह कितने दिनों से बराबर ही सहायता दी जा रही है?

श्री हरगोविन्दसिंह—इसकी तो सूचना चाहिये कि कितने दिनों से दी जा रही है, अगर उनकी वही स्थायी चीज है तो वही उनको अनुदान भी उतना ही मिलेगा।

*३०-३१—**श्री गंगाधर शर्मा** (जिला सीतापुर)—[७ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ३५-३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

आगरे में जान्स मिल्स लिमिटेड की बन्दी

*३२—**श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा)—क्या सरकार को विदित है कि आगरे में जान्स मिल्स लिमिटेड के बन्द हो जाने से मजदूरों में बड़ी बेचैनी है और कुछ मजदूर कलेक्टर की कोठी पर धरना दे रहे हैं?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, श्रमिकों में बेचैनी अवश्य है, परन्तु इस समय कोई श्रमिक कलेक्टर की कोठी पर धरना नहीं दे रहे हैं।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस मिल के बन्द हो जाने से कितने आदमी बेकार हो गये हैं?

आचार्य जुगलकिशोर—उनकी संख्या की इस समय मुझे कोई सूचना नहीं है। मैं मालूम करा सकता हूं कि कितने लोग बेकार हो गये हैं।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस मिल को पुनः चालू कराने के लिये क्या प्रयत्न हो रहे हैं?

आचार्य जुगलकिशोर—इसके संबंध में श्रम विभाग की तरफ से प्रयत्न किया गया है कि इसको चालू किया जाय लेकिन कोर्ट का फैसला जो दिया गया था उसके खिलाफ हाईकोर्ट में एक अपील दाखिल की गई है और उसके कारण वह फैसला पूरी तरह से लागू नहीं कराया गया।

कानपुर टैक्सटाइल मिल की बन्दी तथा मजदूरों की बेकारी

*३३—**श्री जोरावर वर्मा** (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार को विदित है कि कानपुर टैक्सटाइल मिल, दिनांक २५ मार्च, १९५५ ई० से बन्द हो गयी है? यदि हां, तो क्यों?

आचार्य जुगलकिशोर—यह मिल २५ मार्च सन् १९५५ से बन्द हो गई थी किन्तु २७ जून, १९५५ से फिर खुल गई है। मिल बन्द होने का कारण यह था कि मिल के डौफरों ने कताई विभाग की पुनः संगठन योजना के अनुसार कार्य करने से इंकार कर दिया था। फलस्वरूप बाबिन न मिलने से मिल के अन्य विभागों का चलना असंभव हो गया और मिल मालिकों ने २५ मार्च, १९५५ ई० से समस्त श्रमिकों को बैठकी पर भेज दिया।

*३४—**श्री जोरावर वर्मा**—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस मिल के बन्द हो जाने के कारण लगभग २,७०० मजदूर बेकार हो गये हैं जिसके कारण नगर की श्रम स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गई है?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां। मजदूर जरूर बेकार हो गये थे, परन्तु नगर की श्रम स्थिति पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा।

*३५—**श्री जोरावर वर्मा**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस संबंध में अभी तक उसने क्या कार्यवाही की है?

आचार्य जुगलकिशोर—सरकार ने दोनों पक्षों में समझौता कराने का प्रयत्न किया और अब मिल पुनः चल रही है।

श्री जोरावर वर्मा---क्या यह सही है कि इस मिल के मजदूरों के प्रति सरकार की उपेक्षा पूर्ण नीति के कारण कानपुर में सभी मिलों में लगभग ३ महीने तक जनरल स्ट्राइक रही ?

आचार्य जुगलकिशोर---इसके कारण ही वहां पर हड़ताल हुई यह मुझे मालूम नहीं है ।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो मजदूर इस मिल में काम पर गये वह इसी मिल के मजदूरों और मालिकों में समझौता होने के कारण गये या जितनी मिलें हैं उनके मजदूरों और मालिकों में समझौता होने के कारण काम पर गये ?

आचार्य जुगलकिशोर---आपस में मिल मालिकों और मजदूरों में समझौता हुआ और उसी के आधार पर वह काम पर वापस गये, जहां तक मैं आपका प्रश्न समझ सका हूं उसके आधार पर यह उत्तर है ।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय श्रम मंत्री जी, जैसा कि वह कल कह रहे थे, कानपुर में मजदूरों की स्थिति पर कोई स्टेटमेंट देने की मेहरबानी करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---यह इससे नहीं पैदा होता । आप इस बात को प्रश्नों के समय के बाद पूछ सकते हैं ।

*३६-३७---श्री कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नगुरु (जिला इलाहाबाद)---[७ सितम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ३७-३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

कानपुर की म्योर तथा स्वदेशी मिलों में रेशनलाइजेशन योजना तथा मजदूरों में बेकारी

*३८---श्री राजनारायण (जिला बनारस)---क्या श्रम मंत्री को यह मालूम है कि कानपुर के म्योर और स्वदेशी मिल के मालिकों ने काम बढ़ौती की योजना लागू कर दी है और फलतः सैकड़ों मजदूर इन मिलों में इस योजना का विरोध करने के कारण मुअत्तल कर दिये गये हैं और सैकड़ों मजदूर फालतू हो गये हैं ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर---म्योर और स्वदेशी काटन मिलों में कोई भी मजदूर रैशनलाइजेशन योजना के संबंध में मुअत्तल नहीं किया गया है और न कोई बेकार हुआ है ।

*३९---श्री राजनारायण---क्या श्रम मंत्री को मालूम है कि मुख्य मंत्री यह आश्वासन दे चुके हैं कि रेशनलाइजेशन या काम बढ़ौती की योजनाओं के अन्तर्गत कानपुर के कपड़ा मिलों में कोई मुस्तकिल या एवजीदार मजदूर निकाला नहीं जायेगा ? यदि हां, तो उनके इस आश्वासन का उल्लंघन करने पर म्योर और स्वदेशी मिल के मालिकों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर---ये प्रश्न नहीं उठते ।

*४०---श्री राजनारायण---क्या श्रम मंत्री यह बतायेंगे कि मिलों में जो एवजीदार सन् ५३ और ५४ में २४० दिन से अधिक काम कर चुके हैं उन्हें मुस्तकिल करने के लिये सरकार कोई राजाज्ञा लागू करने जा रही है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी नहीं । मिलों के स्थायी आदेशों में सामान्यतः एवजीदारों के लिये हमेशा एवज में कार्य करने की व्यवस्था होती है ।

बाढ़ और सूखा पड़ने के कारण सैदपुर तहसील में बेकारी

*४१---श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार को मालूम है कि गत ५ वर्षों से लगातार बाढ़ और सूखा पड़ने के कारण सैदपुर तहसील में बेकारी बहुत बढ़ गयी है? सरकार बेकारी दूर करने के लिये क्या उपाय कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—बाढ़ सूखा का और इन वर्षों में कोई विशेष प्रभाव जीविकोपार्जन (employment) पर नहीं पड़ा है। सरकार जो सहायता इस संबंध में साधारणतः दिया करता है, वह इस तहसील में भी दी गई है।

श्री कमलासिंह—क्या सरकार को मालूम है कि गत ५ वर्षों में लगातार बाढ़ और सूखा से यह तहसील परेशान हो रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—बाढ़ और सूखा से जरूर तकलीफ होती है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो सहायता दी जाती है वह इस ख्याल से दी जाती है कि जो उनको असुविधायें और तकलीफें होती हैं वह दूर की जायं।

श्री कमलासिंह—क्या सरकार को मालूम है कि इस तहसील में कृषि के अलावा कोई उद्योग धंधा लोगों के लिये नहीं है ?

आचार्य जुगलकिशोर—इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है कि कोई भी उद्योग धंधा वहां पर नहीं है, यह कहना मुश्किल है।

गयाप्रसाद लाइफ सेविंग फण्ड की मैनेजिंग कमेटी

*४२—**श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा** (जिला कानपुर)—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि छोटेलाल गयाप्रसाद ट्रस्ट, कानपुर की प्रार्थना पर सन् १९१९ में गयाप्रसाद लाइफ सेविंग फंड की सरकार द्वारा स्थापना हुई थी और उसके फंड द्वारा दूसरों की प्राण-रक्षा करने वालों को पारितोषिक दिये जाया करते थे ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, किन्तु इस फंड की स्थापना १९०९ में हुई थी।

*४३—**श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि छोटेलाल गया प्रसाद ट्रस्ट, कानपुर से संबंधित गयाप्रसाद लाइफ सेविंग फंड के कोष के कार्य संचालन हेतु जो कमेटी बना करती थी वह कब से नहीं बनी ?

आचार्य जुगलकिशोर—जिलाधीश, कानपुर की रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि इस कोष की मैनेजिंग कमेटी की बैठक दिसम्बर, १९४६ के बाद से नहीं हुई है।

*४४—**श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस फंड का अपना कितना कोष हो गया है और उसके उपयोग के लिये क्या कार्यवाही हो रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—इस फंड में १९९८३ रु० १२ आ० ४ पाई हैं। इसके उपयोग के प्रश्न पर मैनेजिंग कमेटी की अगली बैठक में विचार किया जायगा।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार बतायेगी कि विधान सभा के कौन सदस्य इस समिति के सदस्य निर्वाचित हुये ?

आचार्य जुगलकिशोर—मेरे पास कोई सूचना इस समय इस फाइल में नहीं मालूम पड़ती है कि कौन सदस्य नियुक्त हुये हैं, मालूम करके बता सकता हूं।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार को मालूम है इस समिति की बैठकें सन सन् १९३६ से आज तक कभी नहीं हुई ?

आचार्य जुगलकिशोर—जहां तक मेरी खबर है सन् १९४६ से नहीं हुई।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार को मालूम है कि इस फंड की स्थापना २० हजार रुपया से हुई थी और ब्याज मिलाकर कुछ अधिक रुपया होना चाहिये जो रकम बतायी गयी है वह कम है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जिस रकम का मैंने जिक्र किया है गवर्नमेंट की इत्तिला जहां तक है वहां है। यदि संदेह हो तो जांच की जा सकती है।

गाजीपुर की मुहम्मदाबाद तहसील के भीतर हरिजनों के लिये कुएं

*४५—**श्री शिवपूजन राय** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर के मुहम्मदाबाद तहसील के अन्दर सन् १९५२–१९५३ और १९५४ ई० में हरिजनों के पानी पीने के लिये अलग-अलग वर्ष में कुल कितने कुओं का सरकार ने निर्माण कराया है?

डाक्टर सीताराम—जिला गाजीपुर की मुहम्मदाबाद तहसील में हरिजनों के पानी पीने हेतु निम्नलिखित कुएं प्रतिवर्ष निर्माण कराये गये :

वर्ष		कुओं की संख्या
१९५२–५३	..	.. २
१९५३–५४	..	.. ५
१९५४–५५	..	.. ५
		१२

श्री शिवपूजन राय—क्या सरकार बतायेगी कि जो १२ कुएं बने हैं वे किन-किन ग्रामों में बने हैं?

डाक्टर सीताराम—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री उमाशंकर—क्या सरकार बतायेगी कि इन कुओं पर कुल मिलाकर कितना रुपया खर्च हुआ है?

डाक्टर सीताराम—इन कुओं पर ५२–५३ में १,५०० रुपया और ५३–५४ में २,२९० रुपया, कुल मिलाकर ३,७९० रुपया खर्च हुआ।

हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजरों तथा शिक्षा सुपरवाइजरों का ग्रेड

*४६—**श्री बाबूनन्दन** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजरों का क्या ग्रेड रखा गया है और हरिजन शिक्षा सुपरवाइजरों का क्या ग्रेड रखा गया है?

डाक्टर सीताराम—१ अप्रैल, १९५५ से हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजरों तथा हरिजन शिक्षा सुपरवाइजरों दोनों का एक ही ग्रेड कर दिया गया है अर्थात् ५०–४–८० ई० बी० ५–१०० हो गया है।

*४७—**श्री बाबूनन्दन**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वेलफेयर सुपरवाइजरों की सर्विस स्थायी है या अस्थायी?

डाक्टर सीताराम—हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजरों की पदें अस्थायी हैं।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आजकल कुल कितने हरिजन सुपरवाइजर ग्रेड फर्स्ट के हैं?

डाक्टर सीताराम—आजकल कुल ७२ हैं।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने हरिजन सुपरवाइजर स्थायी हैं और कितने अस्थायी हैं?

डाक्टर सीताराम—२१ स्थायी हैं और ५१ अस्थायी।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजर के काम को कंट्रोल करने के लिये सरकार जिले में हरिजन आफिसर रखने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—गत कई महीनों से यह विचाराधीन है ।

श्री रामदास आर्य—क्या माननीय मंत्री जी हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजर का क्या काम है, बताने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—सन् ५२ में जो संचालक का आर्डर है उसको आप पढ़ लें तो उसमें करीब १०० के कार्य हैं, उसको देख सकते हैं।

श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजर और हरिजन शिक्षा सुपरवाइजर के पदों पर हरिजनों के अलावा और लोग भी रखे जाते हैं ?

डाक्टर सीताराम—ऐसा रखने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो हरिजन वेलफेयर सुपरवाइजरों के अलग-अलग ग्रेड बनाये गये हैं उनका क्या आधार है, क्वालीफिकेशन आधार है या उनका कार्य ?

डाक्टर सीताराम—क्वालीफिकेशन और कार्य दोनों ।

आजमगढ़ जिले में हरिजनों के लिये पक्के कुएं

*४८—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में सन् ५२ से ५४ तक हरिजनों के पानी पीने के लिये अलग-अलग वर्ष में कुल कितने पक्के कुओं का सरकार ने निर्माण कराया है ?

डाक्टर सीताराम—आजमगढ़ जिला की प्रत्येक तहसील में सन् १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में निम्नलिखित पक्के कुओं का निर्माण कराया गया :—

तहसील	१९५२-५३ ई०	१९५३-५४ ई०
(१) सदर ..	७	५
(२) फूलपुर —	..	१०
(३) लालगंज	३	२
(४) मुहम्मदाबाद	६	३
(५) घोसी	—	१०
(६) सगड़ी	३	३
योग ..	१९	३३

इसके अतिरिक्त सन् १९५४-५५ में निम्नलिखित कुओं के निर्माण के लिये अनुदान की स्वीकृति दी गई :

(१) सदर	२३
(२) फूलपुर	२८
(३) लालगंज	१६
(४) मुहम्मदाबाद	१८
(५) घोसी	४३
(६) सगड़ी	३२
योग ..	१६०

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३ में फूलपुर और घोसी तहसील में हरिजन कुओं का निर्माण क्यों नहीं हुआ ?

डाक्टर सीताराम—इसी से तो सन् १९५३-५४ में वहां सब तहसीलों से ज्यादा दस-दस कुएं कर दिये गये हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि हरिजन कुओं के निर्माण हेतु जो ग्रान्ट दी जाती है उनको हरिजन अपने यहां तक ले जाने में असमर्थ होते हैं, जिनके कारण हरिजन कुएं काफी तादाद में नहीं बन पाते ?

डाक्टर सीताराम—उनको तो सामान ले जाना ही पड़ेगा अगर कुआं बनवाना है तो जिस तरीके से चाहें ले जा सकते हैं।

*४९-५०—**श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय** (जिला गोरखपुर)—[२३ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*५१—**श्री बाबूनन्दन**—[९ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

देवरिया के बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों के छात्रों की फीस मुआफी

*५२—**श्री रामसुभग वर्मा** (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में प्राइमरी, जूनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के छात्रों की फीस मुआफी के मद में इस वर्ष कुल कितनी सहायता दी गई ?

डाक्टर सीताराम—पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाढ़ पीड़ित जिलों के उन विद्यार्थियों को जिनके अभिभावक फीस देने में असमर्थ हैं अगस्त, १९५५ से दिसम्बर, ५५ तक के लिये निःशुल्क करने के आदेश ९ अगस्त, १९५५ को दे दिये गये हैं। इस मद में इस वर्ष कितना व्यय होगा यह अभी बतलाना सम्भव नहीं है।

गत वर्ष इस मद में देवरिया जिले के छात्रों को कुल ५७,९२२ रु० की सहायता प्रदान की गई थी।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष में इस मद में किन-किन स्कूलों को कितना-कितना रुपया दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। बहुत लम्बा चौड़ा प्रश्न है।

नेशनल हायर सेकेन्डरी स्कूल, कादीपुर, जिला सुल्तानपुर के अध्यापकों का वेतन न पाने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

*५३—**श्री उमाशंकर**—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि कादीपुर नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल, जिला सुल्तानपुर के अध्यापकों ने अपना वेतन न पाने इत्यादि के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र सरकार तथा अधिकारियों को दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल, कादीपुर (सुल्तानपुर) के अध्यापकों का प्रार्थना-पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक सुल्तानपुर को प्राप्त हुआ था।

जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्वयं जाकर फरवरी, १९५५ तक का वेतन अध्यापकों को बंटवा दिया है। विद्यालय द्वारा धन का प्रबन्ध किया जा रहा है और आशा है कि निकट भविष्य में समस्त अध्यापकों को जुलाई, १९५५ तक का वेतन दे दिया जायगा।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि विद्यालय किन कारणों से वेतन नहीं दे सका जिसकी वजह से अध्यापकों को दरख्वास्त देने की जरूरत पड़ी ?

डाक्टर सीताराम—धनाभाव के कारण।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यापकों ने जो प्रार्थना-पत्र दिया था, क्या किसी मैनेजर या संचालक मंडल के खिलाफ दिया था?

डाक्टर सीताराम—इस सम्बन्ध में तो कोई सूचना नहीं है कि आवेदन-पत्र दिया था।

श्री उमाशंकर—क्या सरकार को यह पता है कि उस देहात के लोगों ने पिछली लड़ाई के जमाने में जो सरकार को कर्जा दिया था उसका रुपया उस विद्यालय को कितना दिया गया है?

डाक्टर सीताराम—इसके लिये सूचना चाहिये।

*५४-५५—**श्री गुप्तारसिंह** (जिला रायबरेली)—[२३ सितम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

हाईस्कूल व इण्टरमीडियेट परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या तथा परीक्षा में नकल आदि रोकने की व्यवस्था

*५६—**श्री विश्रामराय** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस वर्ष हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा में कितने परीक्षार्थी बैठे हैं और परीक्षा में गत वर्ष की तरह नकल आदि व्यवस्था रोकने के लिये सरकार ने क्या विशेष रोक-थाम की व्यवस्था की है?

श्री हरगोविन्द सिंह—सन् १९५५ की हाईस्कूल परीक्षा में २,००,६३८ तथा इंटरमीडिएट परीक्षा में ७८,४३२ परीक्षार्थी बैठे थे।

गत वर्ष जिन परीक्षा केन्द्रों पर नकल आदि करने के मामले पाये गये थे उन्हें इस वर्ष परीक्षा केन्द्र नहीं रखा गया। ऐसे केन्द्रों के व्यवस्थापकों तथा संबंधित निरीक्षकों को दो वर्ष के लिए परिषद् के पारिश्रमिक कार्य से वहिष्कृत किया गया। जिन ऐसे विद्यालयों को स्थानाभाव के कारण परीक्षा केन्द्र पुनः बनाना पड़ा, वहां यथासम्भव बाहरी केन्द्र व्यवस्थापक तथा निरीक्षक रक्खे गये और वहां के संस्थागत विद्यार्थियों को अन्य परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा देने के लिए व्यवस्था की गई।

जालौन जिले में सरकार को जागीरदार से प्राप्त तीन पक्की इमारतों की मरम्मत तथा हस्तान्तरण सम्बन्धी शर्तें

*५७—**राजा वीरेन्द्रशाह** (जिला जालौन)—क्या सरकार को मालूम है कि जिला जालौन में तीन पक्की इमारतों (जूनियर हाई स्कूल, जगम्मनपुर, प्राइमरी स्कूल, जगम्मनपुर और प्राइमरी स्कूल, उमरी) की, जिन्हें जागीरदार ने दिया है, १९५२ से आज तक मरम्मत नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों नहीं?

डाक्टर सीताराम—जूनियर हाई स्कूल जगम्मनपुर के भवन की मरम्मत हो रही है, प्राइमरी स्कूल उमरी के भवन की मरम्मत की गई है, परन्तु प्राइमरी स्कूल जगम्मन-पुर के भवन की मरम्मत अभी नहीं की गई है। उसके लिये आदेश दिये जा रहे हैं।

*५८—**राजा वीरेन्द्रशाह**—क्या सरकार उन शर्तों को बताने की कृपा करेगी जिन पर यह तीन इमारतें सरकार को दी गई हैं?

डाक्टर सीताराम—राजा साहब जगम्मनपुर ने ५ जनवरी, १९५४ के पत्र में अध्यक्ष जिला बोर्ड जालौन को लिखा था कि उनकी जागीर में जो भवन स्कूलों के लिये निर्धारित हैं उनको वे उन्हीं स्कूलों के लिये दान में देते हैं जिसमें निम्नांकित शर्तें रहेंगी :—

(१) जगम्मनपुर जूनियर हाई स्कूल का नाम उनकी पूज्या माता जी के नाम पर होगा और उसमें उनके नाम का पत्थर स्कूल के भवन में लगवा दिया जायगा।

(२) जगम्मनपुर प्राइमरी स्कूल उनके लघु भ्राता श्री नरेन्द्रशाह के नाम पर होगा और उसमें उनके नाम का पत्थर उसके भवन में लगवा दिया जावेगा।

(३) प्राइमरी स्कूल उमरी का नाम रानी बुन्देलनजूदेवी के नाम पर रहेगा और उनके नाम का पत्थर उसके भवन में लगवा दिया जायगा।

(४) जब कभी ये स्कूल तोड़ दिये जायंगे तो ये भवन उनको बिना खर्च वापस दिये जायें।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार को मालूम है कि जगम्मनपुर के प्राइमरी स्कूल में एक कमरा गिर गया है ?

डाक्टर सीताराम—अभी मरम्मत नहीं हुई है, हो सकता है कि ऐसा हुआ हो।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार को यह भी मालूम है कि मरम्मत करने का तरीका यह है कि मास्टर को रुपया दिया नहीं जाता है और वह अपने पैसे से मरम्मत कराये, उसके बाद रुपया दिया जाता है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—इसकी जिम्मेदारी तो, अपने स्कूलों की डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की हुआ करती है। किस तरह से करते हैं इसकी तो कोई सूचना नहीं है।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि इस तरह की दिक्कत उन मास्टरों को आती है कि रुपया न होने की वजह से स्कूलों की इमारतों की मरम्मत नहीं होती है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—इसका तो स्पष्ट सम्बन्ध डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से ही है कि वह अपने स्कूलों की मरम्मत किस प्रकार से कराता है। सरकार द्वारा इसकी जांच की आवश्यकता नहीं मालूम होती है।

कल्याणपुर सेटिलमेंट, जिला कानपुर में कथित लांग क्लाथ का गबन

*५९—**श्री शिवनारायण** (जिला बस्ती)—क्या यह सही है कि कल्याणपुर सेटिलमेंट, जिला कानपुर के अन्तर्गत लांग क्लाथ के विषय में कोई गबन हुआ है ? यदि हां, तो कितने का ?

श्री हरगोविन्दसिंह—नहीं।

*६०—**श्री शिवनारायण**—क्या उसकी जांच हो चुकी है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—अभी जांच हो रही है।

*६१—**श्री शिवनारायण**—उस विभाग के काम करने वाले सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--सन् १९५० से फरवरी, १९५२ तक जो अफसर थे उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है ।

उत्तर प्रदेशीय तहवीलदार यूनियन की ट्रेड यूनियन ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्ट्री

*६२--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उत्तर प्रदेशीय तहवीलदार यूनियन ट्रेड यूनियन ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या श्रम विभाग द्वारा बनाये गये नियम उक्त कर्मचारियों पर लागू हो गये हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--(क) यू० पी० तहलवीलदार्स यूनियन, पीलीभीत, इन्डियन ट्रेड यूनियन्स ऐक्ट, १९२६, के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हो चुकी है ।

(ख) तहवीलदार सरकारी खजांचियों के प्राइवेट कर्मचारी हैं और ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिन पर श्रम विभाग के नियम साधारणतः लागू होते हैं ।

विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार की योजना

*६३--श्री तेजप्रतापसिंह (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार के पास विद्यार्थियों में फैली अनुशासनहीनता को रोकने के लिये कोई योजना केन्द्रीय सरकार ने भेजी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी नहीं, केन्द्रीय सरकार ने कोई ऐसी योजना नहीं भेजी है ।

*६४--श्री तेजप्रतापसिंह--यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ जिले में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को सहायता

*६५--श्री विश्रामराय--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में १९५४-५५ में किन-किन उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को कितनी-कितनी सहायता सरकार की ओर से दी गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह--सदस्य महोदय की मेज पर एक तालिका रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ ८७-८९ पर)

बलिया जिले में गंगा नदी की बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री रामनारायण त्रिपाठी ने भेजा है । वह इस प्रकार है :--"

"बलिया में गंगा का पानी संकट बिन्दु पार कर गया है तथा बलिया बैरिया बांध बसारिकापुर के पास दो स्थानों पर टूट गया है जिससे डेढ़ लाख एकड़ भूमि जलमग्न है । इससे उत्पन्न भीषण परिस्थिति पर वाद विवाद के लिये सदन अपना कार्य स्थगित करता है ।"

बाढ़ के सम्बन्ध में यहां पर काफी वाद विवाद हो चुका है और उसमें यह भी प्रश्न सदन के सामने था कि बरसात खत्म नहीं हुई है इसलिये परिस्थिति कहीं-कहीं पुनः गम्भीर हो सकती है । उसके ऊपर भी विचार इस सदन में पूरी तरह से हो चुका था । तो अगर बीच-बीच में ज्यादा बाढ़ आ जाय तो हर वाकये पर फिर से सदन में बहस होना मैं उचित नहीं समझता और इसके लिये मैं अनुमति नहीं देता हूं कि इतना अर्जेन्ट इस वजह से यह प्रश्न हो जाता है । तमाम चीजों के ऊपर इस सदन ने विचार करके कि क्या कार्यवाही करनी चाहिये अपनी राय कायम कर ली थी और सरकार ने भी अपनी राय दे दी थी । तो उस हिसाब से कार्यवाही होगी जब

[श्री अध्यक्ष]

जब बाढ़ आयेगी ऐसा हमें स्वीकार करना चाहिये। इसलिये बार-बार वाद विवाद के लिये मैं इजाजत नहीं दूंगा।

डाकू मानसिंह के मारे जाने का समाचार

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, आज समाचार-पत्रों में डाकू मानसिंह के मारे जाने का समाचार छपा है और इस सम्बन्ध में यह भी छपा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी को कुछ विशेष सूचना दी गयी है। चूंकि इस प्रदेश में भी बड़ी चिन्ता इस सम्बन्ध में थी, तो क्या हम माननीय मुख्य मंत्री से कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, किसी की मृत्यु पर खुशी मनाना तो, कोई अच्छी बात नहीं है, परन्तु यह बात सच है कि मानसिंह की मृत्यु हुई है और इससे इस प्रदेश के विंध्य प्रदेश के, मध्यभारत के और राजस्थान के रहनेवालों को बहुत ही राहत मिली है। इतना ही नहीं मैं कह सकता हूं कि जहां तक सूचना की बात है, कल रात को कोई ८, सवा ८ बजे मध्य भारत के गृह मंत्री श्री दीक्षित ने मुझको टेलीफोन से इसकी खबर दी कि भिंड क्षेत्र में पुलिस से मुठभेड़ हुई जिसके फलस्वरूप मान सिंह गोली से मारा गया। बाद को यह खबर भी आयी कि उसके दल का एक खास आदमी रूपा जो मरा नहीं घायल हुआ है वह भी गिरफ्तार हो गया है, इससे और अधिक सूचना हमारे पास नहीं है। मध्य भारत के गृह मंत्री जी वहां जा रहे थे। जाने के पहले ही उन्होंने खुद खबर दी और वह शायद पहुंच गये होंगे और जो ज्वाइंट कमान्डर हैं श्री इसलाम अहमद वे भी उस जगह पहुंच गये होंगे। मैं समझता हूं शायद आज किसी वक्त या कल तक और ज्यादा विशेष सूचना मिल जायगी। इस वक्त तो उसकी मृत्यु के समाचार की पुष्टि करने के अलावा और ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। इससे अधिक सूचना मेरे पास नहीं है।

स्पेशल पावर्स ऐक्ट के अधीन किये गये जुर्मानों की वापसी के सम्बन्ध में पूछ-ताछ

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब पहली बैठक चल रही थी तो स्पेशल पावर्स ऐक्ट के अधीन जुर्माने हुये थे। उन्होंने यह कहा था कि वे वापस कर दिये जायेंगे जब सरकार समझेगी कि वह अपील नहीं करेगा। साल भर हो रहा है, हम जानना चाहते हैं कि सरकार वापस करेगी या नहीं?

श्री अध्यक्ष—मैं प्रश्न पूछने की इस वक्त इजाजत नहीं देता हूं। आपको इस सम्बन्ध में प्रश्नों के समय में प्रश्न पूछना चाहिये था।

डाकू मानसिंह के मारे जाने का समाचार (क्रमागत)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि कुछ गलतफहमी है कि यहां की पुलिस इस एनकाउन्टर में शामिल नहीं थी?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—वह तो ज्वाइंट कमांड है। कहीं मध्य भारत की पुलिस रहती है और कहीं हमारी पुलिस रहती है। जहां मुकाबला हुआ है वहां कौन सी पुलिस थी इसका ब्योरा मुझे नहीं मालूम है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रगति पर विवाद की मांग

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, आपको याद होगा कि विरोधी पार्टी की ओर से हम लोगों ने आपके पास एक पत्र भेजा था, जिसमें हमने प्रार्थना की थी कि इस प्रदेश की प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रगति पर वाद-विवाद किया जाय। अब यह अंतिम वर्ष है और दो साल पहले एक प्रगति-रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गयी थी। अब जो अंतिम रिपोर्ट

है वह सदन के सामने प्रस्तुत की जाय और कम से कम दो-तीन दिन उसकी प्रगति पर और दूसरी पंचवर्षीय योजना के सिद्धांतों पर विचार हो जाय। क्या आप इस सम्बन्ध में व्यवस्था करेंगे या माननीय मुख्य मंत्री जी आश्वासन देंगे ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में रिपोर्ट आनी चाहिये और वह रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं। अभी योजना समाप्त नहीं हुई है अभी कुछ महीने बाकी हैं। फिर भी हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और तैयार होने पर उसको हम सदन के सामने अवश्य रखेंगे और विचार करने के लिये आप जैसा उचित समझेंगे समय देंगे।

मैं चाहता था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की मुख्य-मुख्य बातें भी सदन के सामने रख दें, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत है कि हमारे पास प्लानिंग कमीशन की तरफ से एक पत्र यह आया है कि जब तक उनकी तरफ से निश्चित रूप से कुछ न हो जाय यानी किस स्टेट के लिये कितना ऐलाटमेंट हो गया है तब तक जो फिगर्स बनायी गयी हैं वह पब्लिश की जायं और वह गोपनीय हैं और अगर फिगर्स न रखें तो फिर कोई चीज रखने की नहीं होती है। अगर वहां से चीज वक्त पर आ गयी तो फिर सदन के सामने रखने की कोशिश करेंगे।

विधान सभा से अनुपस्थिति के लिये श्री वीरेन्द्रविक्रम सिंह का प्रार्थना-पत्र

श्री अध्यक्ष--उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम १९१ (२) के अन्तर्गत विधान सभा से अनुपस्थित रहने के लिये अनुज्ञा प्राप्त करने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र विक्रम सिंह के प्रार्थना-पत्र पर विचार। उनका प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि:--

पयागपुर राज्य,
अगस्त ८, १९५५।

सेवा में
माननीय अध्यक्ष,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

प्रिय महोदय,

अपने पूर्व प्रार्थना-पत्र के संदर्भ में जो गम्भीर बीमारी के कारण छुट्टी के लिये था, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं अब भी बीमार हूं और चलने फिरने से मजबूर हूं। अतः मुझे खेद है कि मैं सभा के वर्तमान अधिवेशन में उपस्थित न हो सकूंगा। मैं अत्यन्त अनुगृहीत होऊंगा यदि आप मुझे सितम्बर के अन्त तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे।

आपका विश्वासपात्र,
(ह०) वीरेन्द्र विक्रम सिंह, एम०एल०ए
राजा पयागपुर।

मैं समझता हूं कि इसको सदन सर्व सम्मत्ति से स्वीकार करेगा।

(प्रार्थना-पत्र स्वीकृत हुआ।)

विधान सभा से अनुपस्थिति के लिये श्री वीरेन्द्र वर्मा का प्रार्थना-पत्र

श्री अध्यक्ष--इसी तरह का दूसरा प्रार्थनापत्र श्री वीरेन्द्र वर्मा का है, वह इस प्रकार है कि:--

सेवा में,
माननीय अध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश विधान सभा,
लखनऊ।

[श्री अध्यक्ष]

महोदय,

मैं गत दो मास से बीमार हूं और इसी कारण से काश्मीर जाने का विचार कर रहा हूं। मुझे डाक्टर ने कम से कम दो मास के लिये पूर्ण विश्राम लेने का परामर्श दिया है, और इस कारण से मैं इस अवधि तक विधान सभा अधिवेशन में उपस्थित न हो सकूंगा।

मैं, इसलिये आप से अनुरोध करता हूं कि मुझे दो मास के लिये सभा के अधिवेशन से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान करें।

आपका विश्वासपात्र,
(ह०) वीरेन्द्र वर्मा, एम०एल०ए०,
मुजफ्फरनगर।

दिनांक : १८ अगस्त, १९५५।

मैं समझता हूं कि इसको भी सर्व सम्मति से यह सदन स्वीकार करता है।

(प्रार्थना-पत्र स्वीकृत हुआ।)

† उत्तर प्रदेश हरिजन संरक्षण (सेवा) विधेयक, १९५४ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--अब श्री रामसुमेर के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश हरिजन संरक्षण (सेवा) विधेयक, १९५४ पर विचार किया जाय तथा श्री वीरेन्द्रपति यादव के संशोधन पर कि उक्त विधेयक एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय तथा श्री सीताराम शुक्ल के प्रस्ताव पर कि उक्त विधेयक एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय विवाद जारी रहेगा।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव जो आज हमारे सदन के सामने उपस्थित है मैं उस पर पिछली बार बोल रहा था। उसमें हमारा निवेदन यह है और सरकार से हमारा यह सवाल है कि सरकार ने हमारी सर्विसेज का हिस्सा १८ परसेंट कर दिया। मैं आपकी इजाजत से सरकार के सामने एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ज्योग्राफी का एक सिद्धांत है कि गर्म हवा ठंडी हवा की तरफ चलती है और हवा खुश्की की तरफ से सर्दी की तरफ आती है। उसी के रूप में आज समाज में जो विकृत अवस्था हमारी इस देश के अन्दर है उसमें हमारी दशा पर विचार करना आवश्यक है। किसी भी डेमोक्रेटिक देश में अगर देश को ऊपर लाना है और समाज को ऊंचा करना है तो हम को नीचे से आना है और नीचे के लोगों को ऊपर उठाना है। इसमें केवल हमारा ही लाभ नहीं है, बल्कि उन लोगों का भी लाभ है जो ऊंचे हैं। अगर नीचे की ईंट मजबूत है तो ऊपर की दीवार चमकेगी और सफल होगी। मैं किसी प्रतिशोध की भावना से यह बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन हमारा यह परम कर्तव्य है और अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार जितना भी मैंने समझा है कि हमारे अधिकार क्या हैं समाज के प्रति और देश के प्रति, हमको क्या करना है, हमारी क्या ड्यूटी है उसको मद्देनजर रखकर मैं गवर्नमेंट से यह निवेदन करना चाहता हूं कि, आज हमने देखा कि जितनी रिपोर्ट है उनसे मालूम होता है कि हमारे आदमी गवर्नमेंट सर्विसेज में ३ परसेंट से ज्यादा नहीं हैं। मीनियल स्टाफ में भी हमारे आदमियों को नहीं रखा जाता है। चौकीदार और चपरासियों में हमारे आदमी रखे जाते हैं, लेकिन कम रखे जाते हैं, उनको वहां से निकाल दिया जाता है। पुलिस में भी रखे जाते हैं, वे भी निकाल दिये जाते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं कि मैंने उनसे एक केस के सिलसिले में कहा था, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और कहा बिलकुल सही है। जब कोई चमार फंसता है तो ठाकुर, ब्राह्मण उसको फांस देते हैं और उनकी मदद नहीं करते हैं। मैं उनका अहसानमन्द हूं कि यह बात उनके दिमाग में है। इस तरह के बहुत से केसेज प्रान्त में पाये जाते हैं और यह सही नक्शा है। आज भी मुझको एक पोस्टकार्ड मिला है। पिछले वर्ष माननीय पंत जी से एक लड़के के विषय में मैंने प्रार्थना की थी और सरकार के उप मंत्री ने भी उसके विषय में सिफारिश की थी। मैंने उनसे निवेदन किया था

---

† २२ अक्तूबर, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

कि उस लड़के के पास खाने को नहीं है, लेकिन आज तक उस लड़के को कोई जगह नहीं मिली है। वह लड़का ऐसा बढ़िया है कि प्रोपेगेंडा के लिये बहुत ही फिट है, लेकिन उसको आज तक कोई स्थान नहीं मिला। मैंने गत वर्ष भी कहा और आज भी कहता हूं, लेकिन उसको जगह नहीं मिलती है। इससे हमारा ही नुकसान नहीं है, बल्कि पूरी सरकार का नुकसान है और ऊपर के महान् लोगों का नुकसान है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने इस चीज को मांगा नहीं था कि हमको १० परसेंट के बजाय १८ परसेन्ट रिजर्व कर दिया जाय। आपने स्वयं उसको दिया। आप अपना लाभ समझते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि डू और डाइ (करो या मरो) तो हमको भी उसी पर चलना है और सरकार को भी उस पर अमल करना चाहिये। इसी सरकार ने मुसलमानों के लिये ५४ परसेंट सर्विस में जगह दी थी, यह चीज भी हमको याद रखनी चाहिये। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि गरीब की पुकार है, देश की पुकार है और देश के ऊंचे लोगों की भी पुकार है, जैसा कि आज गोआ के मामले में सब लोगों में यूनिटी हो गई है और जिसके लिये हम आभारी हैं वैसी यूनिटी होनी चाहिये नीचे के स्तर के लोगों को ऊपर उठाने में। आज बाढ़ के बारे में हमारे क्षेत्र कलयारी से सूचना मिली है कि एक मेहतरानी को और एक चमार को सांप ने काट लिया है, क्योंकि उनके पास मकान नहीं था। सरकार हम को इसके लिये रुपया देती है, लेकिन वह लैप्स हो जाता है। उसे अपने अधिकारियों से पूछना चाहिये कि ऐसा क्यों है? आज अंग्रेजी हुकूमत तो है नहीं। यहां आज जवाहर लाल नेहरू और डाक्टर सम्पूर्णानन्द की हुकूमत है। सरकार को चाहिये कि जो लोग लापरवाह हैं उनके साथ रियायत न करे। वह पैसा खर्च करना चाहिये। रुपया मिलने में बड़ी दिक्कत होती है। जिसका कुआं आपको बनवाना है उसका काम आप कर दीजिये। गांव के लोग यहां तक बड़ी मुश्किल से आते हैं। गांव में हमको बैठने तक को चारपाई नहीं मिलती है। यह कलंक है इस समाज पर और इसे दूर करना चाहिये। मैं आपको देश का भविष्य बताता हूं। अगर यही दशा जातिपांति की रही तो मैं नहीं घबराता हूं चाहे आप हमें कैसे भी रखिये, लेकिन इसमें देश का कल्याण नहीं होगा। अगर ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर का नारा रहा तो मैं बताता हूं कि हमारी संख्या इतनी है कि हम जीत कर रहेंगे।

मैंने गत वर्ष भी कहा था कि उस रिजर्वेशन को आप सलाम कर दीजिये और अगर आप रखने के इच्छुक हैं तो उस पर अमल कीजिये। इससे गवर्नमेंट की और कांग्रेस वालों की डिगनिटी बढ़ेगी। महाभारत का जिक्र है कि जब उन्होंने सुई की नख बराबर भी भूमि नहीं दी तो सारा देश तबाह हो गया था। मैं तो कहता हूं कि आप ठाकुर, ब्राह्मण ये सब छोड़िये, केवल हिन्दुस्तानी शब्द रखिये। कल पब्लिक सर्विस कमीशन के विवाद के सिलसिले में एक बात छूट गयी थी। वहां प्रैक्टिकल और थ्योरीटीकल इम्तहान एक साथ होने चाहियें और दोनों का नतीजा एक साथ निकलना चाहिये। रिजर्वेशन में सरकार का फायदा है। मैं नहीं कहता कि हरिजनों को आप की पोस्ट दीजिये। मैं मातहत ही रहूंगा, लेकिन आप हमें खान, कपड़ा और रहने को मकान तो दीजिये। चाहे आप मुझे असेम्बली में रखिये, चाहे हल जुतवाइये और चाहे फ्रन्ट पर भेज दीजिये, इसकी हमें परवाह नहीं है लेकिन हमको ट्रैक्टर की ट्रेनिंग तो दीजिये। आप हमें खेती का काम सिखलाइये। सब लोग तो कलेक्टर या मिनिस्टर नहीं हो सकते। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ वह कहे, उसे अमल में लावे और इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय, इस बात का मैं समर्थन करता हूं।

मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर इस सदन में, जहां तक मुझे याद है, दो दिन विचार हो चुका है और आज तीसरा दिन है। जहां तक बिल के विषय की बात है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है और यह उचित भी है कि इसके ऊपर अनेक दृष्टिकोणों से विचार हो और जो अलग-अलग सम्मतियां हो सकती हैं वह मुख्य प्रस्ताव पर बोलने में या संशोधनों पर बोलने में हमारे सामने आ जावें। मैंने यह उचित समझा कि आपसे यह अनुमति

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

मागूं कि इस विषय में जो मेरी राय है या जिसे गवर्नमेंट की राय कहना चाहिये, उसे भी सदन के सामने रख दूं ।

जहां तक इस प्रस्तावित बिल के सिद्धांत की बात है उसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती हैं । कभी दो रायें रही हों, लेकिन आज तो हम उस जमाने से बहुत आगे बढ़ गये हैं और आज कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, जो कि इस सिद्धांत से पूर्णतया सहमत न हो । कोई व्यक्ति हरिजन कहलाये या पिछड़ी जाति या अनुसूचित जाति का कहलाये, कोई भी व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है उसके कुछ मौलिक अधिकार हैं, जो किसी विशेष कुल में पैदा होने से प्राप्त नहीं हैं, बल्कि भारत के नागरिक होने से हर एक को प्राप्त हैं । यदि कोई भारतीय नागरिक उन अधिकारों से वंचित रहता है या किसी ऐसी परिस्थिति में डाल दिया जाता है कि उन अपने अधिकारों से काम न ले सके तो यह गलत चीज है और केवल इसी व्यक्ति का या समुदाय का नुकसान नहीं है, बल्कि सारे देश का नुकसान है । हमारे हर भारतवासी को उसकी योग्यता के अनुसार काम करने का अवसर होना चाहिये। यह ठीक है कि सरकारी नौकरी में कुल जन संख्या का ३ या ४ प्रतिशत आती होगी, लेकिन वह अपने कुटुम्ब या जाति-बिरादरी का ही कल्याण करने के लिये नहीं होते, बल्कि हमारे यहां उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है । सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चीज है । यदि हरिजनों को उसमें नहीं लिया जाता है तो इसके मानी हैं कि समाज उनकी योग्यता से वंचित रहता है । इस देश के उत्थानों में जो उनका हिस्सा होना चाहिये वह प्राप्त नहीं होता और उसका श्रेय उनको नहीं मिलता है तो यह अनुचित बात है । जैसा कि अभी माननीय शिवनारायण जी ने कहा, हमने १० प्रतिशत से बढ़ाकर १८ प्रतिशत किया बगैर किसी के कहे और जहां तक गवर्नमेंट की बात है हम इस बात को चाहते हैं कि जो कुछ संख्या रखी जाय उसका पूरा लिहाज होना चाहिये । मैं समझता हूं कि इसका प्रमाण देने की जरूरत नहीं है । इस बारे में शिकायत की गयी नीचे के अधिकारियों की । कल पब्लिक सर्विस कमीशन के विवाद के सिलसिले में एक बात की ओर श्री वीरेन्द्र यादव ने ध्यान आकर्षित किया था । पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट में किसी एक सर्विस के लिये यह चीज आयी कि उन्होंने ६ व्यक्तियों को हरिजन समझ कर चुना, लेकिन बाद में यह पता लगा कि उसमें से एक हरिजन नहीं है । गवर्नमेंट ने लिखा कि ६ आदमी लेने हैं । लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिखा कि नंबर २,३,४,५,६, को ले लीजिये और एक को छोड़ दीजिये और ५ ही ले लीजिये, लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर आग्रह किया और कहा कि ६ हरिजन होने चाहिये और उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन की राय को न मान कर उसकी नियुक्ति की ।

अभी पारसाल की बात है । पुलिस के लिये सब इंस्पैक्टर्स का चुनाव होना था । जिस क्रम में नाम आये थे उसमें हरिजनों की संख्या उस प्रतिशत से बहुत कम थी, जो उनके लिये रक्खा गया था । हमने इस पर गौर किया और कई ऐसे लोगों को छोड़कर जो सवर्ण कहे जा सकते थे, हरिजनों को लिया, ताकि उनकी संख्या १८ प्रतिशत हो जाय । इसलिये जहां तक गवर्नमेंट की बात है, उसको जब कभी मौका मिलता है उसकी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि हरिजन लोग नियत प्रतिशत में ले लिये जायं । यह संभव है कि नीचे किन्हीं कारणों से वे उतनी संख्या में न लिये जाते हों ।

इस बिल में २० प्रतिशत रिजर्वेशन की बात कही गयी है । मुझे उसके मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती अगर ऐसा जरूरी हो । उनकी आबादी के जो फिगर्स हैं उनके अनुसार जो भी उचित हो वह संख्या निर्धारित की जा सकती है । लेकिन सबसे महत्व की बात यह है कि वह संख्या १५–२० कुछ भी हो, उसका निर्वाह होना चाहिये, उसको व्यवहार में आना चाहिये । अब प्रश्न यह होता है कि यह व्यवहार में कैसे आये । हो सकता है कि कहीं-कहीं गवर्नमेंट की बात लोगों की समझ में आ जाय और यह भी हो सकता है कि कहीं-कहीं नीचे के अधिकारी कोई गलती कर जायं । अब प्रश्न यह है कि इस चीज का इलाज क्या है ? बिल में

कड़े दंड की भी व्यवस्था की गयी है। परन्तु सामाजिक कार्य केवल दंड से ही नहीं चलते। इसके लिये अच्छा यह होता है कि पब्लिक ओपीनियन क्रियेट की जाय। अगर ऐसा नहीं किया गया, अगर पब्लिक ओपीनियन को तैयार नहीं किया गया तो जिन लोगों को उस कानून का पालन करना है उन लोगों ने पूर्ण रूप से उसका पालन नहीं किया, ऐसी दशा में उस कानून की कोई कीमत नहीं रह जाती है और अगर उस कानून से उनकी बुद्धि पर कोई असर न पड़ा तो जितने चुनाव करने वाले हैं उन सब पर जुरमाना नहीं किया जा सकता और न सबको जेलखाने ही भेजा जा सकता है। अगर सब लोग उसका पूरी तरह से पालन नहीं करते तो वह कानून रद्दी कागज हो जायगा। इसलिये हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि जो भी संख्या हम कानून में निर्धारित करें उसका पूर्णरूपेण पालन किया जाय और यदि आवश्यकता पड़े तो दंड भी दिया जाय। लेकिन दंड के पीछे यह चीज अवश्य होनी चाहिये कि सरकारी अहलकारों की समझ में यह चीज आये। वे यह समझें कि यह चीज जरूरी है और इसको हमें करना है। अतः इस प्रकार हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि लोगों में यह व्यावहारिक बात आ जाय, चाहे हम इसको यहीं पास कर दें अथवा सिलेक्ट कमेटी में भेज कर पास करें।

इसके अतिरिक्त कुछ सर्विसेज ऐसी हैं, जिनमें प्रतिशत की बात पूरी तरह से पालन करनी कठिन भी होती है। जैसे डाक्टर और इंजीनियरों के चुनाव में प्रतिशत के अनुसार लेने में दिक्कत होती है और ऐसे कामों के लिये सैकड़े के अनुसार उन लोगों को लिया जाना जो योग्य नहीं हैं बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि जान तो सभी को प्यारी होती है, चाहे वह हरिजन हो अथवा कोई और। जान का मूल्य कभी भी रुपयों में नहीं आंका जा सकता और इसके लिये किसी ऐसे आदमी को जो योग्य नहीं है लेकर मनुष्यों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। वही बात इंजीनियरों के लिये भी लागू होती है तथा दूसरी ऐसी ही टेक्नीकल पोस्ट्स के लिये।

इसलिये सबसे मुख्य बात यह है कि केवल यहां पर बहस करके इसको पास कर देना ही काफी नहीं है। मेरा सुझाव यह है कि इसको एक दो माह में जनमत जानने के लिये सर्क्युलेट कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि इस बिल को हम सिलेक्ट कमेटी में भेजें। उसके लिये कोई बहुत लम्बी तारीख नहीं, ३१ दिसम्बर तक की तारीख रख दी जाय। ३१ दिसम्बर तक के लिये बिल सरक्यूलेट हो जायगा तो उसका माने यह होगा कि सबके सामने यह प्रश्न आ जायगा और सम्भव है हमारे सामने ऐसे सुझाव आ जायें जिन सुझावों से यह बिल आसानी से सिद्धांततः कार्यान्वित किया जा सके। मेरा जो सुझाव है उसको जिन माननीय सदस्य ने बिल को पेश किया है अगर वे स्वीकार करें तो मैं समझता हूं कि जो हमारा उद्देश्य है, उनका उद्देश्य है और सबों का उद्देश्य है उसको पूरा करने में ज्यादा सफलता प्राप्त होगी।

श्री अध्यक्ष——माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि माननीय सदस्य आपके सुझाव पर अमल करें तो उसके लिये आप एक संशोधन के रूप में अपने सुझाव को उपस्थित कर सकते हैं कि फलां तारीख तक यह सरक्यूलेट किया जाय। यह नियम है, अगर आप उस रूप में पेश कर दें तो मैं उसके ऊपर राय ले लूंगा।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द——अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हरिजन संरक्षण (सेवा) विधेयक, १९५४ जनमत जानने के लिये ३१ दिसम्बर तक के लिये सरक्यूलेट किया जाय और ३१ दिसम्बर, सन् १९५५ तक जनमत आ जाय।

श्री अध्यक्ष——श्री रामसुमेर जी, आपको यह स्वीकार है ?

श्री रामसुमेर (जिला फैजाबाद)——अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव जो इस समय सदन के सामने पेश है . . . . . .

श्री अध्यक्ष——मैं भाषण देने के लिये आपको नहीं कहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि यह संशोधन जो अभी पेश किया गया है आपको स्वीकार है ? क्योंकि आपको उत्तर देने का तो मौका मिलेगा जब सब और लोग बोल लेंगे।

श्री रामसुमेर--मैं जनमत के लिये इसको स्वीकार करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--अध्यक्ष महोदय, ३१ दिसम्बर तो मुझे कुछ अधिक समय लगता है। अगर इससे कुछ पहले हो सकता तो ठीक होता।

कुछ सदस्य--ठीक है, यही ठीक है।

श्री अध्यक्ष--श्री रामसुमेर जी, आप उत्तर दे सकते हैं।

श्री रामसुमेर--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्ताव में तीन प्रकार के प्रस्ताव हुये हैं जिसमें एक प्रवर समिति में उपस्थित करने के लिये कहा गया है, दूसरे संयुक्त प्रवर समिति में भेजने को कहा गया है और तीसरे जनमत संग्रह के लिये कहा गया है। मैंने तीसरे को अच्छा समझा है और इसीलिये मैं इसका समर्थन करता हूं। कुछ लोगों ने और भी कई प्रश्न उठाये जिनका उत्तर दे देना मैं आवश्यक समझता हूं। यह तो सब लोगों ने, माननीय सदस्यों में से जिन लोगों ने भाषण दिये वे इस बात से बिलकुल एकमत हैं कि हां, आज इसकी आवश्यकता है, उसके सिद्धांतों की आवश्यकता है। कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने बीच-बीच में ऐसे भी प्रश्न उठाये, जो इस बिल के सम्बन्ध में नहीं उठाना चाहिये था, जैसे माननीय नवलकिशोर जी ने यह प्रश्न उठाया कि आज इस बिल की आवश्यकता नहीं है। माननीय सीताराम शुक्ल जी ने यह प्रश्न उठाया कि इस बिल से साबित होता है कि लोगों मनोवृत्ति है। कुछ लोगों ने यह प्रश्न भी उठाया कि सम्भवतः यह जो रिजर्वेशन की बात कांस्टीट्यूशन में १० वर्ष के लिये है तो १० वर्ष के बाद इस बिल की कैफियत क्या होगी। ये सब ऐसे प्रश्न हैं, जिनका स्पष्टीकरण हो जाय, ताकि जब यह जनमत के लिये जाय तो उसमें थोड़ी सी सहायता मिले। जहां तक १० वर्ष तक के लिये रिजर्वेशन की बात है, जो कांस्टीट्यूशन की संबंधित धारा है, उसमें जो १० वर्ष का बार है, उसमें सर्विसेज के लिये नहीं लिखा हुआ है। यह जो १० वर्ष के लिये रिजर्वेशन का प्रश्न है वह केवल पार्लियामेन्ट और असेम्बली सीट्स के रिजर्वेशन के सम्बन्ध में है। सर्विसेज के लिये किसी भी रूप में नहीं लिखा हुआ है। उसको मैं पढ़कर सुना देना चाहता हूं। श्री बसु की जो "कमेंट्री आन दि कान्स्टीट्यूशन आफ इंडिया" है उसके पेज ७७४ में लिखा हुआ है:--

"Shall cease to have affect on the expiration of a period of 10 years from the commencement of this constitution.

Provided-nothing in this article shall effect any representation in the House of the People or in the Legislative Assembly of a State until the dissolution of the then existing House or Assembly, as the case may be."

इसका मतलब यह है कि यह पार्लियामेंट और असेम्बलियों के लिये ही है सर्विसेज के लिये नहीं है। श्री नौरंगलाल जी का विचार है कि दस साल के बाद क्या होगा, उस वक्त एक बैकुअम रह जायगा और यह सब बेकार हो जायगा। मैं आप के द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का तो प्रश्न ही नहीं उठता, जब तक अपने संविधान की धारा ३३५, १६-४ और १५-४ मौजूद हैं तब तक इस बिल की सेंकटिटी रहेगी और इस कानून का अस्तित्व रहेगा, अगर यह धारायें संविधान से हट जायंगी तब उस दिन यह समाप्त हो सकता है। इसलिये इस तरह की आशंका नहीं है, जिसको श्री नौरंगलाल ने प्रकट किया और इसमें कोई अड़चन दस साल के बाद नहीं पड़ सकती। श्री नवलकिशोर जी ने कहा कि इस तरह के विधेयक की कोई आवश्यकता ही नहीं है और कानून से समाज नहीं बदलता और उससे तो हमारे दिमाग में उलझन ही होती है। कानून से समाज नहीं बदलता यह तो मैं भी समझता हूं, लेकिन जब हम यहां कानून बनाते हैं तो हमारे सामने केवल एक ही प्रश्न होता है कि आखिर हम यह सब कानून किस चीज के लिये बना रहे हैं रोज कानून क्यों बना रहे हैं। क्या वह कानून एक आदमी के लिये है, दस आदमियों के लिये या १,००० आदमियों के लिये बना रहे हैं। सब का हमें एक ही उत्तर मिलता है कि हम लोग रोजाना समाज के हित के लिये कानून बनाते हैं और हम एक कल्याणकारी

राज्य की स्थापना की बात करते हैं, यह कोई एक आदमी के हित की बात न होकर सारे समाज के हित की बात है और उसका प्रभाव सारे समाज पर पड़ता है। हम कानून के लिये नहीं हो सकते, बल्कि कानून हमारी भलाई के लिये होगा। जब सब से पहले दुनियां में कानून बना होगा तो वह किसी सामाजिक कठिनाई को देखकर ही बना होगा न कि समाज को उलझन में डालने के लिये। क्या हम कह सकते हैं कि अगर यह उलझन है तो किसी कानून के बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि इसकी बहुत जरूरत है, एक हिसाब से ही नहीं, बल्कि और भी कारण हैं, जबकि हम रोज देखते हैं कि हर जगह एप्वाइंटमेंट्स होते हैं और यहां सदन में प्रश्न उठाये जाते हैं और लोग कहते हैं कि यह सब सुनने से हमारे कान फट गये हैं और पेट फूल गये हैं और हरिजनों की तरफ से यह प्रश्न क्यों होते हैं। उनकी जो समस्या है और जिस के बारे में माननीय रामनरेश शुक्ल ने कहा था कि वह एक हमारा मूलभूत प्रश्न है। मैं कहता हूं कि क्या कभी इस पर मूल रूप से गौर करने का प्रयत्न हुआ है? हमारी तरफ से जो अभी तक इस समस्या को देखा गया है वह केवल उसी प्रकार से देखा गया है कि जिस तरह से किसी के सिर में दर्द होता है तो उसको कोई दवा देकर सिर दर्द दूर कर दिया जाता है। जरूरत इस बात की होती है कि इसका कारण देखा जाय कि सिर के दर्द की ओरिजिन क्या है, उसका मूलभूत कारण क्या है। इसलिये मूलभूत प्रश्न की उत्पत्ति के बारे में यह मालूम करना जरूरी है कि इस का क्या हल हो और मैंने तो उस हल का केवल एक भाग ही इस बिल के रूप में सदन के सामने रखा है। यह बिल तो एक पार्ट है, एक हिस्सा है उस समस्या का केवल एक अंश है। मैं भी कहता हूं कि इससे पूरे समाज की भलाई नहीं होगी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे समाज की आंखें खुलेंगी और उस के बाद समाज मजबूर होकर बाकी चीजें भी करेगा। उन्हीं कारणों से मैंने इसकी आवश्यकता समझी।

अब प्रश्न यह है कि माननीय सीताराम शुक्ल ने कहा है कि यह हमारी लीगी मनोवृत्ति है। मैं आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सदस्य से जान सकता हूं कि जब संविधान की ये धारायें बन रही थीं तो क्या उस समय वहां के लोगों के दिमाग में भी लीगी मनोवृत्ति थी? यह साफ है कि उन्होंने इसकी आवश्यकता समझी थी। यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि धारा ३३५ रिकमेंडेटरी तौर पर है और जो १६ (४) और १५ (४) हैं वह आब्लिगेटरी धारायें ह। इनके अन्तर्गत तो आपको रिजर्वेशन देना ही है और ३३५ वीं धारा के अन्दर जहां पर हरिजनों का रिजरवेशन नहीं है वहां पर गवर्नमेंट स्पेशल पावर्स से ऐप्वाइंट करेगी, यानी तीनों धारायें बिलकुल साफ हैं और इतनी साफ हैं कि मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर इसमें उलझन क्या है कि इसको स्वीकार नहीं किया जाय। जब कांस्टीट्यूशन इतना साफ कहता है तो इसके मानने में देर सबेर करने से क्या फायदा है। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि इस प्रकार की भावना से जातिपांति का भेद बढ़ता जा रहा है, जातिपांति की भावना हमारे देश में होती जाती है। हम मानते हैं कि इससे भावना जातिपांति की बढ़ती जा रही है, लेकिन किस रूप में और इसका जिम्मेदार भी कौन है? इसके जिम्मेदार ज्यादातर वही लोग हैं जो अपने को बड़ा कहते हैं। इसके लिये मुझे आपके सामने थोड़े शब्द पुराने जमाने के इतिहास के कहने पड़ेंगे। हमारे हिन्दुस्तान में एक परिपाटी रही है कि छोटे लोग बड़े लोगों के हाथ में अपने को समर्पण करते रहे हैं, जबकि अन्य मुल्कों के लोगों में यह बात नहीं रही है। आयरलैन्ड के इतिहास को यदि आप पढ़ें तो देखेंगे कि दोनों लीडर्स में बातें हुयीं तो बड़े लीडर ने छोटे लीडर से कहा कि तुमको जो सेफगार्ड की जरूरत हो, लेकिन हमारे आयरलैन्ड को यूनिटि प्रदान करो, तो छोटे लीडर ने कहा कि हम सेफगार्डस् को लानत भेजते हैं लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम हम पर शासन करो। लेकिन हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर कोई ऐसी बात नहीं हुयी। हमारे अन्दर तो शुरू से यह बात है कि जिस काम को हमें एन्ट्रस्ट किया गया उसको हमने बखूबी निभाया और उस निभाने की वजह से हम गरीब हो गये। हम बेघरबार हो गये, हमारे दिमागों को खत्म कर दिया गया, हमारा पढ़ना बन्द कर दिया गया और हमारा अच्छा रहन-सहन बन्द कर दिया गया। हमारे खाने-पहनने के हक छीने गये और यही इस गरीबी का ओरिजिन है। मनुस्मृति के ८वें अध्याय से जिसमें

[श्री रामसुमेर]

४२० वें श्लोक के द्वारा क्या हमें बेघरबार नहीं किया गया ? तो इस प्रकार की ओरिजिन बड़े लोगों से हुयी । उस समय मनुस्मृति कानून माना जाता था और उसको सब लोगों ने कानून मानकर राज्य का संचालन किया था । आज वही प्रश्न हमारे सामने खुद है । आज आप लोग चिल्लाते हैं कि कानून से समाज को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन कानून से कम से कम जो जाहिर खराबियां हैं, उनको हटाया जा सकता है । अगर कोई आदमी चोरी करता है तो चाहे वह समाज में कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो, चाहे उसके पीछे कितने ही चलने वाले क्यों न हों, लेकिन चोरी चोरी है, जुर्म है और उसके लिये कानून बनाना पड़ेगा । उसी प्रकार आप कहते हैं कि अछूतपन चाहे किसी भी शक्ल में हो नाजायज है, अपराध है तो उसके बारे में कानून बनाना पड़ेगा इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं और आप कहते हैं कि कानून से इस प्रकार से समाज परिवर्तित नहीं हो सकता तो हम यह मानने लगेंगे कि यह केवल बहाने-बाजी की चीज है । हमारे लोग ८ करोड़ हिन्दुस्तान में रहते हैं उनको आपने अपने से दूर कर रखा है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हममें इस प्रकार की कोई भावना नहीं है । हम नहीं चाहते हैं कि हिन्दू समाज से हम अलग रहें । हमने हमेशा डिक्लेयर किया है कि हिन्दू समाज हमारा है, हम हिन्दू समाज के हैं, हम भी हिन्दू हैं, लेकिन हमें आप ने हमेशा अलग रखना चाहा । एक जमाना था जब आपने हमें मिलाकर अलग किया और फिर एक जमाना आया जब हमें अलग करके आपने अलग किया । तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जमाने के हिसाब से हमारा एक्सप्लायटेशन भी हुआ और जमाने के हिसाब से हम गरीब बने रहे और यही हमारी गरीबी की ओरिजन है कि एक भी आदमी हममें से अमीर नहीं हुआ, एक भी आदमी हम में से विद्वान् नहीं हुआ । एकाध आदमी हुये भी तो उनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल सका, तो ऐसी चीजें इतिहास में भरी पड़ी हैं, जो हमारे साथ कानून के जरिये से हुआ है, और समाज ने किया है, आप लोगों ने किया है । तो इस प्रकार की चीजें हम चाहते हैं कि जो विधेयक में आज हैं उसको मान लेने में कोई दिक्कत न होगी न कानूनी और न सामाजिक दिक्कत होगी । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि हम उस चीज को बहुत ही गम्भीरता से विचार करते हैं लेकिन दो चार शिकायतें भी मैं बहुत जोर की कर देना चाहता हूं । वह इसलिये कि जब से हमारी यह सरकार बनी है तब से हमने यह देखा है पेम्फलेट बांटे गये, हरिजनों के बारे में सरकारी विभाग काम कर रहे हैं, हरिजनों में से एक मिनिस्टर भी है और डिप्टी मिनिस्टर भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जितने भी आर्डर सरकार ने दिये हैं आज तक एक भी आर्डर फालो नहीं हुआ, एक भी पूरा नहीं हुआ । और मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जितने एप्वाइटमेंट हुए, जितने भी सर्विसेज के बारे में आर्डर्स हुये उनमें सरकार एक के सम्बन्ध में भी बतला सकती है कि क्या एक भी आर्डर पूरा हुआ ? इस मिनिस्ट्री के आने के बाद एक भी विभाग में पूरा रिजर्वेशन हुआ है ? यह भी अजीब चीज है कि रिपोर्ट सरकारी निकलती है कि हरिजनों के लिये इतना रुपया और बढ़ा दिया गया, इतने लाख रुपये और खर्च किये गये और इतने आफिसर्स और बढ़ा दिये गये । इतने स्टूडेंट्स और बढ़ गये, इतनी फीस माफ कर दी गयी । यह अजीब बात है कि एक तरफ तो यह प्रचार होता है कि इतने लड़के पढ़े-लिखे बढ़े, इतनी एफिशियेंसी बढ़ी, क्योंकि इतना रुपया सरकार खर्च कर रही है लेकिन दूसरी तरफ कहा जाता है कि साहब हमको एफिशियेंट लड़के नहीं मिलते, इसलिये रिजर्वेशन पूरा नहीं होता । कौन सी बात मैं सही मानूं एफिसियेंसी वाली सही है या रुपये खर्च करने वाली सही है । कौन सी चीज के स्टेटिस्टिकस सही माने जायें । स्वर्गीय सरदार पटेल ने मायनारिटी कमेटी में एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था । कांस्टिट्युएंट असेम्बली आफ इंडिया, जुलाई से अगस्त ४७, से मैं पढ़ रहा हूं, जिसमें उन्होंने रिप्रेजेन्टेशन आफ सर्विसेज के बारे में राय दी थी--

"After considerable discussion, we have come to the conclusion that the best arrangement would be for the centre and for each of the provinces to appoint a special minority officer whose duty will be to enquire into cases in which it is alleged that rights and safeguards have been infringed and to submit a report to the appropriate legislature.

इस प्रकार की रिपोर्ट जो है, स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और इसी हिसाब से शेड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर एप्वाइन्ट किया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का अटेंशन इस तरफ भी डाइवर्ट करता हूं कि अगर उस प्रकार की चीज की जाती तो आज यह समस्या हमारे सम्मुख कभी पैदा नहीं होती। और जितने आर्डर्स होते हैं उसमें खसूसन ५०-६० परसेंट कामयाब हो जाते। लेकिन इसका क्या कारण है कि कोई भी आफिसर्स या कोई भी आदमी आज यह केयर नहीं करता कि गवर्नमेंट आर्डर की क्या वेल्यू है। मैं यह मुनासिब समझता हूं और यह आवश्यक समझता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि यह बिल वास्तव में बहुत ही आवश्यक है और इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुये यह जरूरी मालूम होता है कि जनता इसको जान ले और अपनी राय भी वह इस पर दे दे। लिहाजा इस बिल को पब्लिक ओपीनियन के लिये अवश्य भेजा जाय और शीघ्र से शीघ्र उसे वह इस रूप में दे दे ताकि समाज का यह कलंक समाप्त हो जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं यह संशोधन सामने रखता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हरिजन संरक्षण सेवा विधेयक, १९५४, ३१ दिसम्बर, १९५५ तक जनमत संग्रहार्थ घुमाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राज्य के राजनीतिक पीड़ितों के लिए समुचित पेंशन व्यवस्था करने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दिन से इस विचार में था कि पोलिटिकल सफरर्स की दयनीय दशा की तरफ हाउस का ध्यान आकर्षित करूं। कुछ रोज पहले बजट के सिलसिले में अर्ज भी किया था, लेकिन बजट के वक्त बोलते समय बहुत काम रहता है, इसलिये इस पहलू पर कम रोशनी डाल सका। किन्तु आज मौका मिला है कि अपने विचारों को आप की सेवा में और सदन की सेवा में रख सकूं। अध्यक्ष महोदय, बड़ी मेहनत से, बड़ी तपस्या से और बड़े परिश्रम से स्वराज्य मिला, आजादी मिली। लोगों का ख्याल था कि स्वराज्य नहीं होगा।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—प्रस्ताव तो पढ़ दीजिये।

श्री अध्यक्ष—हां, पहले प्रस्ताव पढ़ दिया जाय।

श्री सीताराम शुक्ल—"इस सदन का यह निश्चय मत है कि राज्य के राजनीतिक पीड़ितों की एक सूची तैयार की जाय और उन्हें समुचित पेंशन दी जाय ताकि वे आर्थिक कठिनाइयों से निश्चिन्त होकर देश की सेवा कर सकें।"

इसकी एक प्रति हर माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी थी अतएव पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

राजा वीरेन्द्रशाह—रिवाज है।

श्री सीताराम शुक्ल—मैं अर्ज कर रहा था कि वह दिन देखने को मिल गया कि मुल्क आजाद हो गया। इसमें कोई शुबहा नहीं कि सरकार ने हर तरफ ध्यान दिया, सब की तरक्की की कोशिश की, पोलिटिकल सफरर्स की तरफ भी ध्यान दिया और जहां तक संभव था उनकी सहायता भी की, लेकिन मैं आप से अर्ज करता हूं कि आज हर तरफ जितनी तरक्की हुई, जैसे आप देखें कि एक सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर हो गया, इंस्पेक्टर से एस० पी० और एस० पी० से डी० आई० जी० हो गया। हमारे कांग्रेस के वर्कर्स भी कुछ साधारण वरकर्स से गवर्नमेंट के पदों पर आज पहुंच गये हैं। लेकिन बहुमत है उनका जिन्होंने बड़ी तपस्या की, बहुत काम किया, बहुत त्याग किया। किन्तु आज वे बड़ी-बड़ी कठिनाइयों में हैं, बड़े दुःख की

[श्री सीताराम शुक्ल]

जिन्दगी बसर कर रहे हैं। एक साहब सीतापुर के मेरे पास ठहरे हुये हैं। मेरा उनका साथ जेल में हुआ जब कि गणेश शंकर विद्यार्थी भी १९२१ में थे। एक सज्जन आये थे, दर्जा तो नहीं पास किया है, क्योंकि १९४० से बराबर जेल काट रहे हैं। सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है लेकिन उनके पांडित्य का जल्दी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पांच जबानें जानते हैं। तो बहुत से लोग जो हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला कर काम किया करते थे और जिनकी योग्यता, जिनका त्याग, जिनकी सूझ बूझ में कोई कमी नहीं है, उनकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पहले जब लोग घर छोड़ कर जेल चले जाते थे तो पब्लिक उनकी इमदाद करती थी। पब्लिक यह देखती थी कि जेल चला गया उस की इमदाद करनी चाहिये। लेकिन अफसोस यह है कि अब न पब्लिक से इमदाद मिलती है और न सरकार से। सरकार कहती है कि अपने आदमी हैं, फिर किस को इगनोर किया जाय। मैंने एक बहुत बड़े आदमी से अर्ज किया कि फलां साहब हैं, बड़ा त्याग किया, बड़ी कुर्बानी की, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। तो उन्होंने जवाब दिया जो बड़े वाक्पटु हैं, कि अपने ही आदमी को इगनोर किया जाता है। अब अगर किसी से पैसा मांगते हो, तो कहता है कि तुम्हारी सरकार है, अब पैसे की क्या जरूरत है, अब जो चाहो खर्च कर सकते हो, अगर किसी ने कुछ कहा भी, ठीक है, पैसा चाहिये पैसा हाजिर है जरा ठेका दिलवा दो। तुम्हारे दोस्त मिनिस्टर हैं। तो हुजूरवाला आज कल दलाली करनी पड़ती है। जो देशभक्त सर नहीं झुकाते थे, अंग्रेजों की शक्ति के सामने उनके सामने आजकल सख्त परेशानी है और यह बाजे रहे आपको, एक संस्कृत का श्लोक है :

"वरं वनं व्याघ्रगजादि सेवितं
द्रुमालयं पत्रफलाम्बुभोजनम्।
तृणानि शय्या परिधान वल्कलं
न बन्धुमध्ये धनहीन जीवितम्॥

जंगल में जाकर जानवरों के साथ रहना और पत्ते खा कर पानी पी कर रह जाना अच्छा है, लेकिन अपने भाइयों के सामने गरीबी की जिन्दगी बसर करना अच्छा नहीं है। उनके साथ काम करने वाले कुछ ऊंची जगहों पर हैं। हवाई जहाज पर उड़ते हैं, मोटरों पर चलते हैं, और कुछ लोगों के पैर में जूतियां भी नहीं हैं, यह देख कर सख्त तकलीफ होती है। जिसने पैसा कमाया, धोखे से, धड़ी से, ईमानदारी से, बेईमानी से आज करोड़पति हो गया, आज उससे हर आदमी हाथ मिलाता है। मोटर से बाहर निकला, चपरासी रिसीव करने के लिये दौड़ पड़ते हैं। सीट भी मिल जाती है, टिकट भी मिल जाता है परन्तु जिसने त्याग किया उनमें से अनेक आज भी कष्ट में हैं। सीतापुर की प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में ऐसे कुछ वर्कर्स को मेरी आंखों ने देखा जो कि चाय पार्टी को दूर से देख रहे थे। अपना साथी ऊंचे पद पर पहुंच जाता है और खुद नीचे रह जाता है। तब यहीं मालूम होता है कि त्याग कोई चीज नहीं, कुर्बानी बड़ी चीज नहीं बल्कि पैसा कमाना ही अच्छी चीज है। सर्वेगुणा कांचन याश्रयन्ति, पहले भी था और आज भी है। इसलिये इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिये। जहां तक पब्लिक की राय की बात है, मैं जानता हूं कि जनता चाहती है कि पोलिटिकल सफरर्स की माली इमदाद की जाय। मैं यह भी मानता हूं कि हमारे सदन का हर मेम्बर चाहता है कि उनकी सहायता की जाय। अब सवाल यह हो सकता है कि कहां से दिया जाय? बजट तुम्हारे सामने है। पैसा कहां से लाया जाय? रास्ता बतलाइये। तो मैं अर्ज कर सकता हूं कि बहुत आसानी से चीनी पर एक पैसा फी सेर और ऊनी कपड़ों पर एक पैसा गज टैक्स लगा दिया जाय या और भी अनेक मद हैं जिन पर टैक्स लगाये जा सकते हैं, या जितना बजट आप का है प्रतिशत १ रुपया काट लिया जाय जो कि अस्सी लाख होगा उससे उनकी हेल्प की जा सकती है। यहां एक सवाल पैदा होता है कि मान लीजिये कि पैसा मिल गया, लेकिन पोलिटिकल

सफरर तो बहुत हैं। जो जेल चला गया, जिसने त्याग किया क्या वही पोलिटिकल सफरर हैं ? हमें देखना है कि किसे पोलिटिकल सफरर मानें। मैं सफाई के साथ इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। कुछ लोगों को कांग्रेस ने खुद कहा था कि तुम जेल मत जाओ, तुम बाहर ही रह कर पैसा इकट्ठा कर के मदद करो। वह जेल जाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि तुम बाहर ही रहोगे। वह बाहर रहे लेकिन कुन्जी उनके हाथ में ही थी। वह हेल्प करते रहे। मैं उनको पोलिटिकल सफरर कहूंगा। कुछ सरकारी अफसर कानून के अन्दर नहीं आते थे, बचते थे। परन्तु गैर कानूनी किताबें उनके यहां रहती थीं। जिससे मदद मिलती थी, अपने साथी सरकारी अफसरों से पैसा इकट्ठा करके हमको दे दिया करते थे जब अंग्रेजों को मालूम हुआ तो उनके खिलाफ ऐक्शन लिया गया और डिपार्टमेंटल ऐक्शन लेकर उनको नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन उनको पोलिटिकल नहीं बनाया गया। मैं अपनी बात आप से अर्ज करूं। जिस समय मेरे ऊपर केस चलने वाला था उस समय एक सब इंस्पेक्टर ने कहा कि मैं तो अपने पेट की खातिर आप के खिलाफ गवाही दूंगा। लेकिन आप ने जो किया वह बहुत ठीक है, कृपया अपना बयान कविता में ही दीजिएगा। जिस वक्त वह बयान देने इजलास पर आया उस समय मैंने जो कहा वह आप से अर्ज कर दूं। वह मेरी एक कविता थी जो इस प्रकार है —

जो कुछ कहा हिन्सा रहित निज धर्म के अनुसार ही,
भाषण भ्रमणा कर जित किया उस अभि शान्ति सुहा रही।

पर सामने श्रीमान के इजहार देना व्यर्थ है,
इजलास बिन इंसाफ है निज अर्थ होत अनर्थ है।

कर के स्वतंत्र स्वदेश न्यायालय नये बनवायेंगे,
सम्मुख उन्हीं सरपंच के यह दर्द सर्व सुनायेंगे।

या उस कचहरी में जहां अन्याय होता ही नहीं,
रिशवत, सिफारिश, मित्रता इत्यादि चलता ही नहीं,

मुरली मनोहर मुकटधर मोहन मधुर मुस्कायेंगे,
कर कंज लेंगे लेखनी फिर हम बयान लिखायेंगे।

कविता मेरी थी लेकिन प्रेरणा मुझे मिली पं० रामेश्वर दत्त त्रिपाठी सब इंसपेक्टर से जो अपना बयान देने आया तो उसने मेरी तारीफ कर दी जिसका फल यह हुआ कि उसकी तनज्जुली कर दी गई। तो जेल जाना ही नहीं लेकिन और दूसरी ऐसी सेवाओं के बदले में भी जिसकी हानि हुई उनको सहायता मिलनी चाहिये। जिन अफसरों ने अपनी नौकरियों में रहते हुये हमें मदद की है और उस की वजह से उनको भर्त्सना मिली है, उनकी तनज्जुली हुई है या उनकी तरक्की मारी गयी है ऐसे लोगों को भी हमें पोलिटिकल सफरर मानना चाहिये और उनकी मदद करनी चाहिये। अगर ऐसे अफसर कहीं है तो उनका ध्यान रखा जाय, उनकी तरक्की की जाय और उनकी इमदाद की जाय। क्योंकि लड़ाई खत्म नहीं होती, और आगे आ सकती है। अगर जर्मनी आजाद से गुलाम हो सकता है, जापान गुलाम हो सकता है, तो यहां भी दुर्दिन आ सकता है। इसलिये पेंशन पाने वाले सिपाहियों को पेंशन दी जाय। गोली शेर को मारती है। लेकिन अगर बन्दूक की बारूद न होती तो गोली चल ही नहीं सकती। इसलिये यह याद रहे कि बृटिश हुकूमत रूपी सिंह का शिकार करने में देश भक्तों ने अगर गोली का काम किया है तो उसके सहायकों ने बारूद का पार्ट अदा किया है। इसलिये हमें उन पर भी उचित ध्यान देना चाहिये। क्या जरूरत है कि जो सिपाही मर गया है उस के परिवार को पेंशन दी जाय। वह इसलिये दी जाती है ऐसे बहादुर आदमियों की संख्या बढ़े और नये त्यागी आदमी हमको मिल सकें। इसलिये मेरी गुजारिश है कि उनके साथ रियायत की जाय। मैं प्रार्थना करता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से कि फौज के

[श्री सीताराम शुक्ल]

सिपाही को शिकमी देने का अख्तियार है जो तनख्वाह ले कर लड़ता है, लेकिन यह पोलिटिकल सफरर अगर अपने खेत को शिकमी दे दे तो वह जब्त हो जायगा। अभी तक वह गल्ले पर, शिकमी पर अपना खेत दे दिया करता था और फिर पब्लिक का काम करता था, लेकिन यह कानून ऐसा बन गया है कि अगर उसने अपने खेत को शिकमी पर दे दिया तो वह चला जायगा, जब्त हो जायगा। बहुत से पब्लिक का काम करने वालों ने काम करना छोड़ दिया और खेती करना शुरू कर दिया। आपने भूमि दी है कुछ लोगों को किछा में और उनका मकान है बलिया में, बस्ती में, या देवरिया में। वह है पोलिटिकल माइन्ड। उनकी खेती हो रही है लेकिन जब बाढ़ आती है तो क्या आप समझते हैं कि पोलिटिकल माइन्डेड आदमी किछा में बैठ कर अपने खेतों में काम करेगा। जिसने अपनी जिन्दगी की परवाह नहीं की देश के लिये, मुल्क की आजादी के लिये, तो क्या आप समझते हैं कि वह बाढ़ के जमाने में अपने खेतों को देखने जायगा।

वे भाग करके वहां पहुंच जाया करेंगे बाढ़ वालों की सहायता करने के लिये। खेती खराब हो जायगी। तो न उसकी खेती ही होती है और न बाढ़ का काम कर पाता है, ऐसी परेशानी हो जाती है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि जो आपने खेत दे रखे हैं, उनमें खेती सरकार कराये, अपना सुपरिन्टेन्डेन्ट रखिये, ताकि पैदावार अच्छी हो और जो मुनाफा हो खर्चा काटने के बाद वह उनको बांट दीजिये। पोलिटिकल आदमी खेती नहीं कर सकता है। वह तो परोपकारी होता है उसकी आदत है, दूसरों की सेवा करना। आप कितना भी आराम दें परन्तु उसको पोलिटिकल काम छोड़ कर दूसरे कामों में शांति नहीं मिल सकती, वह उसे पसन्द नहीं है। इसलिये मेरी गुजारिश है कि सरकार खुद खेती करे और आमदनी का हिसाब लगा करके मुनाफा बांट दे।

यहां एक सवाल पैदा होता है कि पोलिटिकल सफरर्स जो हैं वे केवल कांग्रेस में ही नहीं हैं, सोशलिस्ट्स में हैं, कम्युनिस्ट में हैं, हिन्दू महासभा में हैं, तथा और कई जगहों में हैं, और कई कैम्पों में हैं। तब उन्हें पैसा दे कर के सरकार के खिलाफ काम करवाना क्या बुद्धिमानी है? सवाल यह पैदा हो सकता है, इसमें दो रायें नहीं। मेरी गुजारिश है कि पोलिटिकल सफरर्स को जो आप इनाम देंगे वह इस वक्त के काम का नहीं बल्कि उन सेवाओं का है जो कि पहले वे कर चुके हैं। उन्हीं की मेहरबानी से आज हर हिन्दुस्तानी सर ऊंचा कर के चल रहे हैं। आप सरकार की कुर्सी पर बैठे हुये हैं। माननीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल जी देश से बाहर गये थे कितना इस्तकबाल हुआ दुनिया में, लोगों ने सिनेमा में देखा होगा और पढ़ा भी होगा। दुनिया में न भूतो न भविष्यति ऐसा किसी भी प्रधान मंत्री का इस्तकबाल नहीं हुआ। हमारे पंडित जी आज दुनिया में सुलह करा रहे हैं इसमें पोलिटिकल सफरर्स का भी हाथ है उन्होंने कुर्बानियां की हैं तो जो झंडा तिरंगा सारे संसार में चमक रहा है वह राजनीतिक पीढ़ियों की वह पुरानी सेवाओं का फल है। इसे मत भूल जाइये।

हुजूरवाला आप गौर फरमायें कि अगर सरकारी अफसर पेंशन पाने के बावजूद दूसरी पार्टी में जा सकता है तो अगर एक पोलिटिकल सफरर किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी क्या खता है। एक चीज मैं आप से अर्ज कर दूं कि पेन्शन दे कर आप घाटे में नहीं रहेंगे। "बुभुक्षितः किन्न करोति पापम्" जब अधिक परेशानी हो जाती है। तो सोचने की शक्ति घट जाती है। यहीं लखनऊ में शाम तक कांग्रेसी टोपी और सुबह लाल टोपी हो गई और इसका उल्टा भी हुआ है, तो कुछ परेशानियां हैं अगर आप हिम्मत कर के पैसा देंगे और उनकी आर्थिक कठिनाइयां जाती रहेंगी तो मैं आप से कहता हूं कि यह हो सकता है कि जिन्होंने गलतियां की हैं वे अपनी गलतियों को भूल जायं। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी विद्वान हैं, मैं एक श्लोक सुनाता हूं।

"तानिन्द्रियाण्यविकलानि तदैव सा बुद्धिरप्रति हता बचनं तदेव।
अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः सएव, अन्यक्षणे न भवतीति विचित्रमेतत् ।।"

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि बहुत आप की कवितायें और श्लोक हो गये हैं, मैं बार-बार कविताओं के पढ़ने के लिये आपको इजाजत नहीं दूंगा। आप विषय पर भाषण दें।

श्री सीताराम शुक्ल--आज्ञा मानना श्रीमन्, आपकी मेरा फर्ज है। वही सब इन्द्रियां अच्छी हालत में और वही नाम वही उत्तम बुद्धि तथा वही वचन किन्तु जब पैसे की गर्मी नहीं रहती तब एक ही क्षण में आदमी क्या से क्या हो जाता है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि अगर इनकी मदद करेगी सरकार और आर्थिक कठिनाई से वे निश्चिन्त हो जायेंगे तो सरकार को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों में कांग्रेस सरकार ही अच्छी है। क्या अमरीका पागल है, जो बिला शर्त आप को इमदाद देता है, क्या उस का दिमाग खराब है कदापि नहीं। मगर फिर भी वहां से घी आ रहा है और चीजें आ रही हैं। रूस हमारी इमदाद क्यों कर रहा है इसकी वजह यह है कि इंसान का बड़ा भारी असर पड़ता है मूक प्रोपेगेंडा का बड़ा प्रभाव होता है,। इसलिये अगर आप सहायता करेंगे तो इनके सोचने की शक्ति बढ़ जायगी और वे आपके साथ में आयेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अध्यक्ष महोदय, इतनी दलील तो मैंने दी इस प्रस्ताव के पक्ष में। अब इसके विपक्ष में भी थोड़ी सी बात है उसे छिपाना नहीं चाहता उसे भी कहे देता हूं। वह यह कि जब यह प्रस्ताव मैंने पेश किया और इत्तफाक से लाटरी में निकल आया तो प्रस्ताव के निकलने के बाद ही हमारे तेज, होशियार मुख्य मंत्री ने उस पर, ऐक्शन ले लिया। अदालत में दरख्वास्त दी गयी लेकिन बहस की जरूरत नहीं पड़ी और डिग्री हो गयी। हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने एलान कर दिया वर्कर्स की मीटिंग में कि हम एक आफिसर मुकर्रर कर रहे हैं जो राजनीतिक पीड़ितों की यथासम्भव सहायता करेगा। मेरी बातचीत भी उनसे हुई और मैं उम्मीद करता हूं कि यह काम अब समुचितरूप से सम्पन्न होगा। इसलिये तेज चलने वाले को और तेज नहीं चलाया जा सकता। अतः अब इस प्रस्ताव पर बहस करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष--क्या आप प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री सीताराम शुक्ल--जी हां।

श्री अध्यक्ष--क्या सदन की अनुमति है कि प्रस्ताव वापस लिया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--तो यह वापस नहीं हुआ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह दुर्भाग्य है हमारे देश का कि उन राजनीतिक पीड़ितों को जो कि आजादी के सिपाही रहे और जिनकी कुर्बानी की वजह से हमारा देश आजाद हुआ और सारे देश में एक पार्टी की सरकार बनी, लेकिन उनकी अवस्था की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार उस तरह की भी सहायता देने के लिये तैयार नहीं है जिस तरह की अंग्रेजी राज्य में यहां के सिपाहियों को दी जाती रही। अध्यक्ष महोदय, यह मानी हुई बात है कि....

श्री अध्यक्ष--मैं जानना चाहता हूं कि आप प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं?

श्री रामसुन्दर पांडेय--समर्थन कर रहा हूं।

सरकार को सबसे पहले यह ध्यान देना चाहिये था कि आजादी के सैनिक जो रहे हैं उन सैनिकों की सहायता किस प्रकार की जाय लेकिन अफसोस है कि सरकार अब तक उस में नाकामयाब रही। हमारे प्रदेश में तो श्रीमन्, मुझ जहां जानकारी है और आजादी का एक सैनिक होने के नाते जो अनुभव है, हमारे साथ में जो सैकड़ों आदमी सन् ४० से लेकर सन् ४२ तक जेलखाने के सीखचों में सड़ते रहे और यही नहीं जो सैकड़ों की तादाद में जेलखाने में उस की परेशानी और बेंत की मार से दम घुट कर मर गये, उनके परिवार की ओर जब ध्यान जाता है तो एक बार यही इच्छा होती है कि सरकार ने उन शहीदों की माताओं, भाइयों और बच्चों के साथ ऐसा जो व्यवहार किया है उसे दुर्व्यवहार कहें, उसे उपेक्षापूर्ण कहें और यह कहें कि कोई भी सरकार इस तरह से अपने सैनिकों की उपेक्षा नहीं कर सकती है जो इस सरकार ने किया है। प्रसन्नता होती है जरा सी कि माननीय वर्तमान मुख्य मन्त्री जी ने इस प्रकार का एक आदेश जारी किया है, और ऐसा एक विभाग खोला है जिससे शायद कुछ लोगों को डूबते को तिनके का सहारा हो सके, । लेकिन श्रीमन्, उस में भी बहुत अटकल बाजियां हो रही हैं और साधिकारपूर्ण कहा नहीं जा सकता है कि वह अटकलबाजियां सही होंगी या गलत होंगी। लेकिन सन्देह होता है जो परिपत्र जारी हुआ है विशेषाधिकार सहायक अफसर की ओर से, वह विधान सभा के सदस्यों और जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के पास भेजा गया है। हमें इच्छा हुई कि माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखें कि क्या जिला कांग्रेस कमेटी को ही इन राजनीतिक पीड़ितों की जानकारी है, और पार्टियों और राजनीतिक दलों को नहीं है? सरकार और मुख्य मंत्री जी को खुद चाहिये था कि इस प्रकार का आदेश जारी करते कि इस देश में कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं और किन लोगों का देश की आजादी के साथ सम्बन्ध रहा है, सभी प्रकार के राजनीतिक पीड़ितों के सम्बन्ध में जानकारी सरकार को करावें। लेकिन मेरा ख्याल है कि सरकार ऐसा करने में हिचकती है। सरकार बनने के बाद कुछ फरमान जारी हुए, कुछ काम, कुछ नौकरियां, कुछ रोजगार, कुछ खेती-बाड़ी के साधन देने की बात सरकार की ओर से हुई। पहले पहल राजनीतिक पीड़ितों को कुछ पेंशनें दी गयीं, कुछ को खेती करने के लिये भूमि दी गयी, कुछ को कुछ सहायता दी गयी। लेकिन कुछ राजनीतिक पीड़ितों को जो सहायता दी गयी उस के बारे में क्या कहूं कि उनकी हालत क्या है। मेरे पास कल ही रजिस्टर्ड दरख्वास्तें ५ राजनीतिक पीड़ितों की आई हैं। उन में लिखा है कि १६३३ रुपये की कुर्की उनके घर पर गयी है। जबसे उनको ट्रक की परमिट मिली तब से शायद अब तक उनको इतनी सहायता भी नहीं मिली होगी जितनी कि कुर्की उनके पास गयी है। एक दो बार नहीं इसी सदन के नोटिस आफिस में हमारे जिले के बहुत पुराने कर्मठ कांग्रेस कार्यकर्ता जो कि मेरे मुकाबले में कांग्रेस की ओर से खड़े हुये थे, सहदेवराम जी, उनकी चिट्ठी डाक से आई हुई थी और मुख्य मंत्री जी के नाम थी। ३३ सौ रुपये की उनके नाम कुर्की थी। इस प्रकार से मैं समझता हूं एक ही दो नहीं, हजारों प्रमाण इस प्रदेश में हैं कि सरकार ने जिनको मोटर ट्रक की परमिट दी है। अब टैक्स की वसूली उनकी जायदाद कुर्क करके वसूल की जायेगी। सरकार को इस पर गम्भीरता पूर्वक सोचकर कोई रास्ता निकालना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--अब सवा बज गया। आप भाषण बाद में जारी रखेंगे।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामसुन्दर पांडेय--उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जो परिपाटी अब तक पेंशन देने की है राजनीतिक पीड़ितों को वह बड़ी अव्यवस्थित रही है। अभी माननीय-मुख्य मंत्री जी ने सर्कुलर जारी किया और राजनीतिक पीड़ित विभाग खोला है उस

परिपत्र को जब पढ़ा गया तो उससे भी सन्देह उत्पन्न हुआ। श्रीमन्, वह फ़ार्म मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है लेकिन मुझे पूरा याद है। उसमें साफ लिखा है, "प्रमाणित कौन करेगा"। प्रमाणित करने वालों में जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी, विधान सभा या विधान परिषद् के सदस्य या और दो प्रतिष्ठित नागरिकों के प्रमाण-पत्र लिये जायंगे। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का भी प्रमाण-पत्र देने के बाद सरकार के उस कार्यालय में वह आवेदन-पत्र आयेगा। इसमें जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी का नाम रखने से हम लोगों का शुबहा और पुष्ट हो जाता है। श्रीमन्, जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी एक राजनीतिक दल हैं, उसका संगठन हैं। यह बात सही है कि इस संगठन से सरकार का भी संगठन है लेकिन राजनीतिक पार्टी और सरकार में अन्तर होता है। उस अन्तर को सरकार को बड़ी ईमानदारी के साथ निभाना चाहिये। लेकिन हमारे प्रदेश की सरकार उस अन्तर को निभाने में बिल्कुल असमर्थ होती चली जा रही है। यह परिपत्र ही साबित करता है कि जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी की सिफारिश होगी तो शायद उस व्यक्ति को पेन्शन मिले। श्रीमन्, यह बात सही है कि यह शुबहा गलत हो सकता है, लेकिन यह शुबहा सही भी हो सकता है। यह मानी हुई बात है कि जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के अलावा इस प्रदेश और देश में और भी राजनीतिक दल हैं और उनकी पार्टियां हैं, उन पार्टियों के कार्यकर्त्ता देश की आजादी की लड़ाई में शामिल भी रहे हैं और आज भी जिम्मेदारी के पद पर हैं और जिम्मेदार हैं। ऐसे लोगों से और ऐसे दल से यदि प्रमाण-पत्र न लिया जाय और केवल एक दल विशेष से जो सत्ताधारी दल है उससे प्रमाणित कराना ही यह साबित करता है कि शहर कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तरों से जो प्रार्थना-पत्र आयेगा उस पर ही विशेष ख्याल किया जायेगा। अन्त में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे प्रत्येक राजनीतिक पीड़ित को जो, अपाहिज, असमर्थ या हर प्रकार से रोजी मुक्त हैं, मासिक पेंशन या एक मुश्त रकम अवश्य मिलनी चाहिये। मैं जोरदार शब्दों में फार्म के इस खंड का विरोध करता हूं और मैं आप के द्वारा निवेदन करूंगा कि इसमें प्रमाणित करने की विधि जिला कांग्रेस कमेटी या शहर कांग्रेस कमेटी है उस को निकाल दिया जाय। श्रीमन्, मैंने पहले ही कहा था कि विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्यों के पास केवल एक-एक फार्म्स भेजे गये थे और विशेष अधिकारी श्री रामेश्वर सहाय सिन्हा की ओर से चिट्ठी गयी थी कि दस राजनैतिक पीड़ितों की सूची प्रमाणित कर के भेजें। श्रीमन्, मैं तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का एक सिपाही हूं लेकिन मैं समझता हूं और सदन भी जानता है कि विधान सभा और विधान परिषद् में हमारी पार्टी के लोग कितने हैं? जो विरोधी पार्टी है उसके केवल ३६ सदस्य हैं और जिला कांग्रेस कमेटीज में अनगिनत फार्म्स गये हैं, उस की कोई कल्पना नहीं है, उस की कोई गिनती नहीं है।

श्रीमन्, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिस देहात में रहता हूं नाम लेना उचित नहीं कांग्रेस के एक कार्यकर्त्ता हैं, उनसे हमारी पार्टी के एक कार्यकर्त्ता ने एक फार्म मांगा और एक मर्तबा नहीं दस मर्तबा मांगा लेकिन उन्होंने उस को फार्म नहीं दिया, जब कि जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में अनगिनत फार्म्स जाते हैं और कहा जाता है कि सभी लोग फार्म भर कर भेजें। श्रीमन्, इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस सरकार ने इस तरह से कांग्रेस कमेटीज के पास अनगिनत फार्म्स भेज कर लोगों में भ्रम पैदा कर दिया है। लोगों को अपनी ओर खींचने के साधन दे दिये हैं, इनसे तो भ्रम होगा ही और सही माने में जो प्रमाण-पत्र तथा प्रार्थना-पत्र जिन लोगों के आने चाहिये उनके अतिरिक्त ऐसे लोगों के भी प्रार्थनापत्र आ गये हैं और आ रहे हैं जिनको कि पेंशन नहीं मिलनी चाहिये।

श्रीमन्, मैं तो रोजाना देखा करता हूं और इस सदन में बीसियों बार कहा गया है। अपने जिले की बात कहूं कि कई एम० एल० एज० हैं, राज सभा के सदस्य हैं, उनके घर पर पचासों बीघे जमीन हैं, एम० पी० हैं, इन लोगों की जमीन परती पड़ी है और उनके गुजारे

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

के लिये नैनीताल में जमीन दी गई है। ऐसे लोग जो स्वस्थ हैं, उनकी सैकड़ों की आमदनी है ऐसे लोगों को भी पेंशनें दी गयी हैं। अभी मेरे साथी श्री शिवपूजन राय जो गाजीपुर जिले के रहने वाले हैं उन्होंने बतलाया कि ऐसे लोगों के प्रमाण-पत्र आये हैं जिनके घर के लोग वकील हैं।

श्रीमन्, मुझे शुबहा होता है। अब तक जो प्रमाणित करने की जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी, का परिपाटी रही है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है तो सरकार ऐसे लोगों को पेंशन न दे जो वाकई में जरूरतमन्द हों और ऐसे लोगों को दे दे जिनको देने की आवश्यकता न हो। हमें एक और शुबहा है और मेरी पार्टी के मंत्री श्री नारायण दत्त जी तिवारी ने कहा है कि हमारे जिला नैनीताल में तो यह अफवाह है और कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं का कहना है कि अच्छे-अच्छे, दस-दस आदमी मुकर्रर कर लिये जायं जिससे कांग्रेस का संगठन मजबूत किया जा सके। मैं सरकार से कहना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार शायद चेते और जो पेंशन दे रही है और जो सरक्यूलर जारी किया है उस में संशोधन करेगी।

श्रीमन्, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जब १९४६ में कांग्रेस सरकार बनी थी और राजनीतिक पीड़ितों को सहायता देने की बात सोची गई उस समय सरकार की ओर से एक जी० ओ० गया था। जी० ओ० में उल्लेख है कि राजनीतिक पीड़ित वही हैं जिसे कम से कम ६ महीने की सजा हुई हो। मैं आप से निवेदन करूंगा कि राजनीतिक पीड़ितों की तादाद तो ज्यादा है। उस में २ महीने, ३ महीने, और १५ दिन की सजा पाये हुये आदमी भी राजनीतिक पीड़ित कहे जा सकते हैं। जिनको बेत लगाये गये हैं, जिनके घरों को जलाया गया है उनकी सहायता सरकार ने की है, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि राजनीतिक पीड़ितों की एक सूची तैयार की जाय जिससे उनको भी कुछ सहायता मिल सके। आज तो इस जी० ओ० के मुताबिक जिसने ६ महीने की सजा पायी हो उस को ही सहायता मिल सकती है लेकिन कम सजा पाने वाले बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो असमर्थ हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास रोजी का कोई जरिया नहीं है, जो असमर्थ हैं, जो अपाहिज हैं और जिनकी अवस्था ५० वर्ष से ज्यादा है उन लोगों को सयहाता मिलनी चाहिये सम्प्रति जो फार्म भेजा गया है उसके साथ-साथ विशेष अधिकारी का जो आदेश गया है उस में कहा गया है कि ५० वर्ष से ज्यादा जिनकी अवस्था होगी उनको ही मासिक पेंशन मिलेगी। कुछ लोगों को मसिक सहायता मिलती भी है। मासिक पेंशन की सहायता के लिये ५० वर्ष की अवस्था का प्रमाण-पत्र आवश्यक है जिसे सिविल सर्जन से लेना है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसे बहुत से लोगों को बड़ी रेपशानी होती है तथा होगी क्योंकि वह सिविल सर्जन के पास नहीं जा सकते हैं। आजमगढ़ शहर में गावों से आना बड़ा मुश्किल है और फिर उनको सिविल सर्जन को १६ रुपया फीस देना भी कठिन है जिस को लेकर वह ५० वर्ष से ज्यादा अपनी उमर का सर्टीफिकेट लें। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में सरकार को कोई समझ कर कदम रखना चाहिये जिससे कि प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की असुविधा दूर हो जाय। कलेक्टर का प्रमाण-पत्र लेने में भी बड़ी असुविधा होती है, इसके लिये भी कोई तदबीर निकालें। मैं आप से निवेदन करूंगा कि जो लोग अपाहिज हैं, अस्वस्थ हैं उनको सरकार पेंशन दे।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के सामने उपस्थित है, उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है वे इसके अधिकारी हैं कि उनकी यह सरकार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सहायता करे, जैसा कि जो फौज में लड़ते हैं और सैनिक होते हैं उनकी सदैव सरकार मदद करती है, जो कि भिन्न प्रकार की होती है। अगर वे लड़ाई में मर जाते हैं तो उनके घरों को पेन्शन दी जाती है, जो आदमी जख्मी हो जाते हैं उनको भी पेंशन दी जाती है और थोड़े

समय के बाद जब वे रिटायर होते हैं तब भी उनको पेंशन दी जाती है। जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया हो और फिर उन्होंने अपने पास से व्यय किया हो और कुछ भी किसी से नहीं लिया हो तो वे इस बात के मुस्तहक़ हैं कि यह शासन जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्थापित हुआ है उनको पूरी सहायता करे।

जिन्होंने स्वतंत्रता के संग्राम में हिस्सा लिया है उसकी भिन्न परिस्थियां हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, वे कभी नहीं चाहते हैं कि वे लोग सरकार से कोई सहायता लें। इसलिये उनका प्रश्न नहीं उठता है। केवल उनका प्रश्न उठता है जिनकी आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। इस सरकार ने यह तो अच्छा किया कि जो अपाहिज हो गये थे और काम योग्य नहीं रह गये थे और जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी उनके लिये शासन ने दरवाजा खोला। एक अफसर उनके लिये इस कार्य के लिये नियुक्त किया गया है। जो ५० वर्ष से ऊपर हैं और जिनकी शारीरिक अवस्था अच्छी नहीं है, जो काम करने के योग्य नहीं हैं उनकी सहायता की जायगी। मगर मेरी इत्तिला में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं कि जो अपाहिज भी नहीं हैं और जिनकी उमर भी ५० वर्ष से ज्यादा नहीं हुई है, परन्तु उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गयी है। इस स्वतंत्रता के संग्राम में जिन्होंने हिस्सा लिया है और जब सत्याग्रह नहीं होता था तब राजनीतिक कार्यों में लगे रहने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गयी है और वे उस मद में आते भी नहीं हैं। वे इस बात के मुस्तहक हैं और इस बात के अधिकारी हैं कि उनकी सहायता की जाय। उनकी सहायता दो प्रकार से हो सकती है—अगर वह शारीरिक कार्य के योग्य हैं और अगर वे इंडस्ट्री में कोई उद्योग करें और उसके लिये रुपये की मदद चाहें तो सबसिडी के रूप में उनको सहायता दी जाय या उनको ऋण दिया जाय। जो व्यक्ति जिसके योग्य हो, जिस प्रकार की सहायता वह चाहे उस प्रकार की सहायता उसको दी जाय, चाहे वह ऋण के रूप में हो या सब्सिडी के रूप में। अगर वह काम करने के योग्य न हो तो उसको पेन्शन दी जाय। जो भी इस प्रस्ताव में है उसमें इसको संशोधन समझा जाय यानी उसको इस रूप में लिया जाय कि जिन व्यक्तियों का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है, जो कार्य करने के योग्य हैं, जो उद्योग धंधा करना चाहते हैं और जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वे इस रोजगार को कर सकें तो उनको उस रोजगार के करने के लिये पैसा मिलना चाहिये। इन विचारों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

† **श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी** (जिला गोंडा)—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जो रिजोल्यूशन आज हमारे सामने हैं वह अपनी जगह पर काफी अहमियत रखता है। यह भी सही है और जहां तक कि हमारी गवर्नमेंट की बुनियाद का सवाल है वह जिस चीज पर कायम है, हम समझते हैं कि वह चीज इस देश के रहने वालों की सेक्रीफाइस और कुरबानियों पर है, जो उन्होंने इस मुल्क को आजाद कराने में कीं। लेकिन यह भी दावे के साथ कह सकता हूं और इस सूबे के लिये खास तौर पर कि जहां तक हुकूमत की मशीनरी का ताल्लुक है, उनको पोलिटिकल सफरर्स से कतअन कोई हमदर्दी नहीं है। जहां तक पार्टीज का ताल्लुक है कांग्रेस पार्टी और उसकी मुखालिफ पार्टीज में इस के मुताल्लिक़ कोई इख्तिलाफ नहीं है। इस बारे में इस हाउस के अन्दर इसके बाहर भी सब मुत्तफिक हैं। सब चाहते हैं कि उन लोगों को सहायता दी जाय। एक कायदा यह बनाया गया कि जो-जो इस बात का सर्टीफिकेट हासिल करना चाहें कि वे पोलिटिकल सफरर हैं तो वे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का दरवाजा खटखटायें। पोलिटिकल सफरर्स में बहुत से ऐसे गैरतमंद हैं जो सर्टीफिकेट के लिये वहां जाना पसन्द नहीं करते और आपके इस कानून से

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी]

उनका दिल कुचला जाता है, जब वे हाथ फैलाकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां जाते हैं जिनमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसी यू० पी० के अन्दर मजालिम किये हैं और आज उन्हीं के सामने हाथ फैलाकर जाने के लिये कहा जाता है और उनसे यह सर्टीफिकेट हासिल करने को कहा जाता है कि हम पोलिटिकल सफरर हैं। मैं समझता हूं कि यह सूरतेहाल ज्यादा दिन तक बरदाश्त नहीं की जा सकती। जहाँ तक गवर्नमेंट के प्रोपेगेंडे का सवाल है, लीडरों के तकरीरों और उनके बयानात का ताल्लुक है. मोअज्जिज मिनिस्टर साहबान का बयानात का ताल्लुक है, सब ने इस चीज को सराहा है और कहा है कि सरकार पोलिटिकल सफरर के साथ हमदर्दी रखती है। लेकिन जब मैं अमल में देखता हूं तो वही हालत मालूम पड़ती है जो आज से १० साल पहले दिखायी देती थी। बल्कि आज जिन आफीसरान के पास हम और आप उनको भेजते हैं, उनके सामने पहले से ज्यादा उनको जलील किया जाता है। ऐसी सूरत में हमारे मोअज्जिज मिनिस्टर साहब जो यहां मौजूद हैं, आप के जरिये से उनको मुतवज्जह करता हूं, कि वे पूरे केबीनेट के साथ इस मसले पर गौर करें और इस बात को तय करें कि आया वे इस बात की जरूरत समझते हैं या नहीं कि उन लोगों की सहायता की जाय, जिन्होंने कुछ कुरबानी की है और मुल्क के लिये अपना फ़र्ज अदा किया है। यह मैं मानता हूं कि उन्होंने कोई अहसान नहीं किया अपने फ़र्ज को अदा किया है, लेकिन अब यह भी जरूरी है कि उस के साथ आप भी अपने फ़र्ज को अदा करें। जो आदमी किसी जगह पर आ जाता है तो उस जगह पर बैठ कर दूसरे को नसीहत करता है कि उस जगह के लिये कोशिश न करो। लेकिन हमने अक्सर मौकों पर देखा है, जब पुलिस सब-इंस्पेक्टर की भर्ती की जा रही थी तो उस वक्त पोलिटिकिल सफरर्स की भी दरख्वास्तें वहां थीं और मैंने अपने इन कानों से बड़े बड़े जिम्मेदार उच्च आफिशियल को कहते सुना है कि इन पोलिटिकल सफरर्स की वजह से हमारा सारा ऐडमिनिस्ट्रेशन खराब हो रहा है। इसलिये उनको परेशानी होती है कि चाहे प्रजा पार्टी हो, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो उन सब की सिम्पैथी पोलिटिकल सफरर्स के साथ होती है।

हमारे प्रदेश में पोलिटिकल सफरर्स रखे जाते हैं या नहीं, लेकिन उनका नाम होता है, उनकी इमदाद का भी नाम होता है लेकिन हमने देखा है कि उनको मुलाजिमत में या कहीं पर भी पनपने का मौका नहीं दिया जाता है। इसलिये कि ऊपर के आफिशियल उनसे घबड़ाते हैं। इसलिये जो तजवीज रखी गयी है मैं अपने उन साथियों से कहूंगा, उन मुअज्जिज मेम्बरान से भी आप के जरिये कहूंगा कि आप पूरी ताकत के साथ इस काम को कीजिये ताकि जैसा कि मुख्तलिफ कागजों की तरह इसे भी रद्दी की टोकरी में न फेंक दिया जाय। हमको चाहिये कि पूरी ताकत के साथ जितना कि बाहर कहते हैं पोलिटिकल सफरर्स के लिये जो कुछ कर सकें करें, ताकि कोई ऐसी चीज नहीं हो जिससे वे किसी पार्टी के मोहताज हों, किसी पार्टी पोलिटिक्स के मोहताज हों, पूरा हाउस इस बात में मुत्तफिक है तो फिर कैबिनट को इससे जरा भी इख्तलाफ होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। फिर मैं आपके जरिये यह कहना चाहता हूं कि जब पोलिटिकल सफरर्स के लिये आपके ही दिल में शक हो, आप के दिमाग में शक हो तो फिर दूसरे के लिये तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। इसलिये मेरा कहना है कि ऐसे पोलिटिकल सफरर्स जो इमदाद के ख्वाहिशमन्द हों, जो वाकई में इमदाद लेना पसन्द करें उनको इमदाद दी जाय, उनको तिजारत का मौका दिया जाय, कोआपरेटिव सोसाइटीज बनायी जायं और उनमें उनका एक खासा दखल रखा जाय।

जनाबवाला, मैंने यह देखा है कि सन् ३०, ३२ और ४२ में ऐसे लोग जो जेल के अन्दर गये, जो पुलिस के द्वारा पीटे गये, उनके बच्चे दूध को कौन कहे भात के पीस पर पाले गये। अगर आनरेबिल मिनिस्टर साहब चाहेंगे तो मैं उनके नाम भी बतला सकता हूं।

आज उनके बच्चे जो इस तरह से पुलिस द्वारा पीट-पीट कर जेलखानों के अन्दर बन्द किये गये वे पोलिटिकल सफरर्स इमदाद के मुश्तहक़ और उनके बच्चे और ज्यादा मुश्तहक हैं। इसलिये उनकी औलाद के लिये जहां तक हो सके करना चाहिये। हम लोग तो ऐसे हैं जो अपनी जिन्दगी को किसी न किसी तरह से गुजार चुके हैं, एलाऊंस भी पाते हैं, डेली एलाउंस भी पाते हैं, तनख्वाह भी लेते हैं, लेकिन उन लोगों को एक पैसे की भी राहत नहीं मिली है। मैं अदब के साथ आप के जरिये अर्ज करना चाहता हूं कि इससे यह साबित होता है कि हमारे अंदर ही कहीं सुस्ती है, मैं जाती तौर पर कह रहा हूं कि जिन्होंने आजादी के जंग में हिस्सा लिया और उससे नुक्सान उठाया उनकी इमदाद करना हमारा अवल्लिन फर्ज है, हमारा सयासी फर्ज है, हमारा अखलाक़ी फर्ज है और मैं तो यहां तक जाने के लिये तैयार हूं कि हमारा मजहबी फर्ज भी है। जनाबवाला, मुझे भी कई ऐसे मौके अपने अजीजों के लिये तिजारत और मुलाजमात के लिये कोशिश करने के मिले हैं, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि उसके अन्दर पोलिटिकल सफरर्स हैं तो फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं अपने अजीजों के लिये कुछ कह सकूं या कुछ करा सकूं, जिन लोगों ने मुल्क की आजादी में हिस्सा लिया है उनको राहत दिलाना हमारा फर्ज है। माननीय मिनिस्टर ठाकुर साहब भी मौजूद हैं, उनके बहराइच की बात ही मैं कहता हूं, अगर कोई गलत बात हो तो वे उस की तरदीद कर देंगे। खुद वे उस छोटे से जिले से जहां से नुमाइन्दा हो कर आये हैं उनको मुख्तलिफ मौकों पर वहां के उन्हीं लोगों से इमदाद मिली है। अब उन्हीं की मदद से, उन्हीं के भरोसे से, खुदा के भरोसे को हम दुनिया के लोगों के सामने यहां आ कर खड़े हुये, जिनकी कोशिशों से, जिनकी दुआओं से उन हजारों इन्सानों की राय हमें हासिल हुई। जिन्होंने इन्सानियत के नाते हमें इस काबिल बनाया कि आज हम यहां इन कुर्सियों पर बैठे हैं, जिन्होंने मुल्क के लिये और हमारे लिये कुरबानी की, जिनकी कोशिशों से हम अवाम की राय पा कर फायदा उठा रहे हैं और गद्दियों पर बैठे हैं लेकिन हम अपने में एक बड़ी कमी पाते हैं जब हम उनकी तरफ देखते हैं जिन्होंने हमें इतना बड़ा फायदा पहुंचाया। हमारी बहुत ज्यादती होगी अगर हम उनके वास्ते अदब से अपने सिर को न झुका सकें और अगर उनके लिये हमारा सिर नहीं झुकता, उनकी कुरबानी के लिये हमारी गर्दन नहीं झुकती तो मैं इसको दुनिया में भी और मरने के बाद भी अपने लिये एक गुनाह समझूंगा। मैं समझता हूं कि यह चीज जो पेश है वह हमारी बेंचेज की तरफ से ही नहीं बल्कि उस तरफ से भी ताईद की मुस्तहक है और जो-जो मोहतरिम हस्तियां यहां बैठी हैं और जो खुद आजादी हासिल करने में तकलीफात उठा चुकी हैं वह भी इसकी ताईद करेंगी और अमली ताईद करेंगी और मुल्क के लिये उनकी खिदमत का पूरा एहतराम किया जायगा कि जिन्होंने कुरबानी की और हम लोगों को इस काबिल बनाया कि हम आज यहां बैठे हैं और जिनकी तरफ से इस कुर्सी पर आ कर बैठे हैं।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो प्रस्ताव माननीय शुक्ल जी ने पेश किया था वह काफी महत्व रखता है, लेकिन जब उन्होंने उस को वापस ले लिया तो थोड़ी देर के लिये मुझे उनकी बुद्धि के दिवालिएपन पर बड़ा दुख हुआ। यह एक ऐसा प्रश्न था कि जिसके विषय में हमारे दिल में बहुत दिनों से उफान उठ रही थी जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि इन बहादुरों के बलिदान और त्याग के कारण ही आज हमारे देश की सूरत बदल गयी है और संसार में आज भारतवर्ष यदि थोड़े ही दिनों में एक प्रथम कोटि का राष्ट्र माना जाना लगे तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं मालूम होती। महात्मा गांधी की कृपा से यहां त्याग और बलिदान के लिए ऐसी बड़ी सेना तैयार हुई कि राष्ट्र और समाज से एक पैसा भी न लेकर उसने जहां तक हो सका मर मिट कर देश के स्वाभिमान को जगाया और ऊंचा किया। ऐसे लोगों के प्रश्न को हमें जरूर हल करना है। उनके दिलों में आज भी देश के लिये आग मौजूद है, देश के लिये आतिश मौजूद है, उन्होंने देश को जीवन दिया, स्वतंत्र कराया, वह आग अभी उनके दिलों से

[श्री ब्रजभूषण मिश्र]

बुझी नहीं है यद्यपि वह आज भी दरिद्रता और निर्धनता के शिकार हो रहे हैं ! आर्थिक कठिनाई में हैं, सयानी लड़कियां शादी के लिये बैठी हैं, दाने दाने को मोहताज हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, फीस देने को पैसा नहीं है और नाना प्रकार की मुसीबतों में हैं लेकिन फिर भी उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जिनमें देश को उठाने की मातृ-भूमि की भक्ति की आग आज भी वैसी ही जल रही है ! जब हम उनको देखते हैं तो सम्मान से हमारा उनके सामने मस्तक नत हो जाता है लेकिन जब हम देखते हैं कि उनकी कोई मदद नहीं कर सकते या कर सकें, तो हमें लज्जा भी आती है और शर्म से सिर झुक जाता है। यह हमारे सामने एक मौलिक प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं यह भी कहने का साहस करता हूं कि यदि उनकी हालत नहीं सुधारी गयी और उनकी तकलीफों को नहीं समझा गया तो वह बहादुर जिन्होंने अब तक तकलीफें भुगती हैं, उनकी आवाजें दब जायंगी और वह इस देश के भाग्य को पलटने में जो पार्ट अदा कर सकते हैं और जिन्होंने अपना पार्ट स्वराज्य प्राप्ति में अदा किया है वह आगे शायद इतने उत्साह से काम न कर सकेंगे। मैं जानता हूं कि यह सवाल पेचीदा भी है, चाहे इसमें हमारी भावुकता ही हो लेकिन यह प्रश्न गम्भीर अवश्य है और इसमें डिटेल में जाने पर बड़ी-बड़ी पेचीदगी भी आ सकती हैं, जब हम राजनीतिक पीड़ितों की व्याख्या करने चलते हैं तो उसकी व्याख्या करना कठिन मालूम पड़ता है, कोई सीधी रेखा नहीं खींची जा सकती। यह कहना बड़ा कठिन है कि कौन राजनीतिक पीड़ित है और कौन नहीं है। जैसी समाज की अवस्था है, उस में बेजा लाभ उठाने वाले भी हो सकते हैं और बहुत से ऐसे भी होते हैं जो यथार्थ में पात्र हैं लेकिन वे लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऐसी बातें राजनीतिक पीड़ितों के सम्बन्ध में भी घटती हैं। देखा गया है कि जो लोग इत्तिफाकिया उस समय गिरफ्तार हो गये, पकड़ लिये गये, जिनके कृत्य संदेह से परे नहीं थे, उन्होंने बाद को चलाकी से अपना नाम प्रथम लिखा लिया और फायदा उठाया। साथ ही कितने ऐसे भी हैं, जिन्होंने सचमुच बलिदान किया जिन्होंने कष्ट उठाया, जिनके बाल बच्चे भूखों मरे और वह सीधे-साधे देहात के रहने वाले लोग ऐप्रोच नहीं कर सके, देहात से बाहर नहीं निकल सके और वे बेचारे कोई भी सहायता नहीं प्राप्त कर सके। मुझे ऐसे दृष्टान्त मालूम हैं जो ४–४ वर्ष जेल में रहे और वह राजनीतिक पीड़ित हैं लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं मिली। कोई न कोई परिभाषा तो खैर राजनीतिक पीड़ितों को माननी ही पड़ेगी। छः महीने सजा वाली जो परिभाषा बनी है उस सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना नहीं है लेकिन बहुत से ऐसे मामले हैं जो परिभाषा में हो आते हैं किन्तु हैं वे जेनुईन केसेज। परन्तु वे इस परिभाषा के कारण फायदा नहीं उठा सकते और जो सुविधायें सरकार ने दे रखी हैं उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं कर सके हैं। जब मिर्जापुर में व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन चल रहा था उस समय एक साल की कैद और पांच सौ रुपया जुर्माना होता था चाहे उस में राजा हो चाहे झिगई पनिका क्यों न हो। बल्कि इसके लिये एक कविता भी बन गयी थी—

"सुनिये, विचारपति फैसला तुम्हारा, पर मेरा सब जाना है।
करते हैं न्याय का बहाना आप क्यों, एक साल कैद पांच सौ जुर्माना है।।"

ऐसे बहुत से काम करने वाले जो पकड़े गये और जेल खाने में डाले गये पर दो-तीन महीने के बाद ही जेनरल ऐमनेस्टी में वह छोड़ दिये गये, वह इस परिभाषा में नहीं आते हैं तो यह भी एक कठिनाई है। ऐसी–ऐसी व्यावहारिक कठिनाइयां हैं जिनको हमें राजनीतिक पीड़ितों की सूची पाते समय हल करना होगा। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसके लिये एक अलग से विभाग खोल दिया है और एक बहुत ही सुयोग्य और दक्ष पुरुष, यह नहीं कि "जाके पैर फटी न बिवाई, सो का जाने पीर पराई।" इसके लिये रखा है और उनको इस काम का चार्ज दिया है जो इसके स्वयं भुक्तभोगी हैं और जिन्होंने बहुत से कष्ट स्वयं उठाये हैं। इस सुन्दर सेलेक्शन के लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं। मुझे विश्वास है कि कोई ऐसी परिभाषा

करेंगे राजनीतिक पीड़ितों की जो उचित होगी। क्योंकि उनके पास आवेदन पत्र आ रहे हैं जिसमें सब प्रकार के लोग हैं। मैं उस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि हम लोगों के पास सरकुलर्स गये हैं प्रत्येक एम० एल० ए० के पास, जिला कांग्रेस कमेटी के पास कि आप लोग अपने जिले के १० ऐसे लोगों के नाम भेज दें। अब उन लोगों ने अलग-अलग नाम भेज दिये। जिला कांग्रेस कमेटी ने भेजें, एम० एल० एज० ने भेजे और कुछ लोगों ने सीधे भेज दिये और इस तरह से मसमझता हूं कि सूबे भर के लाखों नहीं तो करीब एक लाख के नाम जरूर पहुंचे होंगे। मैं नहीं समझता हूं कि सरकार कैसे पेन्शन देगी, क्या करेगी लेकिन उस में बहुत सी प्रार्थनायें की गई हैं। बहुत ने पेन्शन के लिये कहा है, बहुत ने कहा है कि उनको व्यवसाय के लिये रुपया दिया जाय क्योंकि हम मर कर नहीं, जिन्दा रह कर पुरुषार्थ कर के खाना चाहते हैं तो इस समय मैं नहीं बतला सकता कि सरकार को उन पर क्या करना चाहिये, लेकिन जो समस्या हमारी है उस को मैं संक्षेप में सरकार के सामने रखता हूं कि कई प्रकार की प्रार्थनायें आयी हैं। बहुत से लोग जो अशक्त हो गये हैं, निर्बल हो गये हैं, बूढ़े हो गये हैं वह चाहते हैं कि उनको पेंशन दे दी जाय। लेकिन बहुत से केसेज ऐसे भी हैं जो हाथ पैर चला सकते हैं लेकिन वह कोई व्यवसाय धनाभाव के कारण नहीं चला सकते वह चाहते हैं कि सरकार उनको थोड़ी सी सहायता दे दे जिससे अगर वे खेतिहर हैं तो वे खेती में मदद पहुंचा कर अपने जीवन का निर्वाह कर सकें और व्यवसायी हैं तो व्यवसाय कर के। बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी भी सहायता मांगी है जैसे उनको लड़की की शादी करनी है या बच्चों को पढ़ाना है। मैं नहीं कह सकता कि कितनी दरख्वास्तें हैं और आगे कैसे विचार होगा, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर आप ने यह कदम उठाया है तो बहुत बारीकियों के साथ, छानबीन के साथ केसेज को देखा जाय और कुछ न कुछ प्रत्येक जेनुइन केस में सहायता अवश्य दें। अगर ऐसा न कर सकेंगे तो दिक्कत यह होगी कि जो आप ने आवेदन-पत्र मांगे हैं और सबों ने भेजे हैं, बहुतों ने नकली और बहुतों ने असली तो ऐसा काम न किया जाय जिसमें श्रेय तो बहुत कम लोगों से मिले और गालियां बहुतों से और वह अप्रियता का कारण बन जाय। इसलिये जो कदम उठाया है इसमें दूसरी मदों से पैसा काट कर जो आपकी सेना है, जिसने बहादुरी के साथ स्वराज्य प्राप्त किया, अपना जीवन अर्पित किया ऐसे बहादुर सिपाहियों की आप अवश्य मदद करें और जैसी आपकी भावना है, जहां तक मुमकिन हो सके कुछ न कुछ सहायता हर जेनुइन केस में अवश्य दी जाय।

मैं अनुभव के आधार पर कहता हूं कि सरकार ने राजनीतिक पीड़ितों के बालकों के लिये छात्रवृत्ति की व्यवस्था की लेकिन मुझे मालूम हुआ कि हर जिले से दरख्वास्तें आईं लेकिन उनमें मेरा ख्याल है कि १० फीसदी को छात्रवृत्ति मिल सकी और ९० फीसदी लोगों को वह छात्रवृत्ति नहीं मिल सकी। सरकार के सामने भी कठिनाइयां हैं। सरकार भी एक सीमित कोष को रख कर काम करती है, इस वास्ते हर केस में नहीं दे सकती लेकिन नतीजा यह होता है कि जो कमजोर लोग हैं वे फायदा नहीं उठा सकते और फिर जा कर वे सरकार की बदनामी करते हैं। इसलिये मेरा इस प्रसंग पर यही निवेदन है कि बहुत जागरुक हो कर सब केसेज को अच्छी तरह से देख कर ऐसी व्यवस्था करें जिसमें कुछ न कुछ सहायता सब लोगों को प्राप्त हो सके। रामचन्द्र जी जब रावण को मारते हैं तो पहला काम यह करते हैं कि विभीषण से कहा कि हवाई जहाज पर मणि और अम्बर भर कर बरसा दो और सब को दे दो। रामचन्द्र जी को दूसरे का माल मिला था और उन्होंने उसे लुटा दिया, लेकिन हमारी सरकार तो एक ट्रस्टी है देश के धन की और उसे वह रामचन्द्र जी की तरह लुटा नहीं सकती। लेकिन सहायता देते समय हम ऐसा न करें कि जिसका विज्ञापन हो जाय, जिसकी सिफारिश हो जाय उस को मिल जाय।

इतना ही कह कर अन्त में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से फिर निवेदन करूंगा कि जो कदम उन्होंने उठाया है उसको वे पूरा करें और ईश्वर से प्रार्थना है कि उसमें उन्हें सफलता प्राप्त हो।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के सामने एक ऐसा प्रश्न उपस्थित हुआ है जिस पर कि विचार करने की इच्छा मेरी भी हुई है। जहां तक कि आजादी के सिपाहियों का इतिहास है, उनकी कुर्बानियों की बातें हैं किसी भी देश में उन आजादी के सिपाहियों की जो इज्जत होती है उसे हम लोग कभी भी पूरा नहीं कर सकते। हम चाहते तो यह थे कि जो इस आजादी की लड़ाई में रहे, जिन्होंने देश को आजाद करवाने में अपने जीवन की बाजी लगाई, जिन्होंने कारावास में रह कर देश की सेवा की या और तरह से देश की सेवा की उन सब की सेवाओं का हम कुछ पुरस्कार दे सकते। लेकिन आजादी के सिपाहियों के लिये सब से बड़ा पुरस्कार तो यह है कि आज हमारा देश आजाद हो गया। उनको हम क्या दे सकते हैं? हमारे बच्चे हमारे आगे की संतानें हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे माता पिताओं ने हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाया। लेकिन उस की भी कोई व्यवस्था आज हमारे सामने नहीं है। अगर आज हमारे देश की आर्थिक हालत अच्छी हो गयी होती तो हमारे सामने आज यह प्रश्न न होता। आज एक छोटी सी बात के लिये हमारे राजनीतिक पीड़ित-राजनीतिक पीड़ित कहते हुए हमें दुःख होता है कि हम अपने को पोलिटिकल सफरर कहें-हमारा फर्ज था, हमें इस देश को आजाद करना था, विदेशियों के चंगुल से देश को छुड़ाना था। हम उस आग में कूद गये, क्यों कि हमारा फर्ज था। पर आज परिस्थिति ऐसी है कि न गरीबी दूर हुई, न बेकारी दूर हुई। और वही राजनीतिक लोग जो लड़ाई में लड़े थे और जनता से कहते थे कि स्वराज्य होने के बाद दूध की नदियां बहेंगी बेकारी और गरीबी दूर होगी, वही जब आज गांव में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आज तुम्हारा ही क्या हाल है, तुम स्वराज्य लड़े थे, लेकिन आज तुम्हारी क्या हालत हो गयी है? ऐसी परिस्थिति को देख कर दुःख अवश्य होता है। पर पेंशन दी जाय, उनको कुछ दान दिया जाय, इंडस्ट्री के लिये कुछ रुपया दे दिया जाय, कुछ अनुदान दे दिया जाय यह इतनी छोटी चीजें हैं कि मांगते हुये शर्म मालूम होती है। मैं यह अवश्य समझता हूं कि यह जो प्रस्ताव सामने है, जहां तक उसका पहला हिस्सा सूची तैयार करने के सम्बन्ध में है मैं समझता हूं कि उस में कोई एतराज न होगा और एक कमेटी शायद बनी है। आचार्य नरेन्द्रदेव जी उस के चेयरमैन हैं। हमारी आजादी का इतिहास लिखा जा रहा है। वह यहां से कंपाइल हो रहा है और भी मैं चाहता था कि जो हमारे देश की आजादी में लड़े हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है वे सिर्फ पेंशनों के लिये न रहें, आज धारा सभा की तमाम दीवारों पर जो औरों की तस्वीरें लगी रहती थीं, आज हमारे प्रदेश के जितने भी इस आजादी की लड़ाई में लड़े थे, उनकी तस्वीरें इस सदन के अन्दर टंगी हुई होतीं, फाटकों पर सड़कों पर होतीं। हमारे जिलों के अन्दर जितने पार्क्स हैं, सड़कें हैं, उन सब पर अगर नाम लिख दिया गया होता उनका जो आजादी की लड़ाई में खत्म हो चुके, तब भी ठीक था। लेकिन आज एक छोटी सी चीज के लिये, पेंशनें मुकर्रर कर दी जायं, यह प्रस्ताव रखा है! मैं शुक्ल जी की भावनाओं के साथ हूं और यह एक ईश्यू ऐसा है जो बिल्कुल नान पार्टी बेसिस पर चल सकता है। जिलों में हम जो भी राजनीतिक लोग हों, जो कि आजादी की लड़ाई में जेल गये थे, कम से कम इसके लिये इकट्ठे हो कर बैठ सकते हैं। जिनकी हालत खराब हो, उनकी सहायता करने की कोशिश करें। उसमें भी हम इकट्ठा नहीं हो सकते। उस में भी राजनीतिक पार्टीबन्दी की बू झलकती है। अभी रामसुन्दर पान्डे जी ने कहा कि राजनीतिक पीड़ितों के लिये जो फार्म छपा है उसमें लिखा है कि कांग्रेस कमेटी का सर्टिफिकेट हो तो अच्छा है। वह भी चीज क्यों सामने आये? मैं मान सकता हूं कि एम० एल० एज के लिये कहा जा सकता है कि वह सभी से प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन दूसरे लोग इस बात की शिकायत कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रमाण पत्र लेने का क्यों प्रश्न उठाया गया है। इसका नतीजा यह हुआ कि तमाम कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे हुये हैं और इस बात को सोचते हैं, इसमें झूठ बात नहीं है, पोलिटिकल बेसिस पर इसे नहीं चलना चाहिये था, बल्कि जिनको सहायता पहुंचाने की जरूरत है उनको सहायता पहुंचाने की बात होनी चाहिये थी। आज यह हो रहा है, अभी नारायण दत्त तिवारी जी

बता रहे थे कि उनके जिले में यह हो रहा है कि दस बीस आदमी ऐसे इकट्ठा कर लें जो हमारे पड़ोसी हो जायं उनको पेंशन दिलवा दें। फिर वह बराबर काम करते रहेंगे। अगर यह मंशा है, अगर यह नियत है किसी प्रकार की तो मैं समझता हूं कि वह गलत है। यह एक ऐसा ईश्यू है जिसमें किसी पार्टी का प्रश्न हमारे सामने नहीं होना चाहिये और मैं इसकी भी मुखालिफत करता हूं कि जो लोग कमा सकते हैं, जो हट्टे-कट्टे हैं, जिनके हाथ पांव हैं और जो काम कर सकते हैं उनकी मदद की जाय, वह काम करें। लेकिन वह लोग जो गरीब हैं, जिनकी हालत खराब है, बेवायें हैं, या जिनकी ५५ साल से ज्यादा उमर हो चुकी है और ऐसे हैं कि जिनको हम सड़क पर भीख मांगते नहीं देखना चाहते, तो उनके लिये मैं यह आवश्यक समझता हूं कि उनकी सहायता हम सब को मिल कर करनी चाहिये।

अनुदान की भी बात हुई। अगर मेरा गवर्नमेंट में कुछ ज्यादा इंफ्ल्यूयेंस है तो मैं कुछ ज्यादा ले सकता हूं। पोलिटिकल सफरर हूं इस बहाने पर मुझे मिल सकता है, लेकिन इसके दुरुपयोग होने का आज एक बहुत बड़ा डर है। बहुत से लोग आज प्रेस खोले बैठे हैं। पोलिटिकल सफरर हैं, उनको ग्राण्ट मिल गयी और उन्होंने छापाखाना खोल दिया। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक राजनीतिक पीड़ितों का सवाल है कौन ऐसा होगा कि जो उनकी सहायता न करना चाहेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी कितना ही न चाहें, लेकिन जब उनका एक साथी जो उनके साथ जेल गया है, जिसने साथ-साथ मुसीबत झेली है और अगर उस की हालत खराब है, वह जब आता है तो वे उस की मदद करेंगे ही। तो मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी इस बात के आदेश दें कि हर जिले के अन्दर ऐसी कांफ्रेंसेज हों कि जिनमें हम सब बैठ कर, उस में एम० एल० एज० भी होते हैं और वे भी होते हैं कि जो जेल गये हैं, वे सब बैठ कर एक ऐसा सल्यूशन निकालें कि जिले के अन्दर जो उद्योग धंधे खुलें उनमें उन राजनीतिक पीड़ितों को, जिनको जरूरत है, हम कुछ मदद कर सकें। जहां तक हमारे विद्यार्थियों के पढ़ने का सवाल है और उन पोलिटिकल सफरर्स की, जो जेल गये हैं, फीस माफ करने का सवाल है, जिसके आदेश हमारी हुकूमत से निकल गये हैं, उनकी फीस अवश्य माफ होनी चाहिये। जो गरीब हैं उनके बच्चों को स्कालरशिप अवश्य मिलनी चाहिये। मुझे सुन कर आश्चर्य हुआ कि हमारी गवर्नमेंट ने ५२ जिलों में कुल २० स्टाइपेंड रखे हैं इंटरमीडियेट क्लासेज तक मैंने रामेश्वर सहाय जी से पूछा तो पता लगा कि इंटरमीडियेट क्लास तक २० स्कालरशिप दी जायंगी, हर दर्जे में फीस माफ करने के बाद। अगर इसकी माननीय मंत्री जी सफाई कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। जहां तक फीस माफ होने का सवाल है, वह जरूर माफ होनी चाहिये और यह स्टाइपेंडस् बढ़ाये जाने चाहिये। इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, जो डिसएबिल्ड हैं, जो बिधवायें हैं और जिनको जरूरत है, ऐसा न हो कि जो एक डिसएबिल है, लेकिन अमीर हैं और उस को पैसे की आवश्यकता नहीं है उस को भी मिल जाय, तो ऐसे लोगों को जिनको जरूरत है उस की बात भी हमको विचारनी चाहिये। मैं तो कहूंगा कि अगर इसमें कुछ पैसा खर्च होता है तो वह हमें खर्च करना चाहिये। हमारे यहां हर प्रसाद जी कहते थे कि पीलीभीत में २ आदमी ऐसे हैं कि जो ५० रुपया पेंशन पा रहे हैं और कभी जेल नहीं गये। तो इसके दुरुपयोग होने की भी बहुत बड़ी आशंका है और मैं समझता हूं कि अगर हम सब मिल कर नानपार्टी बेसिस पर इकट्ठे हो कर काम करें तो इन राजनीतिक पीड़ितों की हम काफी सेवा कर सकते हैं।

अब प्रश्न आता है कि पोलिटिकल सफरर है कौन? जो डेफिनीशन सरकार ने निर्धारित की है कि जो ६ महीने के लिये जेल गया हो वह पोलिटिकल सफरर माना जायगा, ठीक ही है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो ६ महीने के लिये जेल गया है उससे ज्यादा मुसीबत उसने झेली है कि जिसने जेल में २० कोड़े खाये हैं। हमारे प्रायः सभी सदस्य ऐसे होंगे कि जिन्होंने सरकारी अफसरों को व्हिपिंग करते देखा होगा। उस दृश्य को आप अपने सामने रख कर अगर सोचिये तो मैं समझता हूं ६ महीने जेल काट जाने के बनिस्बत वह २०

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

कोड़े ज्यादा तकलीफ देह हैं। जो पोलिटिकल सफरर की व्याख्या हुई है उस में यह कोड़े वाले पोलिटिकल सफरर नहीं माने जाते। तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जिन्होंने कोड़े खाये हैं उनको भी पोलिटिकल सफरर माना जाना चाहिये। इसमें कुछ उदारता होनी चाहिये।

अब मैं एक बात और कहूंगा यद्यपि वह प्रस्ताव में नहीं है लेकिन बहुत से साथियों ने चर्चा उठायी कि कुछ लोगों को हमारी सरकारी नौकरियों में रियायत मिल जानी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय,इसमें दो रायें हो सकती हैं और मेरी इसमें पक्की राय है कि पोलिटिकल सफरर्स को ऐडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर कोई स्थान नहीं देना चाहिये। इससे हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन इतना खराब हो गया है कि वह चल नहीं सकता। हम बदनाम भी हो रहे हैं। आज जो पेंशन की बात आयी है कल अखबारों में आयेगी। सब लोग यही पूछते हैं कि अरे साहब जमीन तो तुमको ही मिलेगी क्योंकि जेल तुम ही गये, सर्विसेज भी तुम्ही को मिलेंगी और कहीं ऐडमिनिस्ट्रेशन में जरा भी खराबी हो, सरकारी अफसरान कहते हैं कि हम क्या करें पोलिटिकल सफरर्स हैं। कभी कोई एम०एल०ए० साहब आते हैं और कहते हैं कि इनका ट्रांसफर न कीजिये। तो सारा अगर ऐडमिनिस्ट्रेशन खराब होता है तो पोलिटिकल सफरर्स का नाम रख करके बदनाम किया जाता है। हमारे ही जिले में कई ऐसे आदमी इंस्पेक्टर्स आफ पंचायत राज हो गये, मैं किसी की शिकायत नहीं करना चाहता, किसी पार्टी की, आप अगर उनका कैरेक्टर रोल मंगाकर देखिये तो उनका ऐसा कैरेक्टर रोल खराब है कि एक भी आफिसर ने नहीं लिखा है कि ठीक है। लेकिन जब कभी उन्हें ट्रांसफर पर दूसरी जगह भेजते हैं तो हम ही लोग कहते हैं कि इनका ट्रांसफर नहीं होना चाहिये। तो यह हमारी बदकिस्मती है, मैं किसी का नाम नहीं लेकर कह रहा हूं। तो इसलिये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। हो सकता है कि दूसरे लोग कहें कि उनको रियायतें मिल जानी चाहियें लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूं जहां तक ऐडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है वे न रखे जायं। उनकी हम इज्जत जरूर करते हैं लेकिन उनको किसी किस्म की सहायता जहां तक देने का प्रश्न है हम माननीय सीताराम शुक्ल तथा और भी जितने भी सदस्य हैं, उन सबों के साथ हैं और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी आर्गनाइजेशन हो, किसी जिले के अन्दर बैठकर इस समस्या को हल करना चाहिये जिले में आर्गनाइजेशन होनी चाहिये, स्टेट आर्गनाइजेशन होनी चाहिये और एक घरेलू मामले को खुद हल करना चाहिये और फिर अगर आप इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से किसी किस्म की सहायता मांगेंगे तो मुझे पक्की उम्मीद है कि सरकार उसे देगी।

मैं बहुत ज्यादा न कह करके, जैसा मैंने पहले कहा था कि बाहर के लोगों का यह इम्प्रेशन न होने पावे कि यह लोग जेल गये थे तो इनाम मांग रहे हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, यह इम्प्रेशन भी बाहर क्रिएट न हो, मैं यह चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस प्रश्न पर कुछ फैसला किया है, एक स्पेशल आफिसर बना रखा है, अगर उसमें ऐसे दुरुपयोग होने का डर हो जैसा राम सुन्दर पांडे तथा नारायणदत्त जी ने कहा, तो मुझे उम्मीद है कि पेंशन उन्हीं लोगों को मिलेंगी जो डिस्एबिल्ड हों। हमारे जिले में कई हट्टे-कट्टे लोग हैं जो अगर लड़ें तो हमको हरा सकते हैं, उनको पेंशन मिली हुयी हैं, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। लेकिन जिनको जरूरत है, जो विधवायें वगैरह हैं उनको हर तरह से मदद मिलनी चाहिये और मैं आशा करता हूं कि और हमारे माननीय सदस्य भी मुझसे इस पर समहत होंगे।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के सम्मुख एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न श्री सीता राम शुक्ल जी द्वारा उपस्थित किया गया है। मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज उन राजनीतिक पीड़ितों की दशा पर अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, हमारी सरकार

राजनीतिक पीड़ितों के लिये विभिन्न प्रकार की सहायता कर भी चुकी है लेकिन कुछ सहायता सरकार द्वारा जो की गयी वह इस प्रकार की है कि वे राजनीतिक पीड़ित बेचारे उस नाम पर और अधिक पीड़ित हो गये। अभी बहुत लोगों ने चर्चा की कि मोटर के परमिट दिये गये। मेरी भी जानकारी में है, मोटर के परमिट के नाम पर बेचारे गरीब इधर उधर से किसी तरह पैसे ला-ला कर और दुखी हो गये और यही हाल आज उन राजनैतिक पीड़ितों का बना हुआ है जो सरकार तक, लखनऊ तक आने जाने में काफी ज्यादा रुपया खर्चा आये दिन कर रहे हैं। सरकार का ध्यान सर्विसेज में कुछ राजनैतिक पीड़ितों को नौकरी देने की ओर भी है मगर हम यह देखते हैं कि राजनीतिक पीड़ित कितने इन नौकरियों में जा सके हैं। हर विभाग में उनकी संख्या आज नहीं के बराबर है, वे बेचारे काफी परेशान होते हैं, मगर वे नौकरियों में बहुत थोड़े अनुपात में आ सके हैं। तो इन राजनीतिक पीड़ितों की सरकार उस भावना से नहीं कि हम बहुत भारी कोई एहसान उनकी तरफ कर रहे हैं, या उन्होंने उस समय देश की आजादी की भावना में स्वयं अपने को बलिदान किया था इसलिये उनकी मदद करें, बल्कि इसलिये कि जब हम इस प्रदेश की आर्थिक दृष्टि से गरीबी मिटाने के लिये प्रयत्नशील हैं और अपने देश के अन्दर एक सोशलिस्टिक पैटर्न का नारा बुलन्द कर रहे हैं, तो कोई वजह नहीं नजर आती कि उन गरीब राजनीतिक पीड़ितों को हर प्रकार से सहायता न पहुंचायी जाय। हमने उस समय में भी देखा जब कि वे बेचारे जेल जाते थे, उन दिनों उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके बच्चों की देखरेख, जनता के लोग मुक्त-हस्त से किया करते थे, मगर आज जब यह अपनी सरकार इस प्रदेश और सारे देश में राज्य-शासन का काम सम्हाले हुये है और सरकार कितना ही धन आज कितनी ही ऐसी योजनाओं पर जो बिल्कुल अच्छी योजनायें नहीं होती हैं और असफल होती हैं, उन पर खर्च कर रही है तो हम नहीं जान पाते कि इन राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों की सहायता करने में सरकार को क्या कठिनाई है? एक बहुत ही आसान सवाल है। सरकार इन राजनीतिक पीड़ितों की एक सूची आज तैयार करा रही है, सूची सही तैयार हो इसमें किसी की दो रायें नहीं हो सकतीं। गलत आदमियों को राजनीतिक पीड़ित होने की सहायता प्राप्त न हो। यह सरकार अगर निःशुल्क शिक्षा रजनीतिक पीड़ितों के लिये घोषित करे जैसे कि माननीय मुख्य मंत्री जी, जो आज हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं, प्रदेश में उन्होंने जब से मुख्य मंत्री पद को सम्हाला है, तब से कई ऐसी योजनायें उन्होंने चलायी हैं, जिनका जनता ने हृदय से स्वागत किया है। तो अगर वह यह घोषणा करते हैं कि राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जायगी तो इससे उन बेचारों में बड़ा ढाढ़स आयेगा।

मैंने तो यहां तक राजनीतिक पीड़ितों को देखा है कि जब जिलों में माननीय मंत्रियों का दौरा होता है तो उनको अनेक जगह पार्टी खाने के लिये जाने और अनेक जगह कुछ बड़े आदमियों से मिलने का तो हमेशा समय रहता है, लेकिन जब कोई गरीब राजनीतिक कार्यकर्त्ता इस भावना से ओतप्रोत होकर दौड़ा हुआ आता है कि जेल में हम साथ रहे हैं, चलकर उनसे अपनी तकलीफ और अपना दुख सुनायेंगे तो उससे मिलने का समय उनको नहीं मिलता। मैं चाहता हूं कि हमारे मुख्य मन्त्री जी और यह सरकार यह एलान करे और यह कहे कि जब किसी मन्त्री, उपमन्त्री या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का दौरा हो तो एक विशेष समय उनके प्रोग्राम में राजनीतिक पीड़ितों से मिलने का रहेगा। बहुत से राजनीतिक पीड़ित तो ऐसे हैं, और उनकी बहुत सी बातें तो ऐसी हैं कि दिल से उनसे बात करने से भी उनको सान्त्वना मिल सकती है। वह बेचारे गरीब इस भावना से दौड़े हुये आते हैं और जब चाहे कोई भी मंत्री हो उनसे मिलने के लिये समय नहीं निकाल पाता तो वे बेचारे अपनी तकलीफ कहने के बजाय, जिसके लिये वह आते हैं एक दूसरी तकलीफ लेकर जाते हैं और आये दिन यह कहा जाता है कि ये तो मोटरों में फर-फर करके उड़ जाते हैं और हमसे बात करने के लिये भी इनके पास समय नहीं है। तो यह एक बड़ी सान्त्वना की बात उनके लिये होगी कि उनकी बातें तो कम से कम सुन ली जाया करें। मैं शुक्ल जी की इस भावना से सहमत नहीं हूं कि उनको सहायता

[श्री रामचन्द्र विकल]

दी जाय जिससे वे सरकार की या कांग्रेस की सहायता करेंगे। मैं तो यह देखता हूं कि रुपये के तौर पर जहां थोड़ा सा उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है वहां पर हम यह भी देख पाते हैं कि रुपये के नाम पर तो हमेशा बड़े आदमी आगे बढ़ा करते हैं। हम थोड़े से रुपये से उनकी सहायता भी करना चाहें तो यह उनके स्वाभिमान के लिये और कांग्रेस के स्वाभिमान के लिये ज्यादा अच्छी चीज नहीं होगी, क्योंकि काफी मालदार लोग हैं जो पैसे के बल पर आगे आ जाते हैं। तो इस भावना से हरगिज उनको न दिया जाय कि वे कांग्रेस या सरकार को सहायता देंगे इसलिये पेंशन दें। हम इसलिये देना चाहते हैं, और इसलिये उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना चाहते हैं कि वे बेचारे गरीब हैं, अपना सारा धन और जन देश की आजादी में भेंट कर चुके हैं। हां, मैं यह भी कहने के लिये तैयार हूं कि जो विधान सभा के सदस्य हों, किसी खास पोस्ट पर हों, मिनिस्टर बन गये हों या अच्छी आर्थिक अवस्था उनकी हो तो हरगिज उनको सहायता न दी जाय, लेकिन जो गरीब हैं, जिनकी हालत बहुत खराब है और यह सरकार इस प्रदेश से गरीबी को मिटाना चाहती है। जहां वह हरिजनों को, पिछड़ी जातियों को वजीफे और नौकरियों में सुविधा देना चाहती है तो कोई वजह नहीं है कि इन राजनीतिक पीड़ितों को, जो कि गरीब हैं, उनके बच्चों को नौकरियों में विशेष रिआयत न दी जाय, निःशुल्क शिक्षा न दी जाय। अगर उद्योग धंधों के लिये सहायता दे और जिनको ठीक समझे कि उद्योग धंधे कर सकेंगे और करते हैं तो उनको मुक्त-हस्त से सहायता करनी चाहिये और फिर कैसे और कहां से धन आय यह सरकार के विचार का प्रश्न नहीं होता, सरकार तो स्वयं देखती है कि आज बाढ़ का एक दैवी प्रकोप हमारे प्रदेश भर में आया हुआ है और इस प्रदेश की आधे से अधिक जन संख्या कितने संकट में है। सरकार ने उनके लिये फौरी सहायता का प्रबंध किया और उसके लिये धन आया। यह सरकार का फर्ज भी है। तो राजनीतिक पीड़ित जो पहले पीड़ित हुये और हमेशा रहे हैं उनको भी सरकार को उसी प्रकार से धन देना चाहिये जिस प्रकार बाढ़ पीड़ितों के लिये सरकार देती है या अन्य किसी प्रकार के दैवी प्रकोपों से पीड़ित लोगों के लिये सरकार सहायता देती है।

इस बार सरकार ने यह किया है कि राजनीतिक पीड़ितों से दरख्वास्तें मंगवाई जा रही हैं। हमें पहले भी जो हुआ, उसका पता है। हमें मोटर की परमिटों का हाल मालूम है और जो उनको पेंशनें दी गयीं वह भी मालूम है। अब दोबारा फार्म भरवाये गये हैं। मैं जानता हूं कि फार्म भरने के बाद उनकी दुगनी तिगुनी भूख की ज्वाला और बढ़ जायगी और जैसा कि हुआ है दूसरे मामलों में कि और लोग ले जायं तो ले जायं लेकिन उनको निराश होना पड़ा। तो जो लोग निराश होकर बैठ गये थे आज फिर उनकी दरख्वास्तें आयी हैं। फिर उनमें एक भावना आयी है। कांग्रेस और गैर कांग्रेस का एक ऐसा प्रश्न है कि हम लोग बड़ी परेशानी में हैं कि कैसे छुटनी की जाय, बहुत दरख्वास्तें मंगवाई गयी हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिनको उचित समझा जाय कि वे सहायता के पात्र हैं, सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिये। इसलिये कि सरकार हमारे यहां सोशलिस्टिक पैटर्न स्थापित करना चाहती है और गरीबी अमीरी के भेद को इस प्रदेश से मिटाना चाहती है। तब तो वे समझ सकेंगे कि इस देश में आजादी आयी, नहीं तो काफी लोग उनमें से हैं जो घर में बैठ कर क्या कहते हैं वह यहां कहना मैं उचित नहीं समझता। वह दुखी हैं और इस वजह से और भी दुखी हैं कि उनकी बात को सुनने का समय मंत्री लोगों के पास नहीं है। इससे उनको कितनी तकलीफ होती है? तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस सदन से आशा करता हूं कि इस प्रस्ताव को जो महत्वपूर्ण है, पास करेगा और पास करने के बाद सरकार पर इस बात के लिये जोर देगा कि राजनैतिक पीड़ितों की सहायता के लिये सरकार समुचित कदम उठाये।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यह एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रस्ताव हमारे समक्ष उपस्थित है जो कि सारे सदन का प्रस्ताव है। जिन माननीय सदस्य ने उसको प्रस्तुत किया था, उन्होंने तो वापस ले लिया, लेकिन मैं विकल भाई को बताना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव सारे सदन का है। चाहे कोई सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, चाहे जो हो। हम लोग इस गवर्नमेंट में बैठे हैं, सब ने हां के बजाय नहीं कह करके इस प्रस्ताव को रखवाया। यह ४३१

मेम्बरों का प्रस्ताव है और मैं विकल भाई से भी कहता हूं कि उनको तो बधाई देनी चाहिये मुख्य मंत्री जी को, उसके बजाय वह अपने मंत्रियों के ऊपर छींटा-कशी करने लगे कि वे राजनैतिक पीड़ितों की बात नहीं सुनते हैं, उनसे नहीं मिलते हैं। मैं जानना चाहता हूं वह कौन मंत्री है, जो नहीं मिलते हैं या कांग्रेस वालों से नहीं मिलते हैं? कांग्रेस मंत्री तो सब से मिलता है, विरोधी पार्टियों से भी मिलता है। यह गलत बात उनको नहीं कहनी चाहिये। आज शिकवा शिकायत का मौका नहीं है। जले भुने दिन, जो मुसीबत के दिन हमने अंग्रेज के जमाने में गुजारे उनका स्मरण मंत्रियों को दिलाना चाहिये, ताकि प्राचीन बातें उनको याद हों। सन् ४२ के डंडे उनको याद दिलाने चाहिये, जबकि हमारे बच्चों को लखनऊ की सड़कों पर गोलियां मारी गयीं, यह बात उन्हें याद दिलानी चाहिये थी, ताकि उनको प्रेरणा मिले, जिससे उनकी रगों में फिर से खून उबले और वह याद हो कि हां, वाकई में हमारे बच्चे, हमारे भाई त्रस्त थे जिन्होंने डंडे खाये, जिनकी पढ़ाई छूटी, जो अध-कच्चे रह गये, पूर्ण ग्रेजुएट नहीं हो सके।

आज मैं विकल भाई से निहायत विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि ठंढे दिल से सोचना चाहिये और वाकई मिनिस्ट्री और मुख्य मंत्री की तारीफ करनी चाहिये कि जो चीज बन्द हो गयी थी कि अब पोलिटिकल सफरर्स को कोई मदद नहीं मिलेगी उसको पुनः चालू किया और रामेश्वर सहाय ऐसे आदमी के हाथ में उसको दिया, जो स्वयं एक पोलिटिकल सफरर हैं, जो उस मंजिल से गुजर चुके हैं।

आज मैं मुख्य मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि मैं शाहजहांपुर गया था एलेक्शन के सिलसिले में। वहां मैंने राम प्रसाद बिस्मिल की बूढ़ी मां को देखा। उनसे मैं मिला और उनके पैर छुए और तब आया मैदान में स्पीच देने के लिये। आज भी वह शेरनी की तरह गरजती हैं और समझती है कि हमने एक लाल पैदा किया था। "गरीबों को मिले रोटी तो मेरी जान सस्ती है" यह नारा था भगत सिंह का, यह नारा था राम प्रसाद बिस्मिल का। जो पोलिटिकल सफरर हैं, जो गरीब हैं उनकी मदद करने में ही इस सरकार की इज्जत है, इस देश की इज्जत है और सारे राष्ट्र की मान मर्यादा है। पंडित नेहरू की इतनी मान मर्यादा विदेशों में क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने इस देश में नान-वायलेंस की लड़ाई लड़ी थी। इंगलैन्ड और जर्मनी की लड़ाई में और हमारी लड़ाई में फर्क था। मैं सारे हाउस को बताना चाहता हूं कि इंगलैन्ड वालों ने जर्मनी वालों को गोली मारी और जर्मनी वालों ने इंगलैन्ड वालों को गोली मारी लेकिन हमने इंगलैन्ड वालों को गोली नहीं मारी यह फर्क था। और संसार के सामने यही शांति का मिशन लेकर पंडित नेहरू चीन गये, रूस गये, इंगलैन्ड गये और कहां-कहां गये। इसीलिये आज उनकी दुनियां भर में इतनी इज्जत है। हमें सरकार को बताना चाहिये कि हमारे साथ उन सिपाहियों ने, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में मार्च किया था, उनकी झोपड़ियों की हमें खबर लेनी चाहिये और लेनिन की तरह हमें उनकी झोपड़ियों में जाना चाहिये। और मैं मंत्रियों को उत्तेजित करना चाहता हूं कि आज वे सोचें कि वाकई में विकल भाई का जवाब देना है और गरीब से गरीब झोपड़ियों में उन्हें जरूर जाना चाहिये।

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)--बुलाते ही नहीं हैं।

श्री शिवनारायण---हमारे मंत्री साहब कहते हैं कि बुलाते नहीं हैं और यह शिकायत यहां करते हैं, हमें बुलायें तो। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री १०० वर्ष जियें ताकि हमारे राष्ट्र को अच्छी लीड मिल सके। उन्होंने हमारे देश को सोशलिस्टिक पैटर्न प्रदान किया है। आज हमें गर्व है कि सोशलिस्टिक पैटर्न का चलाने वाला सेनानी हमारा मुख्य मंत्री है। आज उनके हाथ से उन पोलिटिकल सफरर्स, उन गरीबों का कल्याण होगा, जो झोपड़ियों में बसने वाले हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से कि आज उन झोपड़ियों की तरफ आपकी नजर गयी है, हम आपके एहसानों को नहीं भुला सकते और अगर भुलायेंगे तो हम एहसान फरामोश कहलायेंगे। भारतीय संस्कृति बतलाती है कि रंच भर जिसने

[श्री शिवनारायण]

एहसान किया उसका हर भारतीय एहसान मानता है, चाहे वह ब्राह्मण हो चाहे चमार हो। यह हमारी परम्परा रही है, यह हमारी संस्कृति रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे कोई पहाड़ी हो, चाहे कोई मैदान का हो, चाहे कोई लाल टोपी पहने हो, लेकिन ये जितने आजादी के सिपाही हैं १९०६ में जब मुस्लिम लीग ने रेजोल्यूशन के खिलाफ कुछ बात कही थी तब हमारे देश के लीडरों ने कहा था कि "Those who will join hands we will join hands with them otherwise we will march" आज वही बात पंडित नेहरू ने सीतापुर में कह दी। मैंने सुना, उन्होंने कहा कि लालटोपी और पीली टोपी के झगड़े में मैं नहीं पड़ता, वे रटते रहेंगे और हम भारत को बनाते रहेंगे। हमने जमींदारी का नाश किया, ट्रांसपोर्ट को नैशनलाइज किया, गरीबों की मदद की और मैं सरकार के बाजू मजबूत करना चाहता हूं और ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि जो आज पोलिटीकल सफरर्स गांवों में हैं वह हमारे साथ हैं। एक बात मैं अपने बंधुओं से यानी एम० एल० एज० से गुजारिश करना चाहता हूं कि आज आप लोग खास तौर से देखें कि आज हमें एक बड़ा सुन्दर अवसर प्राप्त हुआ है। आप पोलिटिकल सफरर्स को सही बात बतला दें तो वह आपके साथ होंगे और वह आपका तिरंगा झंडा लेकर गांव-गांव में घूमेंगे। हमें फाल्स चीज नहीं कहनी चाहिये, आप लोग मेरी गुस्ताखी माफ करेंगे और हमको आज ईमानदारी से काम करना चाहिये जिससे हमारी और आप की प्रेस्टिज बनी रहे। अगर आप कहीं भूल गये तो आपकी आने वाली संतान आपको बुरी तरह से कोसेगी। अगर आपने गलत आदमी को प्रमाण-पत्र दे दिया तो आप पर छींटेकशी जरूर होगी। मदन जी ने कहा कि सर्विसेज में...(हंसी) उनको तो शिकायत नहीं है, मेरे दोस्त को शिकायत है। यह तो दुलार की बात, प्रेम की बात है कि मैंने आधा नाम ले दिया 'मदन'।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि पोलिटीकल सफरर्स वाकई हैं जो बुरी तरह से सफर कर रहे हैं। हमारे जिले में रामसेवक सिंह जी हैं जो ऐंग्लो हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापक हैं, जिन्होंने हजारों नौजवान देश के लिये तैयार किये थे। आज मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप उनके केस को जरूर देखें। यह हमारा कहना नहीं बल्कि विनम्र निवेदन है कि उनके केस को देखा जाय और उनके केस को कंसीडर किया जाय। वह हमारे गुरू रहे हैं और यह कहावत है कि:—

"गुरू से कपट, साह से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी।"

अपने गुरू की बात को हमें निभाना है। उन्होंने हमें सच्ची शिक्षा दी थी, जिसके फल-स्वरूप हम आज इस लायक हुये कि देश सेवा में अग्रसर हैं, देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में अग्रसर रहे। उन्हीं का आशिर्वाद था, उन्हीं का बरदान था, जिसके बदौलत हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। आज वह ५५ साल के हो गये हैं, रिटायर हो गये हैं, उनको साढ़े तीन साल वाली वह चीज कर दी जायगी तो उनको बड़ी आसानी होगी, क्योंकि आज उनके दो बच्चियां हैं। उनकी शादी हो जायगी और यश मिलेगा और वह तथा उनका परिवार आपको जीवन भर धन्यवाद देगा।

कुछ आफिसर्स हैं जो पोलिटिकल सफरर्स के लिये काम कर रहे हैं, उनको प्रमोशन नहीं मिला है। हमारे मित्र मदन जी ने इसकी शिकायत भी की है, हमारे जो पुराने आफिसर्स हैं वह कहते हैं कि यह गट्टे पार्चे का बबुआ कहां आ गया है। वह इसलिये ऐसा कहते हैं कि आज उनका रहस्य जो खुलता है इसलिये वह घबराते हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि हमें इस पुरानी गवर्नमेंट को ही रिशफिल कर देना चाहिये था। यदि हम ऐसा कर देते तो आज हमें गालियां सुनने को न मिलतीं। मेरे भाई गनेशी जी ने बतलाया कि श्रमदान के सिलसिले में फर्रुखाबाद के कलेक्टर ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने तो हमें भंगी बना दिया। उन्होंने ऐसा जुम्ला कहा था कि मैं उसको कहना नहीं चाहता हूं। यह कैरेक्टर है हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट का कि उसने इनके साथ दया का बर्ताव किया, लीनियेंसी का बर्ताव किया, इसके बाद भी हमें इन लोगों से गालियां सुनने को मिलती हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकारी अफसरान कान खोल कर सुनें, मैं सरकारी अफसरान को सचेत करना चाहता हूं कि यदि

उन्होंने समय के साथ मार्च नहीं किया तो याद रखें कि जब गवर्नमेंट बदलेगी तो तुम भी बदले जाओगे। अगर कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट आई, यह नई पार्टी तुमको बख्शेगी नहीं। हमने नान वायलेंस की नीति को अपनाया है, यह हमारा बड़प्पन है जैसे कि:—

"क्षमा बड़न को चाहिये छोटन को उत्पात"

हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कर दिखाया और नेहरू जी ने भी दिखा दिया कि जिन्होंने हमारे डंडे मारे थे उनको हमने इनाम दिया। हमारी ऐसी दया की नीति है ऊंचे दर्जे की नीति है, जिसके कारण सन् १९३७ से लेकर आज तक कांग्रेस गवर्नमेंट अपने देश में सफलता पूर्वक चल रही है। आज तक हमारे यहां की गवर्नमेंट नहीं बदली जब कि दुनिया में बहुत सी गवर्नमेंट बनी और बिगड़ीं। हिटलर मिट गया और मुसोलिनी मिट गया, लेकिन हमारे देश में कांग्रेस गवर्नमेंट वैसे ही चल रही है। हमारा आदर्श का आईना कुछ ऐसा है कि जो हमेशा झलका करता है। हम ईमानदारी से काम करते हैं और किसी के साथ हमने कोई बदगुमानी नहीं की है। हमने उनको क्षमा किया जिन्होंने हमारे साथ ज्यादतियां की थीं। इसलिये मैं हर मेम्बर साहब से निवेदन करूंगा कि आप हर जिले में जाकर देखें, कि जो हमारे भाई दुखियां हैं, जो पोलिटिकल सफरर हैं उनकी सिफारिश की जाय। मैं रामेश्वर सहाय जी से भी निवेदन करूंगा कि जितनी दरख्वास्त आयें उन सब पर विचार किया जाय। आप स्वयं भी किसी जिले में जाकर गुप्त रूप से पता लगायें कि यह बात सही है या गलत, क्यों आप इन चीजों से डरते हैं? आप तो ऐसे वीर सिपाही रहे हैं कि दिन रात बिगुल बजाकर और चना-चबा चबा कर जिले जिले में घूमते रहे हैं। माननीय कृपा शंकर जी ने अपनी स्पीच में कहा था कि जिस समय वह झंडा लेकर किसी गांव में गये तो वहां पर लोगों ने कहा था कि ये तिरंगे झंडे वाले क्या स्वराज्य लेंगे। तो उन रामेश्वर सहाय जी पर यह जुमले कसे जाते थे। लेकिन सब लोगों ने मुट्ठी मुट्ठी देकर चाहे वह कांग्रेस वाले हों या गांव वाले हों सब ने मिलकर इसको आजाद किया है। मैं स्वयं एक रोज गोरखपुर से आ रहा था। एक सज्जन जो हमारी कांग्रेस में रहे हैं उन्होंने बड़ा ही सुन्दर सजेश्चन दिया और यह कहा कि देश ने जो स्वतंत्रता प्राप्त की है वह केवल कांग्रेस वालों की नहीं है वह तो समस्त देश की है। उस यज्ञ में किसी ने जौ दिया, किसी ने घी दिया, किसी ने लकड़ी दी और किसी ने कुछ दिया और किसी ने विरोध भी किया और कहीं अंग्रेजी सरकार से जाकर लोगों ने कहा कि यह लोग वह काम कर रहे हैं और यह काम कर रहे हैं। गर्ज के सब ने मिलकर इस काम को किया है और इस यज्ञ को पूरा किया। अगर राम रावण न होते तो ऐसी दशा नहीं हो सकती थी। अंग्रेजों ने हमारे साथ रावण जैसा व्यवहार किया था। मैं कहना चाहता हूं कि देश में गरीब और अमीर छोटे और बड़े सब भाइयों ने मिलकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। महात्मा गान्धी के 'डू आर डाइ' के नारे पर सब लोगों ने जान की बाजी लगा दी और अंग्रेजों ने बहुत से हमारे लीडरों को जेल में बन्द कर दिया। सुभाषचन्द्र बोस ने देश के बाहर जाकर आई० एन० ए० का निर्माण किया और उस आई० एन० ए० ने देश के लिये जबरदस्त कुरबानी की मगर आज वही आई० एन० ए० के सिपाही गांव गांव में मारे मारे फिरते हैं। उनको आज कोई पूछनेवाला नहीं है। आज गांवों में आपने जो रक्षा दल बनाया है अगर उसमें इन लोगों को रख दिया जाय तो इन लोगों को खाने को मिल सकता है और इनका निर्वाह भी हो सकता है। उनको वहां रखकर उनसे काम लिया जाय। मैं जानता हूं कि वह वेल डिसिप्लिन्ड हैं और उस पुरानी नौकरशाही के नौकरों से कहीं अच्छे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि उन गरीबों की मदद की जाय।

अन्त में मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं और समस्त मंत्रिमंडल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यह सुन्दर सुझाव यहां पर पेश किया है जिससे हमारी इज्जत ऊंची हो सकती है। अन्त में मैं फिर सरकार को बधाई देता हूं और निवेदन करता हूं कि जो सही लोग हैं और जो मदद के काबिल हैं उन लोगों को पेंशन दी जाय।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—डिप्टी स्पीकर साहब, जो प्रस्ताव शुक्ल जी ने पेश किया है उसके मुताल्लिक कोई दो राय नहीं हो सकतीं। हम सब शुक्ल जी के बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने बहुत ही उम्दा और अहम मसले पर विचार करने का इस हाउस को मौका दिया। जैसा कि उन्होंने इस रेजोल्यूशन को वापस करने का इरादा किया था अगर यह वापस हो जाता तो यह हाउस के साथ एक जुल्म होता। इस मसले पर गौर करने से यह हाउस महरूम रह जाता। जनाबवाला, इस मसले के मुताल्लिक किसी की दो रायें नहीं हो सकतीं कि पोलिटिकल सफरर का मामला हमारे मुल्क और हमारी कौम के लिये एक बहुत ही अहम मामला है। मेरी समझ में पोलिटिकल सफरर का दर्जा इस मुल्क में शायद अगर किसी से कम माना जाय तो वह शरणार्थियों का मसला हो सकता है, इसलिये कि शरणार्थी भाई हमारे इस मुल्क में आकर आबाद हुये। वह हैसियत एक ऊंचा मुकाम रखती है, क्योंकि उनका इस मुल्क में आना और मुल्क की तकसीम के बाद तकलीफ उठाकर यहां आबाद हो जाना वह भी एक बहुत अहम मामला है, जिसको हमारी कौम और हमारा मुल्क भूल नहीं सकता। इस ऐतबार से अगर आज हम उन लोगों को हकीकत पेश करें तो यह कोई गैरकानूनी बात नहीं है। इस प्रस्ताव के जरिये हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और शायद इससे भी ज्यादा यह हुकूमत पोलीटिकल सफरर्स के लिये कर रही है। ४,५ महीनों में हमारे मौजूदा मुख्य मंत्री ने और हमारी मौजूदा सरकार ने इस काम को तेजी से आगे बढ़ाया है जो हम सब लोगों को मालूम है और इसके बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मैं यह सोचता था कि अब तक जितना भी यह मसला हल किया गया वह सब गैरसरकारी एजेंसीज के जरिये किया गया है और बाज दोस्तों ने यह भी कहा कि शायद इसके जरिये कांग्रेस पार्टी के लोगों को ही नफा पहुंचाया जाता है। मैं समझता हूं कि इसके मुताल्लिक कुछ राय देना भी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर इतना कह दिया जाय तो कोई हर्ज नहीं है कि हुकूमत ने जिस तरह से इसे हल किया है वह बिलकुल बगैर पार्टी का मामला है। फर्रुखाबाद का मुझे मालूम है कि जितने पोलीटिकल सफरर्स को वहां पेंशनें और जमीन वगैरह दी गयी उनमें कांग्रेस के और दूसरे लोग भी शामिल थे। लेकिन मैं समझता हूं कि बेहतर यह होगा कि पोलीटिकल सफरर्स के लिये एक कानून बन जाय और एक एजेंसी कायम की जाय जो इस बात की छानबीन करे कि कौन लोग पोलीटीकल सफरर हो सकते हैं और उनको किस तरह की इमदाद की जरूरत है। अक्सर यह दिक्कत पैदा होती है कि पोलीटिकल सफरर की कोई डेफिनीशन नहीं है। यह सही है कि पोलीटिकल सफरर्स का मामला अब तक जितना भी हल किया जाता रहा वह सब एक्जीक्यूटिव आर्डर्स से ही किया जाता रहा है। अगर इस मामले को मुस्तकिल तौर पर हल करना है तो हमको इसकी जरूरत पड़ेगी कि हम एक बिल इस सदन के सामने लावें, जिसमें पोलीटीकल सफरर की डेफीनीशन हो और उनको रिलीफ देने के लिये एक एजेंसी कायम हो, जिसमें सरकारी और गैरसरकारी आदमी भी हों।

जनाबवाला, यह सही है और कांग्रेस यह फख्र के साथ कह सकती है कि वह इस मुल्क के अन्दर एक सोशलिस्ट पैटर्न की सोसायटी कायम करना चाहती है और वह एक क्लासलैस सोसायटी बनावेगी। इस सिलसिले में पिछले ८ साल में यहां जो काम हुआ है वह किसी तरीके से भी ऐसा नहीं है जिसे हम नजरअंदाज कर सकें। बहुत कुछ काम हुआ और हो रहा है। इसमें जरूरत इस बात की है कि पोलीटिकल सफरर्स के मसले को हल करने के लिये हम एक कानून बनावें। मैं यह भी चाहता हूं कि इस काम में, उन्हें सहायता देने में, जितना भी खर्चा हो वह हमें करना चाहिये, क्योंकि उनका मुल्क के ऊपर बहुत एहसान है। वे मुल्क के लिये बहुत बड़ी दौलत हैं। अभी एक सज्जन ने कहा था कि अगर पोलिटिकल सफरर्स को पेंशनें दी जावें तो शायद उनकी संख्या १ लाख होगी। अगर १ लाख भी तादाद हो जाय और ३-४ करोड़ रुपया भी अगर हर साल दिया जाय तो वह देना चाहिये। यह कोई ज्यादा रकम ऐसे अहम काम के लिये नहीं है। पोलीटीकल सफरर्स और शरणार्थियों ने अपने ऊपर इस मुल्क को आजाद करने में मुसीबतें उठायी हैं और कुरबानियां की हैं। उनके सामने हम सिर झुकाते हैं और झुकाते रहेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक बात मैं यह कहना जरूरी समझता हूं कि पोलीटिकल सफरर्स यह आकर कहें कि चूंकि वे पोलिटिकल सफरर्स हैं, इसलिये उन्हें सरकारी नौकरी दी जाय, इससे मैं मुत्तफिक नहीं हूं। पोलीटिकल सफरर होने की हैसियत से अगर कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में या लैजिस्लेचर में या म्युनिसिपैलिटीज में सीट चाहता है तो यह नहीं होना चाहिये। यहां उनके साथ वही सलूक होना चाहिये जो औरों के साथ होता है। पोलीटिकिल सफरर्स को हम जमीन दें और उन्हें दूसरे काम में लगावें, यह सही है। लेकिन जहां पब्लिक सर्विसेज का मामला हो वहां उनको स्पेशल कन्सीडरेशन नहीं मिलना चाहिये। कल ही हम सुन रहे थे कि पब्लिक सर्विसेज का मियार गिर रहा है। हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन में काफी दिक्कत होगी, क्योंकि हम लोग उसे शायद उतना ऊंचा नहीं उठा सकेंगे जितना हम उठाना चाहते हैं। हो सकता है कि मेरी इस राय के मुताल्लिक दो रायें हों कि पोलीटिकल सफरर को वही ट्रीटमेंट मिलना चाहिये, सर्विसेज और लेजिस्लेचर वगैरह में जो औरों को मिलता है, लेकिन इस बात में यह सदन शायद मुत्तफिक होगा कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ढील नहीं होनी चाहिये। उसे अच्छे से अच्छा होना चाहिये और कहीं ढील नहीं हो। उसका डिस्पिलिन अच्छा हो बिलखुसूस ऐसी सूरत में जब हमारा मुल्क तरक्की के रास्ते पर चल रहा है और एक पंचवर्षीय योजना खत्म हुयी है और दूसरी शुरू होने वाली है और न मालूम अभी मुल्क को दूसरे मुमालिक के बराबर लाने में कितनी पंचवर्षीय योजनायें बनानी होंगी। इसलिये हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होना चाहिये।

इन मुख्तसर अलफाज के साथ मैं एक मर्तबा फिर इस प्रस्ताव की तहेदिल से ताईद करता हूं जो शुक्ल जी ने पेश किया है।

*श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)--उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने राजपीड़ितों के सम्बन्ध में वादविवाद सुबह से चल रहा है। यह एक ऐसा प्रश्न है कि जिसमें सभी की राय होगी कि राजपीड़ितों की सहायता करनी चाहिये। मेरे विचार से हर जिले में एक लिस्ट तैयार कर ली जाय तो अच्छा है, क्योंकि प्रत्येक जिले में जो भाई राजनीतिक पीड़ित हैं उनको सब जानते हैं और अच्छी तरह से वह लिस्ट बन कर हमारे सामने आ सकती है। और इसमें अगर ३-४ महीने या इससे भी ज्यादा समय लग जाय तो कोई हर्ज की बात नहीं है। जिस वक्त यह लिस्ट बन कर हमारे सामने आ जायगी और वह लिस्ट हर एक जिले में भी मौजूद होगी तथा उनसे यह मालूम हो सकेगा कि कौन कौन से भाई राजनीतिक पीड़ितों की श्रेणी में आते हैं, तो जो आजकल राजनीतिक पीड़ितों की बाढ़ सी आ गयी है वह न रहेगी और उसका संकलन हो जायगा तथा जो आजकल सहायतार्थ घूमते हैं वे भी आसानी से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि राजनीतिक पीड़ितों को कई श्रेणियों में बांट दिया जाय, जैसे विद्यार्थीगण, महिलाएं तथा ऐसे लोग जो कमाने खाने में असमर्थ हैं। अगर यह श्रेणी बन जायगी तो उसमें उसी के अनुसार लोगों को सहायता भी दी जा सकेगी। विद्यार्थीगण के लिये हम उसी दृष्टिकोण से विचार करें, जिससे कमाने खाने में असमर्थ लोगों का विचार किया जाता है। इन श्रेणियों के बन जाने से एक स्पष्ट नक्शा हमारे सामने आ जायगा तथा हमारे सामने जो एक महत्वपूर्ण समस्या है उसको अच्छी तरह से पूरा कर सकेंगे।

अभी माननीय सदन के सामने माननीय शिवनारायण ने एक बड़ा भावावेश-पूर्ण वक्तव्य दिया, जिसमें उन्होंने एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया, जिसको मैं समझती हूं कि आप भी उपयुक्त न समझेंगे और जिस भाव में उन्होंने उस शब्द का उच्चारण किया, यहां पर उस भाव में वह गलत है और वह उनकी मानमर्यादा और सदन की मानमर्यादा के खिलाफ है। उन्होंने कहा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती चन्द्रवती]

कि "मैं अपने मंत्रिगण को उत्तेजित" करता हूं, उत्तेजित शब्द को यदि डिक्शनरी में देखा जाय तो दूसरे ही मानी निकलते हैं। अगर वे उत्तेजित करने के बजाय "प्रेरित करना" शब्द इस्तेमाल करते तो अधिक उपयुक्त होता। अतः मैं उनसे प्रार्थना करती हूं कि सदन में वे कम से कम थोड़ी सभ्यता का ध्यान रक्खें और सदन की मान-मर्यादा को सामने रख कर बोलें और यह भी ध्यान रखें कि उनको सदन में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिये। वे भावावेश में दिमाग का संतुलन बिगाड़ बैठते हैं और वक्ता न होकर एक ड्रैमेटिस्ट लगने लगते जो कुछ हैं, उन्होंने राजनीतिक पीड़ितों की सहायतार्थ वक्तव्य दिया वह प्रशंसनीय है, उसमें कोई दो बातें हो ही नहीं सकतीं। मेरे ख्याल से उनकी सहायतार्थ एक ऐसा नक्शा बनाना चाहिये, जिससे हर एक राजनीतिक पीड़ित को जिसने देश की सेवा की है, त्याग करके और अपना सब कुछ खोकर देश की सेवा की है, उससे लाभ पहुंच जाय। इस श्रेणी में उन लोगों को भी रखना चाहिये जो देश के लिये शहीद हो गये हैं और उनके परिवार वालों को, भाई बन्धुओं को, जो उन पर आश्रित थे उनकी भी सहायता करनी चाहिये। आज हम प्रदेश में प्रति वर्ष बाढ़ के लिये पर्याप्त मात्रा में पैसा खर्च करते हैं, यह सही है, लेकिन राजनीतिक पीड़ितों की तो एक ऐसी समस्या है कि यह प्रति वर्ष न तो घट सकती है और न बढ़ सकती है। उनकी जो एक संख्या निर्धारित होगी वह हमको प्रति वर्ष देखनी चाहिये। इस प्रकार से देखा गया है कि आज जिलों में बहुत से तो इसका एक गलत उपयोग करते हैं। जरा सा कोई बहाना ढूंढ़कर कोई रिश्तेदार का रिश्तेदार है उससे फायदा उठाकर राजनीतिक पीड़ित बन जाते हैं और उससे वे फायदा उठाना चाहते हैं। मेरा यहां पर सिर्फ संकेत मात्र है कि जो सही राजनीतिक पीड़ित हैं उनको ही सहायता अच्छी से अच्छी प्रकार की मिलनी चाहिये और जो इस प्रकार से आड़ लेकर सहायता प्राप्त करना चाहते हैं उन भाइयों को इससे वंचित होना चाहिये। बस, मुझे केवल इतना निवेदन करना था।

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर कुछ बहुत अधिक निवेदन नहीं करना है, किन्तु मैं यह देख रहा हूं कि ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैं समझता हूं निर्विवाद है, उस पर विचार करने के लिये यहां प्रस्तुत किया गया तो बहुत देर तक हमारे सदन में कोरम भी नहीं पूरा हुआ। तो जो प्रश्न यहां पर उपस्थित किया गया है कि राजनीतिक पीड़ितों के लिये उनकी सूची तैयार की जाय और उनको समुचित पेंशन दी जाय, ताकि वे निश्चित होकर देश सेवा कर सकें, मैं इस चीज का समर्थन करता हूं। साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीतिक पीड़ितों की जो सूची बने वह बहुत ही ध्यानपूर्वक बनायी जाय क्योंकि मैं देखता हूं कि प्रायः ऐसा होता है कि जब कभी कहीं कोई पद रिक्त हुआ, कोई स्थान रिक्त हुआ तो उस स्थान के लिये सैकड़ों प्रार्थना-पत्र आ जाते हैं और उसके लिये बहुत से लोग दौड़ पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं। और वहां बहुत से लोग ऐसे ऐसे झूठे प्रमाण पत्र बनाकर पहुंच जाते हैं कि जो कि पहली सरकार के समय में उसके साथ थे, जो कि उसके चाटुकारों में से थे, आज भी वे चाहते हैं कि जिस प्रकार से हो कुछ काम लेकर पैसा बनावें। मैं सरकार की बहुत प्रशंसा करता हूं कि राजनीतिक पीड़ितों के संबंध में वह कुछ उठा नहीं रख रही है और वह चाहती है कि उनकी सहायता की जाय, उनकी रक्षा की जाय, जिन्होंने देश के लिये त्याग किया, और जो देश के लिए बलिदान हुए। इनकी सहायता करने से आगे की पीढ़ी पर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। मैं तो समझता हूं कि राजनीतिक पीड़ितों की सूची जो बनानी चाहिये वह उस समय से बनानी चाहिये जब कि सन् १८५७ ई० में पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ और उस समय से अब तक जिन लोगों ने इस लड़ाई में भाग लिया उनका नाम भी आना चाहिये तथा उनके वंशज जो इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं उनकी भी मदद करनी चाहिये। अभी थोड़े ही दिन हुए हमारे यहां नाना धुंधू पन्त पेशवा के पौत्र श्री बाजीराव पेशवा जिस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था पहुंचे थे। मैंने कहा कि यह हमारे

लिये आज एक बड़ा शुभ अवसर है कि यहां पर सन् १९५७ के स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत बड़े नेता के पौत्र पहुंचे हुएहैं। लेकिन उनकी दशा देखकर हमें बहुत दुखा हुआ कि आज ऐसे लोग हमारे देश के अन्दर मौजूद हैं जिनके पूर्वज अंग्रेजों के जमाने में कभी नेपाल में कभी कहीं, कभी कहीं जंगलों में मारे मारे फिरते रहे, लेकिन अंग्रेजों की अधीनता नहीं स्वीकार की और जीवन भर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े, उनकी हालत अच्छी नहीं है। सरकार को चाहिये कि राजनीतिक पीड़तों की सूची बनाते समय इस बात का ध्यान रखे कि जो वास्तव में पीड़ित हैं उन्हीं को उस सूची में स्थान दिया जाय तथा उनकी सहायता के लिए सरकार को हर तरह से आगे बढ़ना चाहिये। इस सम्बन्ध में सरकार जो कुछ कार्य कर रही है इसमें संदेह नहीं है कि वह ठीक कार्य कर रही है और इसके लिये मैं उनकी प्रशंसा भी करता हूं, लेकिन इस ओर ध्यान दिलाना हमारा कर्त्तव्य है कि जब यह मानी हुई बात है कि आजकल बहुत से लोग किसी भी नौकरी के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पहुंच तो जाते हैं और उनसे कुछ पूछा जाता है तब उत्तर कुछ देते हैं और उनमें ऐसी योग्यता नहीं होती। इसलिए इसका भी डर है कि लोग अनेक प्रकार से राजनैतिक पीड़ित बन कर न टूट पड़ें और ऐसे लोगों के नाम सूची में न आने चाहिये और उनके वास्तविक पीड़ित होने का पूरा पता रखना चाहिये। इस के अतिरिक्त जैसा कि माननीय उपाध्याय जी ने कहा उत्तरदायित्वपूर्ण स्थान ऐसे रियायती लोगों को न देना चाहिए, क्योंकि उन पदों की जिम्मेदारी होती है और अगर कभी ऐसा अवसर आया कि काम उनका ठीक नहीं हो रहा है और फिर यह बात हो कि वह रियायती लोग हैं उनके साथ रियायत होनी चाहिये। मेरे विचार में ऐसा न होना चाहिए।

(इस समय ४ बज कर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

हर पदार्थ का विरतण हर मनुष्य के लिए उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार सर्वत्र होना चाहिए। अगर रियायती आदमी रखे जायंगे तो वह अपने कर्त्तव्य का पालन कर सकेंगे इसमें सन्देह है और वह प्रायः उत्तरदायित्व को पूरा न कर सकेंगे। इसी तरह से मैं देखता हूं यहां बहुत से भाषण हुए और यह भी कहा गया कि जो लोग हट्टे कट्टे हैं उनको सहायता न देनी चाहिए। मैं मोटा हूं इसलिए नहीं कहता, लेकिन मेरा मतलब यह है कि जो वास्तव में पीड़ित हैं और अगर किसी कारण से मोटा या हट्टा कट्टा है तो उसको सहायता या राजनैतिक पीड़ित मानने से वंचित न करना चाहिए। जो धन से हट्टा कट्टा हो और मालदार हो उसकी बात दूसरी है, लेकिन जो गरीब है और स्वास्थ्य उसका ठीक है उसको सहायता देनी उचित ही है। गरीब भी मोटा हो सकता है और पीड़ित भी मोटा हो सकता है।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि यहां पर इस विषय में काफी वादविवाद हो चुका है और मैं भी सदन का अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन मेरी भी यही इच्छा अवश्य है कि यह प्रश्न जल्दी ही हल हो जाना चाहिए और आगे न बढ़ाया जाय। अभी मंत्री जी अपने विचार प्रगट करेंगे और बहुत जल्द ही घोषणा इस विषय में होनी चाहिए, क्योंकि इस विषय में कोई दूसरा मत नहीं हो सकता, इसमें अधिक समय न लिया जाय और दूसरे काम भी उस हालत में आ सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं श्री सीताराम शुक्ल जी के संकल्प का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सदन और सरकार इसको स्वीकार करेगी।

श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर) --माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर यह बात कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह देश के सभी राजनीतिक दलों से सर्वसम्मत संकल्प है जो इस भवन में पेश हुआ है। सच पूछिए तो मैं और सब हृदय से अनुभव करते हैं कि राजनीतिक पीड़ितों को जितनी सहायता और जितनी प्रतिष्ठा हमें करनी चाहिए वह इस देश में उनको प्राप्त नहीं है। आप विचार करें कि जब अंग्रेजों ने अपने दो युद्ध, साम्राज्यवादी किए थे तो अपने सिपाहियों के लिए उन्होंने जिले जिले में सोलजर्स बोर्ड स्थापित किए थे। जो युद्ध में शामिल हुए उनके लिए एम्लायमेंट एक्सचेंज खुलवाए और यह

[श्री रामस्वरूप गुप्त]

दोनों संस्थाएं बड़े पैमाने पर स्थापित की गईं और वह सब उन सैनिकों के लिए स्थापित कीं कि जो वेतन भोगी सैनिक थे और जो त्याग, सत्य और बलिदान के लिए लड़ने वाले नहीं थे, बल्कि उससे नीचे स्तर के सैनिक थे। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो सैनिक थे और जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में योग दिया और जिन्होंने बड़े ऊंचे स्तर पर, बड़े ऊंचे नैतिक स्तर पर योग दिया, उस प्रकार के त्याग और बलिदान का नमूना संसार के किसी संग्राम में नहीं मिलता। स्वाभावतः ऐसे सैनिकों की प्रतिष्ठा न केवल हमारे देश में अपितु सारे संसार में बहुत ऊंची होना चाहिये और संसार में तो है भी। प्रश्न यह है कि क्या अपने देश में हमने उनकी उतनी प्रतिष्ठा की है। संकल्प का आशय न केवल इस प्रकार की आर्थिक सहायता का है, मैं तो कहता हूं कि आर्थिक सहायता से भी अधिक हमें अपने सैनिकों की प्रतिष्ठा और सम्मान करने का कुछ रूप देना चाहिये। उसके सुझाव के तौर पर मैं कुछ बातें पेश करता हूं। आज हमारे जिले जिले में पंचायत घर बने हुये हैं, गांधी चबूतरे बने हुये हैं, क्या यह उपयुक्त स्थान नहीं है जिनमें कि उस गांव या उस क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के नाम लिखे जायं, जिससे उन गांधी चबूतरों पर या उन पंचायत घरों पर उनके स्थायी स्मारक रहें? क्या यह उचित नहीं है कि स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के नाम पर कोई प्रति वर्ष सम्मेलन हो, जिसमें हमारे ऊंचे से ऊंचे कार्यकर्त्ता सम्मिलित हों और उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करें? उसमें हमारे मंत्रि गण भी जायं और ऊंचे नेता भी जायं और कार्य कर्त्ता भी जायं। रही बात आर्थिक सहायता की। मेरा खयाल यह है कि आर्थिक सहायता बहुत कुछ रुपये पैसे के अलावा व्यवस्था से भी हो सकती है। हमें कोई इस प्रकार का प्लान बनाना चाहिये था। कोई ऐसी व्यवस्था बांधनी चाहिये थी, जिससे उन लोगों को जो दुखी हैं, पीड़ित हैं जो असमर्थ हैं ऐसे लोगों को सहायता पहुंच सकती। कुछ अभाव रहा। हमें इस प्रकार की व्यवस्था सोचनी है जिस तरह से हमने अपने शरणार्थी भाइयों के लिये यहां अपने प्रांत में कुछ किया। कम से कम उसी प्रकार का कुछ स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के लिये भी करना उचित था। शरणार्थी भाइयों के लिये यदि कोई उचित व्यवस्था सोची होती तो बजाय इसके कि वह शहरों में आकर एकत्रित हो गये। वह कस्बों और गांवों में जा सकते थे और जनसंख्या का कुछ अच्छा वितरण हो सकता था और हमारे छोटे गांव और कस्बे कुछ बढ़ सकते थे, लेकिन उनके बारे में भी हम चूक गये, इसी प्रकार से हम इसमें भी चूक गये। जिस समय खाली भूमि का बटवारा हम कर रहे थे तो प्राथमिकता हमें देनी चाहिये थी उन असमर्थ सैनिकों को, उन निर्धन सैनिकों को जिनका कोई सहारा नहीं था, लेकिन भूमि वितरण के समय भी इस बात का ध्यान हमें नहीं रहा। विनोबा जी ने भूमिहीनों को तो भूमि देने की बात बाद में उठायी। हमारे यहां गांव समाज की स्थापना के समय जमींदारी उन्मूलन के समय यह समस्या आयी थी कि गांव की खाली भूमि किसको उठायी जाय और उस समय पहला हक हमें अवश्य देना चाहिये था स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों को। हमने किया यह कि तराई और भाबर की जो जमीनें बांटी, उनमें कुछ हमारे वह भाई गये, लेकिन पूर्व वक्ता ने बतलाया है कि वहां जाकर तो उन्होंने अपना रुपया खोया ही है। किसी प्रकार की सहायता प्राप्त होने के बजाय वे और कठिनाइयों में पड़ गये। इस प्रकार की कठिनाइयों में पड़ गये हैं कि उन भाइयों का कोई पेशा न होते हुए भी, धन न होते हुए भी उनको कुछ परमिट्स दे दिये गये। अभी हमने जो सहायता का रूप सुझाया वह असल में सहायता नहीं हुई और हमारे भाई आज भी बड़ी कठिनाई में पड़े हुए हैं। यह हम सब अपने अपने स्थान के अनुभव से जानते हैं। जो इस समय पुनः हमने आवेदन पत्र मांगे हैं राजनीतिक पीड़ितों के सहायता के लिये उसमें एक दफा हमने आशा बहुत ऊंची उठा दी है। आज प्रान्त में लगभग १३,००० से ज्यादा आवेदन पत्र पहुंच चुके हैं, जब कि सचमुच ऐसे लोगों की संख्या जो इस समय बड़ी कठिनाई में पड़े हुए हैं बहुत अधिक है। आप उन १३,००० में ५००–७०० को शायद सहायता दे देंगे तो यह भी एक गलती हो रही है। हमने आशा पैदा की। लोग दौड़ें धूपें, परिश्रम करें और फिर

सारे के सारे निराश हो जायं। मेरा सुझाव यह है कि इतनी बड़ी तादाद में एक संभावना और आशा पैदा करके बड़ी तादाद में हमें सहायता पहुंचानी चाहिये। यह सिद्धान्त बिलकुल सर्वमान्य है कि सहायता दी जाय, केवल उन्हीं को जो असमर्थ हैं, निःसहाय हैं, वृद्ध हैं, हीन दीन हैं। समर्थ को सहायता देने की आवश्यकता नहीं। हमारे अधिकांश भाई उसकी आशा भी नहीं रखते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या भी जो असमर्थ और असहाय हैं जिले में १० से तो अधिक ही हैं।

प्रत्येक जिले में कहा गया १०,१० को सहायता दे देंगे, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या तो अधिक है और जब हम सहायता देने की बात सोचते रहे हैं तो फिर उसको साहस करके, उदार हृदय से ऐसे सब लोगों को सहायता पहुंचानी चाहिये जो सहायता के पात्र हैं और जो वास्तविक रूप से असमर्थ हैं और असहाय हैं। अभी हमारे भाई उपाध्याय जी ने कहा कि उनके जिले में कुछ ऐसे लोग पेंशन पा गये जो हट्टे कट्टे हैं, किसी प्रकार की सहायता के पात्र नहीं है। मुझे नहीं मालूम ऐसा कहीं कोई उदाहरण हो गया हो, लेकिन मैंने कोई ऐसा उदाहरण नहीं देखा। अभी तक यही उदाहरण देखे हैं कि कोई अन्धा था, कोई वृद्ध था, रोगी था या असहाय था, उनको ही सहायता मिली है और इस समय भी जो उस पर कार्य हो रहा है मुझे मालूम है कि पूरे तौर से छानबीन करके कार्य हो रहा है। जिस अधिकारी के सुपुर्द आपने यह काम किया है, वह अपने कार्य को जानते हैं, उनके हृदय में दर्द है और ऐसे लोगों को छांट रहे हैं जो सचमुच उसके अधिकारी हैं और पात्र हैं। कोई अंदेशा मुझको ऐसा नहीं मालूम होता कि गलत लोगों को सहायता मिल जायेगी। अंदेशा तो इस बात का है कि जो सहायता के पात्र हैं उनमें बहुत से लोग वंचित रह जायेंगे और उसमें हमको यह सावधानी रखनी चाहिये कि वह वंचित न हों। केवल एक प्रश्न और। हमारे कई भाइयों ने यहां प्रश्न उठाया है कि जहां तक ऐडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है उसमें किसी प्रकार का कंसीडरेशन राजनीतिक पीड़ितों या किसी अन्य के लिए नहीं होना चाहिए। ऐडमिनिस्ट्रेशन में योग्यता और अनुभव का प्रमुख ख्याल होना चाहिए। लेकिन साथ में जहां हमारे भाई ऐसे हैं, संग्राम के सैनिकों में जिनमें योग्यता भी है, कार्यक्षमता भी है और एक विशेष प्रकार का अनुभव भी है अगर उनको हम उन स्थानों पर बिठा सकें तो सचमुच ही हमारे शासन का स्तर ऊंचा उठ सकता है और जिस प्रकार का कार्य हम करना चाहते हैं शासन के द्वारा, उसमें अधिक सफलता मिल सकती है। हमारा शासन किस प्रकार का काम करना चाहता है, उसकी निष्ठाएं और मान्यताएं कुछ हैं। लेकिन वह इसलिए सफल नहीं होता कि उसके काम करने वाले अधिकारी इस प्रकार के नहीं मिलते। अगर आप ऐसे आदमियों को जो योग्य और अनुभवी थे उन स्थानों पर बिठा सकते तो सचमुच आपकी नीति ज्यादा सफल हो सकती थी। एक उदाहरण की बात मैं कहता हूं। हमारे मुख्य-मंत्री पंत जी ने एक अपील जारी की थी सेक्रेटेरिएट में कि वह आशा करते हैं कि जिस अर्थनीति को हमारा देश मान रहा है उस अर्थनीति के प्रतीक स्वरूप हमारे देश के अधिकारी भी खादी को अपनायेंगे। कोई आदेश नहीं दिया था, लेकिन एक अपील थी। आज कितने अधिकारी ऐसे हैं जिनको वह अपील सम्बोधित की गई थी उस पर अमल किया। कारण यह है कि उनकी मान्यताएं, उनकी निष्ठाएं वह नहीं हैं। इसलिए जो नीति का कार्यक्रम आप चलाना चाहते हैं, जिस प्रकार से आप व्यवस्थाएं रखना चाहिते हैं अपने शासन के द्वारा, वे सफल नहीं हो पाती। यह सबसे बड़ी दलील है कि अगर कुछ स्थानों पर आपके आदमी होते जिनकी निष्ठाएं, जिनकी मान्यताएं वही होतीं और जिनमें योग्यता भी होती तो निश्चित रूप से आपकी नीति सफल हो सकती।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—मेरा प्रस्ताव यह है कि इस प्रस्ताव पर साढ़े चार बजे बहस समाप्त कर दी जाय।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—मेरा प्रस्ताव है कि इसमें टाइम बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--ठीक है । सुन लिया ।

***डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--अध्यक्ष महोदय, जिस भावना से प्रेरित हो कर माननीय शुक्ल जी ने इस प्रस्ताव को सदन के सामने रखा है उसकी मैं कद्र करता हूं और मैं ही क्या इस तरफ और उस तरफ जो भी ऐसे भाई हैं जिनका कि हमारे पिछले आन्दोलनों से किसी प्रकार सम्बन्ध रहा है, वह सभी कद्र करते होंगे । लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि यह प्रस्ताव पेश न होता तो अच्छा था । इस विषय पर हम लोग अच्छा था कि आपस में इनफार्मली बात कर लेते । यह मैं इसलिए कहता हूं कि यद्यपि कई माननीय सदस्यों ने ऐसा कहा कि इस प्रस्ताव का समर्थन प्रत्येक व्यक्ति करता है परन्तु दुर्भाग्य से इस देश में ऐसा है नहीं । हम जानते हैं कि ऐसे भी दल हैं जहां जिनका यह कहना है कि देश को जो स्वाधीनता प्राप्त हुई वह कांग्रेस जनों के परिश्रम से जो १९२१ से ले कर १९४२ तक के आँन्दोलनों में शरीक हुए थे, हासिल नहीं हुई । मैंने खुद एक अखबार देखा है, अंग्रेजी का । सुनता हूं कि वह बहुत लोकप्रिय है क्योंकि उसकी कई हजार प्रतियां बिकती हैं । मैंने करीब करीब हर बड़े स्टेशन पर उसको बिकते देखा है । मैं उसका नाम नहीं लेता, व्यर्थ है । उसमें मैंने यह लिखा देखा है कि इस देश का सबसे बड़ा अपमान यह है कि एक मरे हुए बुड्ढे को इस देश का राष्ट्र पिता कहना, एक डेड ओल्ड मैन, उसको फादर आफ दि नेशन कहना और उन्होंने लिखा है कि इससे बढ़ कर झूंठी बात हो नहीं सकती कि जो आन्दोलन चले १९२१ से १९४२ तक और जिनका नेतृत्व कांग्रेस ने किया उनकी वजह से देश को स्वाधीनता मिली । उसमें लिखा है कि अंग्रेजों को किसी कारण से इस देश में शासन करने का शौक नहीं रहा , वह जाना चाहते थे और चले गये । भिखमंगों की तरह समुद्र के किनारे कुछ कांग्रेस वाले खड़े थे, उन्होंने कुंजी फेंक दी और उनके हाथ लग गई । तो यहां ऐसे अखबार और उनके पढ़ने वाले कई हजार लोग हैं और मैं सुनता हूं कि उस अखबार में एक बार नहीं अनेक बार ऐसी चीजें निकला करती हैं । तो मैं समझता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रश्न यहां लाना बेकार हो जाता है । ऐसा करने से ऐसे लोगों को यह कहने का मौका मिल जाता है कि अंधा रेवड़ी बांटता है और बार बार अपने घर वालों को ही बांट लेता है । यहां यह लोग बैठे हैं और अपना विचार खुदही कर लेते हैं । जहां तक भावना की बात है , इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती जिसके लिये यह प्रस्ताव रखा गया है । जिन लोगों ने आन्दोलनों में हिस्सा लिया उनकी देश भक्ति या उनके त्याग कोई मूल्य नहीं हो सकता । किसी इनाम की आशा से उन्होंने इस नाव पर पांव नहीं रखा था और हम चाहे जो कुछ भी करें उनके त्याग को, उनके बलिदान को हम कभी चुका नहीं सकते, कभी उनके अहसान से हम उऋण नहीं हो सकते । जो कुछ हम करते या करने की कोशिश करते हैं वह तो केवल थोड़ा सा जो हमारा कर्त्तव्य है या उनके प्रति उस कर्त्तव्य को पालन करने का एक हल्का सा, थोड़ा सा प्रयत्न है और कुछ नहीं ।

इस प्रस्ताव में लिखा गया है कि जो सहायता उनको दी जाय वह इसलिये कि वह निश्चिन्त होकर लोक सेवा, देश सेवा कर सकें । करें, यह उनकी उदारता है लेकिन हम इसलिये सहायता नहीं देते हैं कि वह देश सेवा में लगें और यह तो कभी भूल कर हमारा ख्याल नहीं है कि किसी को कुछ सहायता दी जाय और उसका परिणाम यह हो कि वह कांग्रेस गवर्नमेंट का या कांग्रेस का भक्त हो जाय । बहैसियत कांग्रेस जन के शायद मुझे खुशी हो, लेकिन कांग्रेस जन आगे चलकर कोई रहे या नहीं कांग्रेस गवर्नमेंट के प्रति उसकी भक्ति रहे या नहीं, लेकिन अगर हमारे साथ वह स्वतंत्रता संग्राम का एक सैनिक रहा है तो उसके प्रति जो हमारा कर्त्तव्य है, जो श्रद्धा है उस श्रद्धा को व्यक्त करने का एक हल्का सा साधन हमारे पास है । उससे काम लें और हम जो कुछ करते हैं उसमें हमारा यही भाव है ।

इसमें दो बातें कही गई हैं । एक तो सूची बनाने की बात जो है यह तो ऐसा लगता है कि सचमुच जैसा कि कुछ और मित्रों ने और उपाध्याय जी ने भी कहा कि हमसे गलती हुई

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और देशों में जहां स्वाधीनता का आन्दोलन तलवार के बल पर चला, वहां जिनके पूर्वज इन आन्दोलनों में शरीक हुये थे उनमें किसी के पास उनकी तलवार रक्खी है, किसी के पास बंदूक रक्खी है या और कोई हथियार है। तो उनके पास पुश्त दर पुश्त के लिये एक चीज है जो उनको स्प्रिट देती है और यह याद दिलाती है कि अमुक अमुक व्यक्ति लड़ाई में शरीक हुआ था। हमारा आन्दोलन जो हुआ उसके संबंध में किसी के पास एक पर्चा भी नहीं मिलेगा कि किसी घर का कोई आदमी शरीक हुआ था। मैंने पढ़ा था यूनाइटेड स्टेट्स में, जब उनका ४ जुलाई को स्वाधीनता उत्सव होता है तो वहां के सन्स आफ दी रिवोल्यूशन और डाटर्स आफ रिवोल्यूशन के वंशज आज भी एक उत्सव मनाते हैं, पार्टी देते हैं। लेकिन हमारे यहां जो उत्सव होगा, उसमें किसी के पास कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो उनको स्प्रिट दे सके। गलती हो गई, लेकिन हो गई और मैं नहीं जानता कि अब इस तरह की कोई सूची बनाना संभव है या नहीं और गवर्नमेंट के लिये तो यह काम बहुत कठिन है।

जो अपने खुद के रिकार्ड्स गवर्नमेंट के हैं वे बहुत ही अधूरे हैं। जो जेल के पुराने कागज होते हैं वे वीड आउट हो जाते हैं, इतने दिन नहीं रह सकते। कोशिश हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि राजनीतिक संस्थायें इसमें ज्यादा सफल हो सकती हैं। और भी कुछ कारण हैं। जैसे कुछ मित्रों ने कहा कि कुछ लोग ऐसे थे आन्दोलन के जमाने में जिनसे कहा गया कि आप आन्दोलन में मत आइये, आप पीछे रह कर काम कीजिये, फिर कुछ अन्डर ग्राउन्ड काम करने वाले थे, तो उनका कैसे पता गवर्नमेंट लगा सकती है। बहरहाल जो कोशिश करें, लेकिन हमारी राजनीतिक पार्टीज कोशिश करें तो अब भी बहुत कुछ सूची बन सकती है। हमारे यहां तो उन वीर पुरुषों की कोई यादगार ही नहीं। हमने एक बात तय की है उत्तर प्रदेश में कि जब से हमारे प्रदेश में अंग्रेजी राज्य कायम हुआ तब से जो लड़ाइयां हुई हैं उनकी कुछ प्रतीक स्वरूप जो चीजें हुई हैं उनकी यादगार बनायी जायं, यानी सन् १८५७ के पहले चेत सिंह, सन् १८५७ में रानी लक्ष्मी बाई और नाना साहब और तांतिया टोपे, सन् १८५७ की यादगार हैं और सन् १९२१ से लेकर सन् १९४२ तक की यादगार बनाने का हमने तय कर लिया है, इसमें कुछ कार्य हो रहा है, कुछ कलाकार कार्य कर रहे हैं उसका एक ठिकाने का रूप जब बन जायगा तो सदन के सम्मुख आ जायगा।

अब सवाल आता है सहायता का। सहायता के संबंध में एक जरूर मुश्किल प्रश्न होता है कि किसको राजनीतिक पीड़ित कहा जाय। मैं भी मानता हूं, मैं माननीय उपाध्याय जी से इस बात में सहमत हूं कि पोलिटिकल सफरर बहुत अच्छा शब्द नहीं है। काम चलाने के लिये एक व्यावहारिक ढंग से तो ऐसा मान लिया गया था जो आन्दोलन के सिलसिले में ६ महीने के लिये जेल गये हों। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इधर हमने इस व्याख्या को बहुत कुछ चौड़ा कर दिया है, यहां तक कि जो लोग कि खास तौर से इस सिलसिले में जेल नहीं गये थे जैसे मैनपुरी केस के लोग, उनके घर वालों को भी हमने शरीक कर लिया है, इतना मैं और कह देना चाहता हूं।

दूसरी बात यह है कि हमने केवल कांग्रेस वालों के लिये किया हो यह हमारा एक क्षण के लिये भी इरादा नहीं था। इस बात की तरफ ध्यान दिलाया गया कि फौर्म में कांग्रेस पार्टी का जिक्र है। वह केवल सुविधा की बात थी और वह इसलिये थी कि जो लोग पोलिटिकल सफ़रर हैं उनमें से अधिकांश लोग कांग्रेस में हैं, लेकिन बहुत से लोग और दलों में हैं। इसके लिये माननीय सदस्य देखेंगे कि उसमें यह बातें भी लिखी थीं कि कांग्रेस कमेटी का सर्टिफिकेट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेट हो या कोई दो सज्जन जो उसके साथ जेल में रहे हों या किसी एक प्रतिष्ठित आदमी के दस्तखत हों। केवल कांग्रेस कमेटी के सर्टिफिकेट की उसमें शर्त नहीं है। अब कितनी पार्टियां हैं इस वक्त यह कहना मुश्किल है। हम सब जानते हैं कल तक प्रजा समाजवादी पार्टी थी अब एक पार्टी उसमें से और बन गई, जिसको माननीय राजनारायण जी सुशोभित करते हैं। तो इसलिये हमने कहा कि ऐसा कर देना चाहिये कि किसी आदमी का

[डाक्टर सम्पूर्णानंद]

काम इस वजह से न रुक जाय कि वह कांग्रेस कमेटी का किसी कारण से सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर सकता ।

दूसरी बात यह है कि कितने आदमियों को सहायता दी जाय । यह बिलकुल सही है यह एक ऐसा काम है जिसको हमने उठाया । हम जानते थे कि बहुत कुछ बदनामी इसमें हो सकती है, लेकिन इसका इतिहास मालूम है सबको । जब यह गवर्नमेंट आयी तभी इस काम को लिया गया कुछ तारीख तय कर दी गई कि फलां तारीख तक जो लोग सर्टिफिकेट भेज देंगे उनको पेंशन दी जायगी, दी भी गई । बहुत से लोग ऐसे भी थे, जिनके आत्मसम्मान ने इस बात को बरदाश्त नहीं किया, अब हमने देखा कि कई लोग कष्ट में हैं । और तारीख बीत गई । अब उनकी समझ में बात नहीं आती कि हम क्या करें । तो फिर हमने यह उचित समझा कि हम इस काम को लें । माननीय शुक्ल जी का यह ख्याल है कि उनका प्रस्ताव आने के बाद, उनके प्रस्ताव की वजह से हमने इस काम को शुरू किया, बहरहाल यही बात सही । तो हमने इस काम को अपने हाथ में लिया और एक विशेषाधिकारी नियुक्त किया, जिनकी बाबत कि सभी लोग तारीफ करते हैं कि वह इस काम को ठीक से कर सकते हैं । अब तक दस हजार दरख्वास्तें आ चुकी हैं । इनमें से दस हजार में से शायद छानबीन करने के बाद बहुत कुछ सहायता के पात्र न रह जायं । इसमें हमने रुपये पैसे की कोई शर्त नहीं रखी है । इस वक्त ३ लाख रुपये से यह काम हो रहा है । लेकिन अगर इसका दुगुना, तिगुना या चारगुना भी खर्च हो जायगा तो भी प्रहम रुकने वाले नहीं हैं । दरख्वास्तों की छानबीन करने में समय लगता है, उसमें न ायरिटी देने में भी समय लगता है । हमने इस वक्त यह तरीका रखा है । मसलन मई जून के महीने में शादियां बहुत हुईं, ज्योतिषियों ने कुछ ऐसा कह दिया कि अगले साल, डेढ़ साल क शादियों की लगन नहीं है, इसका नतीजा यह हुआ कि बहुत शादियां इस साल हुई, हमने यह किया कि जहां लड़की की शादी की दरख्वास्त आयी, हमने उनको सबको फौरन रुपया दिया । दो तीन दिन पहले भी शादी से, जिनकी दरख्वास्त आयी उनके लिये भी जिला मैजिस्ट्रेट को या वहां के किसी बड़े आदमी को फोन करके कहा कि तुम इनको इस वक्त रुपया दे दो । बाद को इनका रुपया भेज दिया जायगा । जो दरख्वास्तें बच गई हैं, उनमें हमने निश्चय किया है कि सबसे पहले उन लोगों की दरख्वास्तों को लेना चाहिये और दस आदमी का कागज इसीलिये माननीय सदस्यों के पास आया कि हर एक जिले में जो सबसे अधिक डिजर्विंग केस हैं, उनको तो दे ही दी जाय । कुछ लोगों की दरख्वास्तें तो ऐसी हैं कि अच्छी खासी रकम वह चाहते हैं रोजगार के लिये, ऐसे लोगों की दरख्वास्तों को हम पीछे लेंगे । मैं नाम नहीं लूंगा, एक जिले से एक दरख्वास्त यह आयी है कि उन्होंने एक लाख रुपये की मांग की है । तो वह तो खैर, हमारे सामर्थ्य की बात नहीं है । लेकिन ऐसी दरख्वास्तों को हमने सबसे पीछे डाल रखा है, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि कितनी रकम हम उनको दे सकेंगे । थोड़े में जो सहायता देने का क्रम है उसे मैं सदन के सामने रखता हूं । एक चीज का जिक्र आता है । लड़कों की पढ़ाई लिखाई के लिये स्कालरशिप का । यह माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि आज से कई वर्ष पहले यह चीज शुरू हुई थी । उस वक्त तो हमने एक थोड़ी सी रकम रखी थी परीक्षा के तौर पर । वह बराबर बढ़ती आयी है इस वक्त तक । लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वह रकम अपर्याप्त है । इस प्रश्न पर भी माननीय शिक्षा मंत्री जी विचार कर रहे हैं कि जो पोलिटिकल सफरर्स के घरों के लड़के हैं उनको क्या, फ्री किया जा सकता है ? इसमें कुछ देर लग सकती है, लेकिन यह फैसला हमने कर लिया है कि जो रकम रखी गई है उसको डबल तो हम किये ही देते हैं, उससे अच्छे खासे लोगों की हम सहायता कर सकेंगे और मुझे विश्वास है कि इस काम के लिये सप्लीमेंट्री डिमांड्स के साथ में, जब हम इस सदन के सामने आवेंगे तो यह सदन उसे उदारता के साथ स्वीकार करेगा । इससे कुछ थोड़ा सा अन्दाज हो जायगा कि हम किस दिशा में चलना चाहते हैं और क्या हमारे विचार हैं । जहां तक प्रस्ताव की बात है, उससे कोई विरोध तो है नहीं, उसका हम समर्थन करते हैं और मैं आशा

करता हूं कि गवर्नमेंट जिस तरीके से इस काम को करना चाहती है, सदन हर प्रकार से उसको स्वीकार करेगा ।

श्री सीताराम शुक्ल--माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसका ख्याल था, जो अरमान थे, जो विचार थे, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना वक्तव्य देकर उससे हम लोगों को संतुष्ट कर दिया। अब उसके बाद में बोलने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हमारे उपाध्याय जी ने एकाध बात कही थी, कुछ माननीय विकल जी ने भी कही थी, उन पर कुछ रोशनी डाल देना अनावश्यक न होगा। आपने फरमाया था कि कोई पोलिटिकल सफरर पेंशन नहीं लेना चाहता। यह उसकी शान के खिलाफ है। उसे काम दिया जाय। पेंशन उसको नहीं चाहिये। ठीक है मैं जानता हूं कि आजादी की लड़ाई में जो गये थे, वह क्या यह सोचकर गये थे कि हम आजादी ले लेंगे। वह तो यह सोचकर गये थे कि गोली मार दी जायगी, हम मर जायेंगे। वह तो इसलिये गये थे कि वहां हम बंदूक की गोली के शिकार होंगे तब हमारे नाती और पोतों को स्वराज्य मिलेगा ।

"न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं ना पुनर्भवम् ।
कामये दुःखतप्तानां प्रणिनामार्त्ति नाशनम् ।।

न स्वर्ग चाहिये, न मोक्ष चाहिये, न राज्य चाहिये। सिर्फ दुखियों के दुखों को दूर करना चाहते थे किन्तु उन्होंने अपनी आंखों से स्वराज्य देख लिया यही क्या कम है। इसलिये वह नहीं चाहते कि वे पैसे की मदद मांगें। यह तो हुई उनकी बात। मगर सरकार का क्या फर्ज है ? और जैसा हमारे मुख्य मंत्री महाराज ने फरमाया, बहुतों ने दरख्वास्त नहीं दी, गरीबों की जिन्दगी बसर कर रहे हैं, सिफारिश नहीं करवाना चाहते हैं, उनके बच्चों की फीस लग रही है। वे कहते हैं कि यह क्या कम है कि हमने आजादी देख ली। एक पहलू यह है। दूसरा पहलू है आपका क्या फर्ज है, पब्लिक का क्या फर्ज है। जब वे जेल जाते थे तो पब्लिक चुपके से चन्दा करके उनके घर दे आया करती थी। लेकिन अब आपका फर्ज है कि इमदाद कीजिये। हमारे विकल जी ने फरमाया कि इस वजह से हम नहीं देना चाहते हैं कि उन पर एहसान होगा। ठीक है, लेकिन हर चीज का पहलू होता है। एक पहलू यह है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिये। दूसरा पहलू यह है कि वे हमारे भाई हैं। तीसरा पहलू यह है कि खिदमत कभी बेकार नहीं होती, बहुत से विरोधी दोस्त हो जाया करते हैं। हमारे पंडित मोतीलाल जी ने एक नेता से कहा कि वेल, मिस्टर रंगा, सिगरेट लो। सिगरेट पिला दी, वह उधर से इधर हो गये। हां, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पोलिटिकल सफरर फर्जी बन गये हैं। एक मिनट भी जेल नहीं गये, उन्हें जमीनें मिल गयी हैं। जरा इसकी भी जांच पड़ताल कीजिये। जहां मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि उनकी इमदाद कीजिये, वहां मैं यह भी कह रहा हूं कि खूब जांच पड़ताल भी कीजिये, क्योंकि चार सौ बीसिये हर जगह पहुंच जाया करते हैं। उनसे बचना चाहिये।

तीसरी बात पोलिटिकल शायरों के बारे में है। आपसे अर्ज करता हूं कि जिन्होंने कवितायें लिखी हैं। जेल नहीं गये मगर शायरी लिखकर आजादी की लड़ाई में मदद की है। एक पोलिटिकल शायर सादिक अली साहब रायबरेली के हैं। वे उस वक्त शायरी करके आन्दोलन में बल दिया करते थे। आज उनको एक लीगी ने अपने मकान से निकाल दिया, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे भी आपके साथी हैं जिन्होंने लिख कर, शायरी करके, गाना गाकर हमें मदद पहुंचाई है। तो ऐसे लोगों का भी सरकार को ख्याल करना चाहिये।

हां, एक साहब ने कहा था कि पोलिटिकल सफरर्स काम कुछ नहीं करते, सरकारी नौकरी दी जाती है तो काम ठीक नहीं करते, बात सही है। वह बंधन में रहने के आदी नहीं हैं, उन्होंने हुक्म मानना नहीं सीखा, वे कैसे कहना मान जायं ? इसलिये मेरी गुजारिश है कि उनको सिर्फ इंफारमेशन डिपार्टमेंट दे दिया जाय। जिन्दगी भर प्रचार करते आये हैं इसलिये वे प्रचार कार्य अच्छा कर सकते हैं। ऊपर से नीचे तक उन्हीं के आदमी रखिये। यह वाजह रहे कि अगर

[श्री सीताराम शुक्ल]

पोलिटिकल सफरर कहीं हो जाता है तो नीचे के भी अफसर और ऊपर के भी अफसर यह चाहते हैं कि वह न रहने पाये वहां। इसलिये मेरी गुजारिश है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब पोलिटिकल सफरर्स ही इन्फारमेशन डिपार्टमेंट में रहें। अगर ऐसा हुआ तो मैं समझता हूं कि वे भी कामयाब होंगे और आपको भी कोई शिकायत नहीं रहेगी। बस, अगर आपने इस तरह से सहायता की तो उनको भी आराम मिलेगा, आप भी आराम से रहेंगे, मुल्क भी आराम से रहेगा और संसार को भी आराम पहुंचेगा।

श्री अध्यक्ष--इस पर राय लेनी है।

प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि राज्य के राजनीतिक पीड़ितों की एक सूची तैयार की जाय और उन्हें समुचित पेंशन दी जाय ताकि वे आर्थिक कठिनाइयों से निश्चित होकर देश सेवा कर सकें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाकू मानसिंह के पुत्र सूबेदार सिंह के मारे जाने का समाचार

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, एक बात कहना चाहता था। कल सुबह मानसिंह के संबंध में प्रश्न पूछा गया था कि और खबर क्या है? खबर आई है और मालूम हुआ कि जो लाशें मिली हैं उनमें मानसिंह के लड़के सूबेदारसिंह की लाश भी है। वह भी मारा गया।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)--अध्यक्ष महोदय, सुबह जो अखबार में निकला था वह ठीक है कि मानसिंह मारा गया?

श्री अध्यक्ष--मानसिंह का लड़का सूबेदार सिंह भी मारा गया यह बात कह रहे हैं।

श्री मोहनलाल गौतम--मानसिंह के बारे में जो अखबार में निकला है कि जो मानसिंह मारा गया है क्या वह वही मानसिंह है या नहीं, इस संबंध में क्या खबर है?

श्री अध्यक्ष--उन्होंने कहा था कि मानसिंह ही मारा गया।

गोवंश के वध पर अन्तरिम प्रतिबन्ध लगाने के संबंध में संकल्प

श्री रणंजयसिंह (जिला सुल्तानपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प यहां पर प्रस्तुत करता हूं कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि गोवंश के वध पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये गोसंवर्द्धन जांच समिति के प्रतिवेदन पर अतिशीघ्र विचार करके तदर्थ अधिनियम बना दिया जाय और जब तक उक्त अधिनियम लागू न हो तब तक के लिये अभी से गोवंश के वध पर अन्तरिम प्रतिबन्ध लगा दिया जाय।"

श्रीमन्, यह गोसंवर्द्धन जांच समिति की जो स्थापना की गयी थी, इस सदन में १२ दिसम्बर, १९५२ को यह आश्वासन दिया गया था और उसके बाद जब जांच की गयी थी, इसके संबंध में दौरा किया गया। लगभग २५,००० रुपये व्यय हुये और यह सब करने के बाद गोसंवर्द्धन जांच समिति की जो रिपोर्ट निकली, उस प्रतिवेदन के ऊपर भी विचार करने के लिये तभी से प्रयत्न किया गया। अब आवश्यकता यह है कि सरकार इस बात पर विचार करे कि जब तक वह अधिनियम गोरक्षा वाला न बन जाय तब तक गोवंशवध अर्थात् गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय। मेरा यह पक्का विचार था और मैंने अन्य भाषणों में इस बात पर जोर दिया है कि यदि हमारी ये गोमातायें, यह लोक हितकारी गाय जो हैं उसका तथा उसके जो वंशज हैं उनका विनाश जारी रहेगा और अधिनियम बनने में समय लगेगा तो कठिनता यह होगी कि तब तक पता नहीं कि कितनी गायें कट जायं। मैं यह जानता हूं कि गोवध पर अनेक म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट

बोर्डों में प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, फिर भी अब भी कुछ ऐसे अनेक स्थान हैं जहां गोवध होता है। इसलिये इसकी अनिवार्य आवश्यकता समझ कर मैंने यह संकल्प निर्मित किया और प्रयत्नशील रहा कि किसी न किसी प्रकार से गोवध बन्द हो। मैं यह भी जानता हूं कि अब हमारे यहां सदन में गोवध बन्दी के लिये गोवध निवारण विधेयक उपस्थित किया जा रहा है और मैं सदन से अपना यही विचार रखता हूं और मेरा यह हार्दिक विचार है कि गोवंश की रक्षा हो और उससे देश और संसार का कल्याण होगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी दलबन्दी या किसी और कारणवश यहां बात नहीं रखता हूं। मैंने जब-जब यहां उनके लिये संकल्प भेजा, कई बार आया, कुछ ऐसे कारण हुये कि यहां पर प्रस्तुत न हो सका। इस बार मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यहां इसका अवसर आ सका, लेकिन मैं यह जानता हूं कि शीघ्र ही गोवध निवारण विधेयक आयेगा। मैंने २९ जनवरी, १९५५ को जो गोवंश संवर्द्धक विधेयक शलाका में भेजा था और जो कि यहां पर ११ फरवरी को कार्यसूची में आया, उसके संबंध में मुझसे यह पूछा गया कि ऐसी स्थिति में जब कि सरकार स्वयं गोवध निवारण विधेयक ला रही है, इस की आवश्यकता होगी या नहीं? इसको वापस लेंगे? तब मैंने विचार किया और निश्चित किया कि उचित यही है कि जब सरकार की ओर से विधेयक आ गया है और मैंने यह सोचा कि मैं इसमें इस बात का अधिकार रखता हूं कि संशोधन दूं तो मैंने यह उत्तर दिया कि मैं अपने संशोधन दूंगा और मैं समझूंगा कि इसमें संशोधन पर्याप्त होगा तो मैं इसको वापस कर लूंगा और इसके लिये आग्रह नहीं करूंगा। मुझे हर्ष है कि गोवध निवारण विधेयक विचारार्थ आने वाला है और मैंने अपने संशोधन भेज दिये हैं। ऐसे समय में मैंने उसको आवश्यक नहीं समझा और इसके नोटिस को वापस ले लिया। लेकिन गोवध को रोकने के लिये कोई अंतरिम प्रतिबन्ध लगना चाहिये। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि यह प्रतिबन्ध लगा दिया जाय क्योंकि विधेयक बनने में तो काफी समय लग सकता है।

लेकिन इसके साथ ही साथ मुझे इस बात की भी चिन्ता है कि जब एक विधेयक उपस्थित हो गया है तो फिर कोई अध्यादेश उस संबंध में बन सकता है या नहीं, इसमें कोई कानूनी अड़चन तो नहीं पड़ेगी। मैं प्रार्थना करूंगा कि यदि यह संभव हो और अनियमित न हो तो ऐसा अवश्य किया जाय क्योंकि मेरा संकल्प २९ जनवरी, १९५५ का था और ११ फरवरी, १९५५ को आता, जब कि सरकारी विधेयक तैयार नहीं हुआ था और उस दिन सरकारी दिन हो गया इसके पश्चात् आज यह असरकारी दिन मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। असरकारी दिन का बहुत महत्व होना चाहिये क्योंकि सरकारी सदस्यों की अपेक्षा असरकारी सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है। मैंने एक बार तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री पंत जी से निवेदन किया था कि नाम तो इसका असरकारी दिन है, लेकिन इसका कुछ असर नहीं पड़ता और महीने में केवल दो दिन रखे गये हैं। अब सदस्यों की संख्या भी बढ़ गई है इसलिये असरकारी दिनों की संख्या बढ़नी चाहिये, लेकिन नहीं बढ़ी। मैं समझता हूं कि असरकारी दिन का महत्व बहुत अधिक होना चाहिये, क्योंकि प्रदेश के इतनी-इतनी दूर से लोग आते हैं तो उनको अपने विचार रखने का अवसर मिलना चाहिये।

इस असरकारी दिन को केवल चार संकल्प और दो विधेयक ही रखे जा सकते हैं। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि इन पर विचार करते समय बहुत समय लग जाता है। आज बड़े दिनों के बाद मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मेरी बारी आई। यह शलाका में भी आया। अब मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी अपने विचार प्रकट करें कि यह हो सकता है या नहीं हो सकता। इसको वह स्वीकार कर सकते हैं या नहीं, यह नियमित है या नहीं। यदि अध्यादेश नहीं बन सकेगा तो ऐसी दशा में मैं आग्रह नहीं करूंगा। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई ऐसा उपाय हो कि गोवध बन्द करने का कुछ प्रबन्ध किया जाय। यदि सरकार कोई प्रबन्ध कर सकी तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी और मुझको ही नहीं, बल्कि सभी को प्रसन्नता होगी और मैं सरकार को हृदय से धन्यवाद दूंगा। लेकिन यदि सरकार विवश हो, कोई कानूनी अड़चन पड़ती हो तो मुझे आग्रह नहीं होगा।

इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इस मामले पर पहले विचार हो जाय कि अध्यादेश बन सकता है? बिना इसके निश्चित हुये सदन का समय लेना उचित नहीं है। अगर ऐसा हो

[श्री रणंजयसिंह]

सकता हो और सरकार प्रबन्ध कर सके तो मैं प्रार्थना करूंगा कि अधिक वादविवाद न हो और यदि यह नियमित न हो तो मैं आग्रह नहीं करूंगा। सरकार विचार करके ऐसा प्रबन्ध करे जिससे यह संकल्प कार्यान्वित हो सके। मैं प्रार्थना करूंगा कि सरकार ऐसा प्रतिबन्ध लगा दे जिस से गोवध तत्काल एकदम से बन्द कर दिया जाय, मैं समझता हूं कि इसकी अति आवश्यकता है। परन्तु मैं इतना अवश्य जानना चाहता हूं कि यह नियमित है या नहीं और अब अध्यादेश बन सकता है या नहीं ?

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो रणंजय सिंह जी का संकल्प है मैं इसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे देश के लिये गोवंश की जितनी उपयोगिता समझी गयी है, और·····

***श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)---श्रीमन्, एक निवेदन है और वह यह है कि इस विवाद में कमी हो सकती है। आपकी आज्ञा से मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय रणंजयसिंह जी ने यह कहा कि यदि सरकार के सामने ऐसी आपत्ति हो कि जिससे अन्तरिम व्यवस्था न हो सके तो सरकार और माननीय मंत्री जी की राय जान ली जाय। उसके बाद वह तैयार भी हैं कि अगर सरकार को कोई कठिनाई हो तो वह इसको वापस लेने के लिये तैयार हैं। मैं समझता हूं कि पहले माननीय मंत्री जी की राय जान ली जाय और तब अन्य सदस्यों को मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने इसको पेश कर दिया है। तो अगर यह वापस भी होगा तो वह सदन की राय से ही होगा। अब तो मैं श्री बसन्तलाल जी को अवसर दे चुका हूं। मैं समझता हूं वह अपनी बात को ५ मिनट में ही खत्म कर देंगे।

श्री बसन्तलाल शर्मा---अध्यक्ष महोदय मैंने बारबार पहले भी इस बात के लिये कहा है कि मेरे नाम के आगे शर्मा जोड़ दिया जाय। ऐसा न होने की वजह से कभी-कभी मुझको मेरी स्पीच भी नहीं मिलती है।

श्री अध्यक्ष---यहां तो आप स्वयं मौजूद हैं तो यहां पर भ्रम नहीं होगा।

श्री बसन्तलाल शर्मा---मैं यह कह रहा था कि हमारे देश के लिये गऊ की जो उपयोगिता आर्थिक दृष्टिकोण से समझी जाती है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे इस वर्ष का जो सत्र आरम्भ हुआ था, राज्यपाल महोदय ने इस बात की घोषणा की थी कि गोवंश की रक्षा के लिये सरकार कदम उठाने जा रही है। उस समय उचित होता कि यह घोषणा भी कर दी गयी होती कि वह तुरन्त प्रतिबन्ध लगाने जा रही है तो यह और भी सुन्दर होता।

आज इसके आने में इतना बिलम्ब हो गया। गोसंवर्द्धन समिति की रिपोर्ट भी सदस्यों के पास पहुंच चुकी है। उसको देखने के बाद हमारी सरकार ने इस संबंध में एक बिल प्रस्तुत कर दिया है जो कि हमारे वर्तमान एजेंडे पर चढ़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में यह बहुत जरूरी है और हमारे देश के लिये लाभकर है। यदि हमारे राष्ट्र की किसी प्रकार से हानि हो तो हमारा यह कर्त्तव्य है कि अविलम्ब हम उसकी रक्षा करें और बचायें। यह संकल्प जो रणंजय सिंह जी ने पेश किया इसको मान लिया जाय तो इससे राष्ट्र की बहुत बड़ी बचत होगी। इस संकल्प के समर्थन में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र इस संकल्प को स्वीकार कर लिया जाय।

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव इस सदन में अभी पेश किया गया है, उस संबंध में मैं इस मौके पर ज्यादा बात नहीं कहना चाहता। मेरी यह हार्दिक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इच्छा है कि इस सदन के माननीय सदस्यों की राय हम सुन लें और उसके बाद फिर कोई मुस्तकिल राय मैं कायम करूंगा। उस वक्त मैं पूरे तौर पर जो कुछ भी कहना होगा कहूंगा।

*श्रीमती सफिया अब्दुल वाजिद (जिला बरेली)—आज जो यह प्रस्ताव आया है, मैं उसकी मुखालफत करने के लिये खड़ी हुई हूं। मैं यह जानती हूं कि यह प्रस्ताव मैजारिटी पार्टी के सेंटीमेंट के मुताबिक है। मुझे इसमे पूरी हमदरदी है, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यह समझते हों कि मजहब ऐसी चीज है जिसको आदमी छोड़ सकता है।

इस वक्त हमारे सामने बड़ा सवाल यह है कि हमारे सेंटीमेंट और इंसाफ में झगड़ा पड़ता है। मैंने माना कि ज्यादातर लोगों के ख्याल पुरानी बुनयादों पर या पुराने सेंटीमेंट्स की बिना पर जरूर यह है कि गाय को बन्द कर दिया जाय।

श्री रणंजयसिंह—श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव गाय को बन्द करने का नहीं है।

श्रीमती सफिया अब्दुल वाजिद—मेरा मंशा गाय को जिबह करने से ही है। इस मुल्क को हम सेक्युलर स्टेट कहते हैं, तो हमारे दिल में यह जजबात पैदा होते हैं और लोगों के दिल में यह ख्याल आता है कि सैक्युलर होने से यह वह मुल्क है, वहां हर कौम के आदमी को, हर मजहब के आदमी को पूरी मजहबी आजादी है। ख्वाह वह ईसाई हो, हिन्दू हो या वह मुसलमान हो या और किसी मजहब का हो हर शख्स को पूरी आजादी है कि अपने मजहब का पालन करे। मुसलमान या कुछ और ऐसे मजहब हैं जिनके यहां गाय का गोश्त जायज है। अगर आप कानून से इस चीज को रोकेंगे तो आप दुनिया में यह साबित कर देंगे कि कुछ मजहब के लोगों के जजबात का आपको अहसास नहीं है। उनके सेंटीमेंट्स की आप रेसपैक्ट नहीं करते हैं। आपको याद होगा कि एक मौका ऐसा आया जबकि नौशेरवां को बुढ़िया की बात माननी पड़ी। बुढ़िया ने कहा कि वह अपनी झोपड़ी को नहीं छोड़ेगी हालांकि उसका शाही दस्तरख्वान से खाना भी मिलना तय हो गया था। उस इंसाफ पसन्द बादशाह ने उस बुढ़िया के जजबात की कद्र की और उसकी बात को कायम रखा। हम इस बारे में कानून बनाकर दुनिया के सामने यह जाहिर कर देंगे कि अखलाकी मामलों में हम कमजोर हैं। दूसरों के सेंटीमेंट्स को आप इस तरह से कानून बन कर न कुचलें। बल्कि उनसे मुहब्बत का बरताव कीजिये और दरख्वास्त कीजिये तो मुमकिन है कि वे इससे खुदबखुद दस्तबरदार हो जावें।

*श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—मैं रणंजय सिंह जी के संकल्प के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इस बात से असहमत बहुत ही कम लोग होंगे कि गोवध बन्द न किया जाय। इस संबंध में तरह-तरह के आन्दोलन भी हुए और तरह तरह से जनता की भावनाओं को समझने की कोशिश की गई है। इस बारे में हमारे सदन में भी कई बार प्रश्न उठाये गये हैं जिनके बाद सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसने इस सवाल की जांच की। सारे प्रांत से कुछ आंकड़े जमा किये गये और उसके आधार पर उसने अपनी रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट के आधार पर एक बिल बनकर हमारे सामने पेश है। हमारा देश कृषिप्रधान देश है और खेती का सारा कारबार बैलों से ही होता है। यह गोवंश से ही है। ऐसी हालत में खेती की उन्नति की दृष्टि से और दूध वगैरह की दृष्टि से हमें इस पर अधिक ध्यान देना चाहिये कि हमारा गोवंश क्षीण न हो और हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुधरे। कुछ दिनों से हमारे देश में गो की ओर कम ध्यान दिया गया, जिसके कारण कृषि और गोवंश की हालत क्षीण होती चली गई। जो रिपोर्ट गोसंवर्द्धन समिति ने पेश की है उसे देखने से मालूम होता है कि १८९९ में जब से ये आंकड़े पशुओं के जमा किये जाने लगे हैं तब से अब तक के पूरे आंकड़े देखने से पता चलता है कि गोवंश की वृद्धि नहीं हुई है। जबकि मनुष्यों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। उतने ही समय में गोवंश की संख्या में संभवतः ४० लाख की कमी हुई है और यह इस हमारी उपेक्षा के कारण से ही हुई है। गोवंश के ह्रास का नतीजा यह हुआ है कि हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ गयी है। हमारा देश कृषि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नागेश्वर द्विवेदी]

प्रधान देश है। इसमें ज्यादा लोग खेती पर निर्भर करते हैं और अधिकतर लोग बैलों से ही खेती का काम लेते हैं और गाय के दूध पर ही उनका सारा जीवन निर्भर करता है। लोगों का तो यह मत है कि जितना गाय का दूध उपयोगी होता है उतना किसी दूसरे पशु का दूध उपयोगी नहीं होता। इतना ही नहीं गाय का गोबर और उसकी हड्डियां भी हमारे काम में आती हैं। जैसा कि अभी माननीय सदस्या ने कहा कि हम इसको एक धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं लेकिन जब हम उसको केवल आर्थिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि जिस चीज से हमारे देशवासियों को इतना लाभ होता है उसके विकास और उसकी उन्नति के लिये हमें जितना कुछ करना चाहिये, वह करना चाहिये। इसके प्रकाश में माननीय सदस्या ने जो कुछ कहा वह मुझे बिलकुल नहीं जंचा। उन्होंने कहा कि एक दूसरे संप्रदाय का भी ख्याल रखा जाय और उसका ख्याल करते हुए गोवध पर प्रतिबन्ध न लगाया जाय। उनका यह ख्याल निर्मूल है। गोवध बन्दी से किसी भी संप्रदाय को चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिख या इसाई हो, किसी को भी हानि या नुकसान होने वाला नहीं है इस देश के सभी रहने वालों का उससे लाभ ही होगा।

श्री अध्यक्ष--अभी तो आप और अधिक समय लेंगे ?

श्री नागेश्वर द्विवेदी--जी हां।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता।

(श्री नागेश्वर द्विवेदी से) आपका भाषण अगले असरकारी दिन जारी रहेगा। अब हम उठते हैं और सोमवार, ५ सितम्बर, १९५५ को फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, ५ सितम्बर, १९५५ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२६ अगस्त, १९५५।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८ पर)

उत्तर प्रदेशीय सरकार

श्रम-(ख) विभाग

संख्या १९१६ (अ)/३६ (बी)—४०० (अ)—५०

लखनऊ, २० अप्रैल, १९५५

विज्ञप्ति

विविध

फैक्ट्रीज ऐक्ट, १९४८ ई० (१९४८ की ऐक्ट संख्या ६३) की धारा ४९, ५० तथा ११२ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके तथा फैक्ट्रीज वेलफेयर आफिसर्स रूल्स, १९४९, को अधिक्रान्त करके राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं जो उक्त ऐक्ट की धारा ११५ के अधीन २६ मार्च, १९५४ ई० की सरकारी विज्ञप्ति सं० ३४३९ (एल-एल)/३६ (बी) ४०० (एल-एल)/५० के साथ पहिले प्रकाशित किये गये थे :

RULES

1. **Short title**—These rules may be called the U. P. Factories Welfare Officers Rules, 1955.

2. **Commencement**—These rules shall come into force from the date of publication in the official *Gazette*.

3. **Appointment, grades and emoluments of Welfare Officers**—(1) The occupier of every factory wherein 500 or more workers are ordinarily employed shall appoint a Welfare Officer of the grade as hereinafter specified :

Grade I—For factories ordinarily employing 2,500 or more workers per day, in the scale of pay of Rs.500—50—1,000—E.B.—50—1,200 p.m. as basic pay.

Grade II—For factories ordinarily employing from 1,000 to 2,499 workers per day, in the scale of pay of 250—25—400—E. B.—30—700— E. B.—50—850 p.m. as basic pay.

Grade III—For factories ordinarily employing from 500 to 999 workers per day, in the scale of pay of Rs.200—10—250—E.B.—15—400 p.m. as basic pay.

4. The occupier of a factory, in which 2,500 or more workers are employed, shall, in addition to the Welfare Officer provided in rule 3, appoint an additional Welfare Officer of grade III.

5. The Appointment, when made, shall be intimated by the occupier to the State Labour Commissioner, giving full particulars about the officer appointed, including his qualifications.

6. Notwithstanding anything contained in rule 3, the grade of a Welfare Officer may be revised and his pay refixed in the appropriate grade by the State Government whenever there is such increase or decrease in the number of workers of the factory as to justify a revision of the grade.

7. Subordination—The Welfare Officer shall be subordinate to the General Manager of the factory and work under his direct control. An additional Welfare Officer shall work under the Welfare Officer.

8. Status—The Welfare Officer shall have the status of an officer of the factory and shall be governed by the same rules in regard to dearness allowance, bonus, provident fund, leave, housing, medical and other facilities as are applicable to officers of similar status and grade in the factory.

9. Age and qualifications—No person may be appointed as a Welfare Officer unless—

(*a*) he is domiciled in U. P.;

(*b*) he is not less than 25 years and not more than 35 years of age ;

(*c*) he has a thorough knowledge of Hindi in Devnagri script ;

(*d*) he possesses a degree in Economics or Sociology of a University established by law ; and

(*e*) possesses—

(i) a diploma of the Labour Training Course, or
(ii) a diploma of the Social Sciences Class, or
(iii) a degree of Master of Applied Sociology, or
} Of Sri Kashi Vidya pith Banaras.

(iv) a diploma in Social Services, or
(v) a diploma in Social Technique/Social Work, or
(vi) a degree of Master of Social Technique/ Master of Social Work, or
} Of the J.K. Institute of Sociology and Human relations, Lucknow University, Lucknow

(vii) a diploma of Social Science of the Calcutta University, or

(viii) a diploma in Social Service Administration of the Tata Institute of Social Services, Bombay, or

(ix) a diploma of the Long Term Course of the Institute of Labour Welfare Workers, Bombay, or

(x) a diploma of Social Service at Faizabad, or

(xi) a diploma or degree of any other institution of repute in India, approved by the State Government, or

(xii) a diploma or degree in Social Science, Personnel Management, Industrial Psychology and/or Labour Welfare of any foreign institution of repute approved by the State Government :

Provided, firstly that in the case of a person, who has worked as a Welfare Officer under these rules, or the Factories Welfare Officers Rules, 1949, the upper age-limit may be relaxed by the State Government up to a period during which he worked as such officer :

Provided, secondly, that no person shall be appointed, under these rules as a Welfare Officer of grade I or grade II, unless, in addition to the qualifications specified above, he possesses, not less than five years' in the case of grade I and three years' in the case of grade II, Practical experience of working as a Welfare Officer in a factory employing not less than 500 workers.

10. Probation—Appointments shall be made on a permanent basis, but candidates will initially be placed on one year's probation. The period of probation, including any extension thereof, shall count for the purposes of increment in the time-scale.

11. Extension of period of probation,etc.—If it appears at any time during or at the end of the period of probation that a Welfare Officer has not made sufficient use of his opportunities, or if he has otherwise failed to give satisfaction, the occupier may dispense with his services after giving one month's notice or pay in lieu of such notice, or in case he held previously a post under the factory, revert him to that post :

Provided, firstly, that the services of a Welfare Officer shall not be dispensed with nor shall he be reverted as aforesaid, without the written concurrence of the Labour Commissioner, who shall record his reasons therefor :

Provided, secondly, that the occupier, may, in special cases, extend the period of probation up to one year with the written concurrence of the Labour Commissioner, who shall record his reasons therefor. The order sanctioning such extension of probation shall specify the exact date up to which the extension is granted.

12. Confirmation—A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of his period of probation, or at the end of the extended period of probation—

(*a*) if the occupier is satisfied that he is fit for confirmation ; or

(*b*) if the Labour Commissioner refuses to concur in the proposal of the employer to dispense with the services of the Welfare Officer, or revert him to his original post, as the case may be, under rule 11.

13. Exemption—The State Government may exempt any person from all or any of the qualifications prescribed in rule 9, if such person—

(i) is a graduate of a University established by law ; and

(ii) has had about three years' experience of work concerning or relating to the welfare of labour.

14. Notwithstanding anything contained in these rules, any person appointed as a Welfare Officer, or exempted from any of the qualifications prescribed for appointment as a Welfare Officer, under the Factories Welfare Officers Rules, 1949, shall be deemed to have been appointed or exempted, under these rules.

15. Punishments—(1) The management may impose any one or more of the following punishments on a Welfare Officer :

(i) Censure,

(ii) Withholding of increments, including stoppage at any efficiency bar,

(iii) Reduction to a lower stage in the time-scale,

(iv) Suspension, and

(v) Dismissal, or termination of service in any other manner.

Provided that no punishment shall be inflicted unless the Welfare Officer has first been informed of the grounds on which it is proposed to take action and has been afforded an adequate opportunity of defending himself :

Provided further that the management shall not impose any punishment, other than censure, except with the previous concurrence of the Labour Commissioner.

(2) The Labour Commissioner shall give the Welfare Officer an opportunity to explain the circumstances appearing against him and, if necessary, of being heard in person, when a refernce is made under sub-rule (1).

16. (1) A Welfare Officer, who is subjected to punishment under clause (v) of sub-rule (1) of rule 15, may appeal to the State Government against the order of punishment made by the management with the concurrence of the Labour Commissioner, within 30 days from the receipt of the order by him. The decision of the State Government shall be final and binding.

(2) The State Government may pass such interim orders as may be necessary, pending the decision of an appeal filed under sub-rule (1).

17. Duties—The duties of a Welfare Officer shall be—

(*a*) to promote harmonious relations, and act as a liaison officer between the workers and the management ;

(*b*) to get the grievances and complaints of workers with regard to their working conditions redressed as expeditiously as possible;

(*c*) to bring the breaches of labour laws and orders and statutory obligations concerning the health, safety and welfare of the workers to the notice of the manager or occupier, and to take suitable steps for the provision of amenities, such as canteens, shelters for rest, creches, adequate latrine facilities, drinking water, etc.;

(*d*) to study the temper of the workers by friendly contact with them (inside and outside the precincts of the establishment) and bring the cases of discontent likely to result in dispute or strained relations,to the notice of the management, with a view to maintaining harmonious relations ;

(*e*) to encourage the formation of Joint Production Works Committees, Works Committtees,Co-operatives and Safety-First Committees, and/or Welfare Committees, and to assist the management in the proper maintenance of discipline, and in the promotion of all measures designed to improve the lot of workers ;

(*f*) to organize and supervise labour welfare work, and to see that statutory requirements with regard to working conditions are enforced:

(*g*) to advise the management in matters requiring special knowledge of labour conditions and labour welfare and to take suitable steps to improve the living conditions of workers ;

(*h*) to maintain a neutral attitude during legal strikes or lock-outs ;

(*i*) to exercise a restraining influence over workers in going on illegal strikes and over management in declaring illegal lock-outs, to help in preventing sabotage and other illegal activities ;

(*j*) to detect and check bribery and corruption and to bring such cases to the notice of the management of the factory ; and

(*k*) to make representations to the authorities concerned in regard to conditions of roads, bridges, etc., used by labour in proceeding to, and from, their work.

18. No Welfare Officer shall be allowed to perform any other duties except those mentioned in rule 17,or to hold any other office or post, without the previous written sanction of the Labour Commissioner or the State Government.

19. If a Welfare Officer proceeds on leave for a period exceeding one month, the occupier shall appoint another Welfare Officer for the period of the leave :

Provided that if the vacancy is for less than three months, the occupier may with the previous approval in writing of the Labour Commissioner, appoint a person not qualified under rule 9, to work as Welfare Officer for that period.

20. The factories under the control of the Central Government,situated in the State of Uttar Pardesh, which are governed by the Labour Officers' (Central Pool) Recruitment and Conditions of Service Rules, 1951, are exempted under section 50 (*a*) of the Factories Act, 1948, from compliance with the provisions of section 49 of the Act and these rules.

21. Retirement—The age of superannuation of a Welfare Officer shall be 55 years. Extension of service in deserving cases may, however, be granted, with the approval of the Labour Commissioner, for a period of one year at a time, but not for a period beyond the age of 60 years.

By order,
K. N. SINGH,
Secretary to Government,
Uttar Pradesh.

उत्तर प्रदेश गजट

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १० पर)

सहायता प्राप्त पुस्तकालयों की सूची १९५४–५५

	रु०
१—वीर पुस्तकालय, ग्राम भोजपुर, पो० बहुआ कलां ..	३६
२—ग्राम सुधार पुस्तकालय, ग्राम सिपाह, पो० दोहरी घाट ..	३६
३—सुभाष पुस्तकालय, ग्राम ठाकुर गांव, पो० दोहरी घाट .	३६
४—जनता पुस्तकालय सोसवां, पो० करहा .	३६
५—श्री कुबेर पुस्तकालय, ग्राम देवराडीह ..	३६
६—राजाराम पुस्तकालय, पिपरहा, पो० बिलरियागंज ..	३६
७—श्री तिलक पुस्तकालय, तिलसडा, पो० मेहनगर ..	३६
८—श्री जनता पुस्तकालय, ग्राम महुवापार, पो० मेहनाजपुर ..	३६
९—श्री ग्राम पुस्तकालय, बऊआपार ढेकमा ..	३६
१०—श्री नवयुवक संघ पुस्तकालय, ग्राम रामपुर, धनौली ..	३६
११—श्री गांधी पुस्तकालय, ग्राम इब्राहीमपुर ..	३६
१२—लोकमान्य पंचायती पुस्तकालय, बीबीपुर, आजमगढ़ ..	३६
१३—मेहता पुस्तकालय, आजमगढ़	२००
योग ..	६३२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५ पर)

जौनपुर जिला के हायर सेकेंडरी स्कूलों को गत वर्ष १९५२–५३ में दिये गये अनुदानों की सूची

क्रम-संख्या	संस्था का नाम	आवर्त्तक				अनावर्त्तक				
		अनुपालन अनुदान	महंगाई अनुदान	विशेष वेतन वृद्धि अनुदान	इन्टर कक्षाओं में १) शुल्क छूट सम्बन्धी अनुदान	पूरक अनुपालन अनुदान	अनावर्त्तक अनुपालन अनुदान	भवन अनुदान	सज्जा तथा उपस्कार अनुदान	पुन-संगठन अनुदान
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
	साहाय्यिक विद्यालय									
१	तिलकधारी सिंह क्षत्रिय हा० से० स्कूल ..	२२,७४०	१०८०	२५२०	३,८२४	..	..	१,०००	..	२,०००
२	राजा एस० के० दत्तएण्ड जौनपुर राज पी० एन० जी० हायर सेकेंडरी स्कूल ..	२०,८८०	४८०	१,८३६	१,२१६	..	..	..	..	..
३	आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल, रेहारी ..	२,५५६	६६०	..	..	..	..	..	..	..
४	राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल, सुजानगंज ..	३,१८०	७४०	..	३५६	..	..	..	..	..
५	श्री गांधी स्मारक हायर सेकेंडरी स्कूल, समोधपुर	४,०५६	७८०	..	..	..	..	१,०००	५००	५००
६	पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, केराकत ..	३,३४८	९६०	..	३२९	..	..	..	..	..
७	मुहम्मद हसन हायर सेकेंडरी स्कूल ..	७,७१६	६००	४८०	३१९	..	..	..	१००	..
८	राजा हरपाल सिंह ए० बी० हायर सेकेंडरी स्कूल सिंगरामऊ ..	१२,५७६	७८० २२८	९२४	१२४३	..	..		१००	५००
९	आर्य विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल, आर्यनगर लेदुका	५०	..	..	..	२५०	..	..	१००	५००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	संस्था का नाम	आवर्त्तक				अनावर्त्तक				
		अनुपालन अनुदान	महंगाई अनुदान	विशेष वेतन वृद्धि अनुदान	इन्टर कक्षाओं में १) शुल्क छूट सम्बन्धी अनुदान	पूरक अनुपालन अनुदान	अनावर्त्तक अनुपालन अनुदान	भवन अनुदान	सज्जा तथा उपस्कार अनुदान	पुनर्संगठन अनुदान
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१०-- गनेशराय हायर सेकेंडरी स्कूल, डोभी ..		६,२२८	५४०	..	७६२	..	..	..	..	..
११--हिन्दू हायर सेकेंडरी स्कूल, मोगरा बादशाहपुर..		१०,९८०	६६०	१३२	५२५	..	..	..	..	..
१२--सेंट टामस हायर सेकेंडरी स्कूल, शाहगंज ..		७,५४८	३९०	२६४	३७९	..	..	..	..	..
१३--बयालसी इंगलिश हायर सेकेंडरी स्कूल, जलालपुर		३,८४०	५५०	..	६०१	..	..	..	..	..
१४--पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, शाहगंज ..		६,३१२	८४०	४८०	६७८	..	..	..	..	..
१५--वी० एम० बी० इंगलिश हायर सेकेंडरी स्कूल, मड़ियाहूं		५,९८८	६००	..	४६२	..	..	..	..	..
१६--वंशीधर राष्ट्रीय पाठशाला हायर सेकेंडरी स्कूल		१५,३९६	१,१४०	१,०२०	२,४१७	..	..	..	१००	..
१७--जयहिन्द हायर सेकेंडरी स्कूल, तेजी बाजार ..		३,८४०	७००	..	४२३	..	..	..	५००	..
१८--के० ए० आर० विद्यालय हा० से० स्कूल, प्रतापगंज		५,९४०	७९०	..	३४१	३,०००	..	१,०००	५०० १००	..
१९--नागरिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जंघई ..		५,७८४	१,०२०	..	९६६	..	..	..	..	..
२०--रजा डी० एम० हायर सेकेंडरी स्कूल ...		८,८५६	६६०	६९६	१८०	३,०००	..	..	..	..
२१--गांधी स्मारक हायर सेकेंडरी स्कूल, काजगांव ...		१,८६०	४८० ६३	..	..	..	..	..	१००	..
२२--मछलीशहर हायर सेकेंडरी स्कूल ..		३,४२०	५८० १८३	..	..	..	..	..	..	..
२३--नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल, पट्टी नरेन्द्रपुर		२,५८०	५७०	..	२२५	..	..	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

असाहाय्यिक विद्यालय

२४—एस० आर० जे० दिनकर हा० से० स्कूल, जमालपुर	..	..	..	..	..	५००	..	१००	..
२५—सहकारी हा० सें० स्कूल, महरांवा	..	..	..	..	..	..	..	१००	..
२६—हायर सेकेंडरी स्कूल, नेवारीहा	..	..	..	..	..	५००	..	२००	..
२७—जनता हायर सेकेंडरी स्कूल, रतनपुर	..	..	..	..	..	..	..	१००	..
२८—शिया हायर सेकेंडरी स्कूल,	..	..	.	..	..	..	..	..	५००
२९—जनता हायर सेकेंडरी स्कूल, चन्दबक	..	..	..	..	..	..	..	..	..
३०—हा० से० स्कूल, सराय हारथू	..	..	..	..	..	..	..	..	..
३१—वी० हायर सेकेंडरी स्कूल, सुभाषपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	.
३२—आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल, शम्भूगंज	..	..	..	..	..	..	..	..	..
३३—जनता हायर सेकेंडरी स्कूल, बरसाठी	..	..	..	..	..	..	..	..	..
३४—सर्वोदय हायर सेकेंडरी स्कूल, हवौली खेतासराय	..	..	..	..	..	..	..	..	..
३५—हारिल राव हायर सेकेंडरी स्कूल, कुंवरपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..
२६—पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, सराय हरखू	..	..	..	..	..	..	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जौनपुर जिला हायर सेकेंडरी स्कूलों को गत वर्ष १९५३–५४ में दिये गए अनुदानों की सूची

क्रम-संख्या	संस्था का नाम	आवर्त्तक					अनावर्त्तक				
		अनुपालन अनुदान	महंगाई अनुदान	विशेष वेतन वृद्धि अनुदान	इन्टर कक्षाओं में १) शुल्क छूट घाटे की पूर्ति सम्बन्धी अनुदान	पूरक अनुपालन अनुदान	अनावर्त्तक अनुपालन अनुदान	भवन अनुदान	सज्जा तथा उपस्कार अनुदान	पुनर्संगठन अनुदान	योजना के अन्तर्गत स्वीकृत प्लानिंग अनुदान
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
	साहायिक विद्यालय										
१	तिलकधारीसिंह क्षत्रिय हा० से० स्कूल	२४,०९६	१,३२०	२,५२०	३,९२३	४,५००	..	२,०००	..	..	..
२	राजा एस० के० दत्त एण्ड जौनपुर राज पी० एन० जी० हायर सेकेंडरी स्कूल	२२,२१२	६००	१,६५६	१,८४५	३,३००	..	..	७५	..	..
३	आदर्श हायर से० स्कूल, रेहारी ..	३,६३६	६२०	..	..	..	..	..	..	..	..
४	राष्ट्रीय हा० से० स्कूल, सुजानगंज	४,०५६	५४०	..	८६५	..	..	..	..	..	..
५	श्री गांधी स्मारक हा० से० स्कूल, समोधर	५,०४०	७८०	..	..	३,०००	..	३,०००	..	..	..
६	पब्लिक हा० से० स्कूल, केराकत ..	४,०८०	७८०	..	९०५	..	..	..	..	..	..
७	मुहम्मद हसन हा० से० स्कूल ..	९,६६०	७८०	४८०	३३९	१,५००	..	..	..	..	..
८	राजा हरपाल सिंह ए० वी० हा० से० स्कूल, सिंगरामऊ ..	१३,३२०	७९० / २६२	८७६	१,२९२	१,०००	..	..	..	..	..
९	आर्य विद्यालय हा० से० स्कूल, आर्यनगर, लेदुका ..	२,५२०	..	..	..	..	..	..	..	..	.

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१०	गनेशराज हा० से० स्कूल, डोभी ..	६,८०४	६६०	..	१,८२९	३,०००	..	२,०००	..	..	९,९०	
११	हिन्दू हा० से० स्कूल, मोगरा बादशाहपुर	११,५०८	५४०	२७६	..	..	..	..	..	..	..	
१२	सेंट टामस हा० से० स्कूल, शाहगंज ..	७,९६८	४२०	२६४	६०६	..	..	..	..	..	..	
१३	बयालसी इंग्लिश हा० से० स्कूल, जलालपुर	४,३९२	६२०	..	८७५	..	..	..	..	..	..	
१४	पब्लिक हा० से० स्कूल, शाहगंज ..	६,८५२	७२०	४८०	१,४५३	..	..	..	..	..	..	
१५	बी० एन० वी० इंगलिश हा० से० स्कूल, मड़ियाहू ..	६,९१८	६००	..	१,३२३	..	..	१,०००	..	..	..	
१६	बंशीधर राष्ट्रीय पाठशाला हा० से० स्कूल	१५,९००	१,०८०	१,०९२	२,३४८	..	..	२,०००	..	..	..	
१७	जयहिन्द हा० से० स्कूल, तेजी बाजार	६,०३६	६६० ५०	..	७९९	३,०००	..	२,०००	..	..	..	
१८	के० ए० आर० विद्यालय हा० से० स्कूल, प्रतापगंज ..	६,५८८	५७६	..	८०९	३,०००	..	..	..	..	..	
१९	नागरिक हा० से० स्कूल, जंघई ..	६,२८८	९६०	२४०	८५६	..	..	..	..	..	..	
२०	रजा डी० एम० हा० से० स्कूल ..	११,४२४	६००	६९६	१६६	४,५००	..	१,०००	..	..	..	
२१	गांधी स्मारक हा० से० स्कूल, काजगांव	२,२२०	४४०	..	..	..	..	२,०००	..	..	..	
२२	मछलीशहर हा० से० स्कूल ..	३,६६०	९२५	..	३३२	..	..	१,०००	७५		..	
२३	नेशनल हा० से० स्कूल पट्टी नरेन्द्रपुर	३,७५६	६३०	..	२४६	..	..	..	१००	..	..	
	असाहाय्यिक विद्यालय											
२४	एस० आर० जे० दिनकर हा० से० स्कूल, जमालपुर ..	..	..	..	..	..	१,०००	..	७५	..	..	
२५	सहकारी हा० से० स्कूल, महरांवा ..	..	..	..	..	..	१,०००	..	..	..	..	
२६	हायर सेकेंडरी स्कूल, नेवारीहा ..	..	..	..	..	..	१,०००	..	..	..	..	
२७	जनता हायर सेकेंडरी स्कूल, रतनूपुर	..	..	..	..	..	१,०००	..	..	..	..	
२८	शिया हायर सेकेंडरी स्कूल ..	..	..	..	..	..	..	..	१,०००	..	..	
२९	जनता हा० से० स्कूल, चन्दबक ..	..	..	..	..	..	..	..	७५	..	..	
३०	हायर सेकेंडरी स्कूल, सराय हारथू ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जौनपुर जिला हायर सेकेंडरी स्कूलों को गत वर्ष १९५३–५४ में दिये गए अनुदानों की सची

क्रम-संख्या	संस्था का नाम	आवर्त्तक				अनावर्त्तक					
		अनुपालन अनुदान	महंगाई अनुदान	विशेष वेतन वृद्धि अनुदान	इंटर कक्षाओं में १) शुल्क छूट घाटे की पूर्ति सम्बन्धी अनुदान	पूरक अनुपालन अनुदान	अनावर्त्तक अनुपालन अनुदान	भवन अनुदान	सज्जा तथा उपस्कार अनुदान	पुनर्संगठन अनुदान	योजना के अन्तर्गत स्वीकृत प्लानिंग अनुदान
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
३१	बी० हा० से० स्कूल, सुभाषपुर ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
३२	आदर्श हा० से० स्कूल, शम्भूगंज ..	..	..	..	..	..	१,०००	..	..	..	..
३३	जनता हा० से० स्कूल, बरसाठी ..	..	..	..	..	..	१,०००	..	..	..	..
३४	सर्वोदय हा० से० स्कूल, खुदाली खेता सराय ..		..	..	..	..	१,०००	..	..	..	..
३५	हारिल राव हा० से० स्कूल, कुंवर पुर ..		..	..	..	..	१,०००	..	..	..	..
३६	पब्लिक हा० से० स्कूल, सराय हरखू ..		..	..	..	..	१,०००	..	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जौनपुर जिला के हायर सेकेंडरी स्कूलों को वर्ष १९५४–५५ में दिये गए अनुदानों की सूची

क्रम-संख्या	संस्था का नाम	आवर्त्तक					अनावर्त्तक				
		अनुपालन अनुदान	महंगाई अनुदान	विशेष वेतन वृद्धि अनुदान	इन्टर कक्षाओं में १) शुल्क छूट घाटे की पूर्ति सम्बन्धी अनुदान	अतिरिक्त अनुपालन अनुदान शासन द्वारा स्वीकृत	अतिरिक्त अनुपालन अनुदान	भवन अनुदान	सज्जा तथा उपस्कार अनुदान	पुनर्संगठन अनुदान	योजना के अन्तर्गत स्वीकृत प्लानिंग अनुदान
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
	साहाय्यिक विद्यालय										
१	तिलकधारी सिंह क्षत्रिय हा० से० स्कूल	२४,४५६	१,२६० १७	२,३७६	३,९०८	१,४४६	३,९४०	१,०००	..	..	..
२	राजा एस० के० दत्त एंड जौनपुर राज पी० एन० जी० हा० से० स्कूल ..	२२,५४८	४५० १५६	१,३५६	२,७९१	२,७००	३,६००	..	..	..	..
३	आदर्श हा० से० स्कूल, रेहारी ..	३,६२४	४०८	..	..	६१३	७२०	..	..	..	..
४	राष्ट्रीय हा० से० स्कूल, सुजानगंज ..	४,०५६	५४०	..	८५९	..	..	..	..	..	..
५	श्री गांधी स्मारक हा० से० स्कूल, समोधपुर	५,१२४	८४०	..	९१६	५,०००	१,०२०	१,५००	..	..	..
६	पब्लिक हा० से० स्कूल, केराकत ..	४,२६०	७२०	..	१,७४५	४,०००	..	..	..	..	..
७	मुहम्मद हसन हा० से० स्कूल. ..	९,९८४	४८०	४८०	२६१	३,५६५ २,१४५	५५० १,४००	..	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जौनपुर जिला के हायर सेकेंडरी स्कूलों को वर्ष १९५४–५५ में दिये गए अनुदानों की सूची

क्रम-संख्या	संस्था का नाम	आवर्त्तक				अनावर्त्तक					
		अनुपालन अनुदान	महंगाई अनुदान	विशेष वेतन वृद्धि अनुदान	इन्टर कक्षाओं में १) शुल्क छूट घाटे की पूर्ति सम्बन्धी अनुदान	अतिरिक्त अनुपालन अनुदान शासन द्वारा स्वीकृत	अतिरिक्त अनुपालन अनुदान	भवन अनुदान	सज्जा तथा उपस्कार अनुदान	पुनर्संगठन अनुदान	योजना के अन्तर्गत स्वीकृत प्लानिंग अनुदान
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
८	राजा हरपाल सिंह ए० वी० हा० से० स्कूल, सिंगरामऊ ..	१३,४८८	९०० २७७	७५६	२,१३१	४,०५६	२,२५०	..	१००	..	..
९	आर्य विद्यालय हा० से० स्कूल, आर्यनगर, लेदुका ..	३,०२४	४८०	..	..	..	..	..	..	..	..
१०	गनेश राय हा० से० स्कूल, डोभी ..	७,१४०	४२० ५५	..	२,२४५	३,५२८	१,४३०	..	..	..	..
११	हिन्दू हा० से० स्कूल, मोगरा बादशाहपुर	११,६४०	५४०	६०	..	..	..	..	..	..	..
१२	सेंट टामस हा० से० स्कूल, शाहगंज	८,१२४	३६०	२६४	६२९	..	३०० १,३२०			..	..
१३	बयालसी इंगलिश हा० से० स्कूल, जलालपुर	४,६२०	६६०	..	१,५६८	३,९००	१२०	..	..	..	..
१४	पब्लिक हा० से० स्कूल, शाहगंज ..	७,१८८	७८०	४८०	१,४८४	..	१८०	..	१००	..	..
१५	बी० एन० बी० हा० से० स्कूल, मड़ियाहूं	७,१५२	५४०	..	२,१४०	..	१८०	..	१००	..	..
१६	वंशीधर राष्ट्रीय पाठशाला हा० से० स्कूल	१६,२४८	९६०	१,०९२	..	७०७	२,७००	..	१००	..	..
१७	जयहिन्द हा० से० स्कूल, तेजी बाजार	६,०७२	६००	..	६४७	४,६६१	१,२१०	१,०००	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१८	क० ए० आर० विद्यालय हा० से० स्कूल, प्रतापगंज	६,८४०	४५०	..	५५५	४००	१,३७०	१,००० ३,०००	..	..	..
१९	नागरिक हा० से० स्कूल, जंघई ..	६,५६४	६००	२४०	१,०५७	५,०००	१६०	..	१००	..	..
२०	रजा डी० एम० हा० से० स्कूल ..	१२,०७२	६००	६९६	१२६	९८६	२,७००	..	..	..	..
२१	गांधी स्मारक हा० से० स्कूल, काजगांव	२,४७२	५४०	..	..	..	..	२,०००	..	..	..
२२	मछली शहर हा० से० स्कूल ..	३,९७२	८४०	..	४५१	५०१	३०० ४९०	..	..	..	..
२३	नेशनल हा० से० स्कूल, पट्टी नरेन्द्रपुर	३,७२०	८५० ११६	..	४४३	४,०००	७४०	१,०००	..	..	..

असाहाय्यिक विद्यालय

२४	एस० आर० जे० दिनकर हा० से० स्कूल, जमालपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
२५	सहकारी हा० से० स्कूल, नेहरावा ..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..
२६	हा० से० स्कूल, नेवारीहा ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
२७	जनता हायर सेकेंडरी स्कूल, रतनपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
२८	शिया हायर सेकेंडरी स्कूल ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
२९	जनता हायर सेकेंडरी स्कूल चन्दबक	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
३०	हायर सेकेंडरी स्कूल, सराय हारथू	..	..	..	..	..	..	..	१००	..	..
३१	वी० हा० से० स्कूल, सुभाषपुर ..	..	..	..	..	..	..	..	१००	..	..
३२	आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल शम्भूगंज	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
३३	जनता हायर सेकेंडरी स्कूल, बसौठी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
३४	सर्वोदय हायर सेकेंडरी स्कूल, खुदाली, खेतासराय ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
३५	होरिल राव हा० से० स्कूल, कुंवरपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
३६	पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, सराय हरखू	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६ पर)

१९५४-५५ के वर्ष में उत्तर प्रदेश के प्रान्तीय राजस्व से अनुदान प्राप्त

संस्कृत पाठशालाओं की तालिका

जिला आजमगढ़

क्रम-संख्या	पाठशाला का नाम		वार्षिक अनुदान रु०
१	सनातन धर्म संस्कृत कालेज, आजमगढ़	..	२,४७२
२	सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला, रटनगंज, अहरौला	..	९८४
३	महेश्वर संस्कृत पाठशाला, रसूलपुर, गोमाडीह	..	१,०४४
४	संस्कृत पाठशाला सिपाह, डोहरी घाट	..	९२४
५	हिन्दी संस्कृत पाठशाला, मैरोजी महराजगंज	..	१,९९२
६	विद्या रत्न संस्कृत पाठशाला, कनेरी, फूलपुर	..	७९२
७	सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला, हिराज पट्टी, मधुबन	..	२,१८४
८	संस्कृत पाठशाला, मऊनाथ भंजन	..	२,३०४
९	महरानी बन देवी संस्कृत पाठशाला, कहिनोर	..	१,००८
१०	संस्कृत पाठशाला, रानी की सराय ..	..	६३६
११	गांधी गुरुकुल भवरनाथ ..	..	८६४
१२	संस्कृत पाठशाला गुरादरी, करहां ..	..	६४८
१३	सन्यासी संस्कृत पाठशाला रेजादेपुर, सगरी	..	१,१०४
१४	दुर्गा संस्कृत विद्यालय, चन्डेसर ..	..	१,००८
१५	सांगवेद विद्यालय, हनुमानगढ़ी ..	..	३,३००
१६	ज्ञानोदय संस्कृत पाठशाला, कमलसागर, रामपुर	..	१,०३२
१७	वैष्णव हरी विद्यालय, सैरपुर, चिरइया कोट	..	९२४
१८	राम सुन्दर संस्कृत पाठशाला सरवा कोपागंज	..	५५२
१९	सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला, खरगीपुर, बरदह	..	८७६
२०	ब्रह्मविद्या संस्कृत पाठशाला, परशुपुर तिनहरी, बेला	..	५४०
२१	हिन्दू महासभा संस्कृत पाठशाला, पल्थी	..	९३६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५ पर)

वर्ष १९५४–५५ में दी गई सहायता

क्रम-संख्या	उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के नाम (जिला आजमगढ़)	आवर्त्तक अनुदान						अनावर्त्तक अनुदान					
		अनुपालन अनुदान	महंगाई अनुदान	विशेष वेतन वृद्धि अनुदान	इन्टर कक्षाओं में १) शुल्क छूट घाटे की पूर्ति सम्बन्धी अनुदान	शासन द्वारा राजाज्ञा सं० ए१०७८।१५–३००७–१०–५४, दि० मार्च १८, ५५ के अन्तर्गत स्वीकृत अनावर्त्तक अनुदान		अतिरिक्त अनावर्त्तक अनुपालन अनुदान	भवन अनुदान	सज्जा तथा उपस्कार अनुदान	पुनर्संगठन अनुदान	प्लानिंग योजना के अन्तर्गत स्वीकृत अनुदान
		रु०	रु०	आ०	रु०	रु०	आ०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१	शिबली नेशनल ..	१७,७४८	६००	०	१,१८०	..		२२६	२,९५०	..	..	..	..
२	श्रीकृष्ण पाठशाला ..	९,०७२	६९४	१	१,५३६	४,५०१	०	६७०	१,८१०	..	१००	..	..
३	वेसले ..	१५,८७६	७८०	०	५८४	३,४२४	०	५,०००	२,६४०	..	१००	..	..
४	स्मिथ, अजमतगढ़ ..	९,८२८	८२५	६	६४८	१,२८२	०	..	१,९७०	..	..	..	..
५	डी० ए० वी० ..	१२,३३६	४८०	०	१,५९६	२,६३३	८	८००	३१०	..	१००	..	..
६	बिन्देश्वरी, तुलसीनगर	४,३८०	६००	०	..	४३५	८	१,५००	८८०	..	..	..	..
७	महराजगंज, महाराजगंज..	५,३४०	४८०	०	..	४४५	८	२,८१६	१,०७०	१,०००	..	..	..
८	चौराबेलहा, तरवा ..	३,६८४	३६०	०	..	१,३७२	०	..	८००	..	..	..	१५,०००
९	जीवनराम, मऊनाथ भंजन	९,२८८	३५९	०	१९२	..		१,११९	२३०	१,०००	..	..	..
१०	बापू, कोपागंज ..	३,९७२	३६०	०	..	२१६	०	२६०	७९०	..	१००	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के नाम (जिला आजमगढ़)	आवर्त्तक अनुदान						अनावर्त्तक अनुदान					
		अनुपालन अनुदान	महंगाई अनुदान	विशेष वेतन वृद्धि अनुदान	इंटर कक्षाओं में १) शुल्क छूट घाटे की पूर्ति सम्बन्धी अनुदान	शासन द्वारा राजाज्ञा सं० ए१०७८/१५/३००७-१०-५४ दि० १८, मार्च ५५ के अन्तर्गत स्वीकृत अनावर्त्तक अनुदान	अतिरिक्त अनावर्त्तक अनुपालन अनुदान	भवन अनुदान	सज्जा तथा उपस्कार अनुदान	पुनर्संगठन अनुदान	प्लानिंग योजना के अन्तर्गत स्वीकृत अनुदान	
		रु०	रु० आ०		रु०	रु० आ०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
११	मुस्लिम, मऊनाथभंजन ..	४,९९२	३६० ०		१४४	..	१,६३६	१२०	..	..	..	..
			११५ ० (वर्ष ५१-५२ के लिये दिया गया)									
१२	गांधी विद्यालय, मारूफपुर	४,४०४	६३० ०		..	..	..	८८०	..	..	१,०००	..
१३	श्री दुर्गाजी, चन्देसर ..	११,५२०	६०० ०		७२	१,३९६	८ २,३१३	१,९५०	८६८	..	१,०००	..
१४	डी० ए० वी०, मऊनाथ भंजन	७,२६०	४८० ०		६०	२,१८३	८ २,७९९	१८०	..	..	..	..
१५	नेशनल, भरौली ..	५,७७२	५०७ ०		..	३८२	० ..	१,१५०	..	..	..	..
१६	विक्टरी, दोहरीघाट ..	७,४५२	६२५ १२		..	९११	८ १,२३३	१,४९०	..	१००	..	..
१७	गयादीन जयसवाल, जयसवाल नगर	७,२२४	५४० ०		७२	७००	० ..	१८०	..	..	..	..
१८	श्री शहीद, मधुबन ..	६,६८४	५९७ ८		..	१,३४१	० ८८९	१,३४०	..	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१९	गांधी कूबा, महनाजपुर ..	५,७९६	७२०	०	..	४९८	८	२,०१३	१,१६०	..	..	..	..
२०	तेरही, कैप्टनगंज ..	१,९९२	५५०	०	..	..		..	४००	..	..	..	..
२१	श्री कृष्णगीता, लालगंज ..	२,९७६	५३६	७	..	..		१,०४०	..	..	..	..	..
२२	एस० एस० बी०, अमिला	३,९८४	३६०	०	..	..		३३०	८००	१,०००	१००	..	..
२३	गांधी, मलटारी ..	२,६६४	४८०	०	..	..		१,०४०	५३०	..	..	..	..
२४	जनता शिक्षानिकेतन, दुबारी	३,२१६	४२०	०	..	..		..	..	..	..	..	..
२५	सुभाष, करखिया ..	१,८००	३६०	०	..	..		२६०	..	५००	..	..	..
२६	श्री अग्रसेन आर्य कन्या ..	४,९८०	१,०४३	०	..	..		४००	१,०००	१,०००	३००	१,०००	..
२७	सुखनन्दन, मोहम्मदपुर मठ	..	..		..	..		५,०००	..	१,०००	..	..	..
२८	पंचायत, गौरा मेहनगर ..	..	..		..	..		८००	..	१,०००	..	..	..
२९	ग्रामसमाज, जयनगर ..	..	..		..	..		८००	..	..	..	..	..
३०	जनता रानीपुर ..	..	..		..	..		१,०००	..	..	१००	..	..
३१	शंकर, डीहा ..	..	..		..	..		२२८	..	..	..	..	..
३२	पटैल मेमोरियल, अतरौली	..	..		..	..		१,०००	..	..	..	..	..
३३	श्री शंकर जी, पुष्पनगर	..	..		..	..		१,०००	..	..	..	..	..
३४	टाउन, मोहम्मदाबाद ..	..	..		..	..		३,१८०	..	..	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ६० एल० ए०—१९५५—७९६

उत्तर प्रदेश विधान सभा